राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १२ वां दिवस [संख्या ६

शुक्रवार २७ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर १८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : पी. के. चौधरी।

मोटर गेरेज डिपार्टमेन्ट के बिलों का भुगतान

२५३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Transuport be pleased to state :-

1. Is it correct that some time back the Government Garage Department, jaipur sent a long list of outstanding bills amounting to Rs. 861/- and odd to Shree Jai Narain vyas, Ex. Chief Minister, Rajasthan ?

2. Is it correct that some of the items of the bill were disputed as they pertained to repairs of cars belonging to individuals who had nothing to do with Shree vyas ?

3. Is it correct that after proper scrutiny it was found that the actual amount outstanding against Shri Jai Narain Vyas was Rs. 484/13- only and the Chief Minister under his letter dated 20. 8. 1958 informed Shri Vyas that "a sum of Rs. 484/13- is required to be paid by you instead of the sum intimated earlier" ?

4. Is it correct that on receipt of the Chief Minister's letter Shri Jai Narain Vyas sent his representative with the requisite amount to the Garage Department in the last week of August, 1958, but the Garage Department reused to accept the amount of Rs. 484/13- offered towards clearance of the outstanding bills ?

5. Is it correct that the Garage Department accepted the payment of Rs. 484/13- from Shree Vyas only on 8. 12. 58 and issued a receipt for the same along with a note that " there is nothing outstanding against Shri Vyas of the Central Garage, jaipur" and if so, will the Minister correct the wrong information he gave to the ho-

Page No.2

(श्री पी. के. चौधरी)

use on 25. 11. 58. in reply to question No. 904 asked by Shri Bhairon Singh M. L. A. that an amount of Rs. 861/- and odd was due from Shri Jai Narain Vyas towards the outstanding bills of the Central Garage, Jaipur ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

1. Yes.
2. Yes.
3. Yes.
4. Yes, but the representative went there only to have discussion and not with the money to deposit.
5. Yes, the information was given by the C. M. to the House on 28. 11. 58. Subsequently, the Government order was revised for deletion of excessive amount. As such, the question of correcting the information does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : On what date Shri Vyas was informed about the amount so due from him ? ८६१)रु० आउट स्टेन्डिंग था इसकी इन्टीमेशन उनको कब दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्टीमेशन एक नहीं दस, बीस दिये थे ।

श्री पी० के० चौधरी : फर्स्ट इन्टीमेशन कब दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५२, ५३ व ५४ से आउट स्टेन्डिंग हैं, बीसों चिठ्ठियां लिखी हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्वेश्चन नं० ३ के जवाब में स्वीकार किया गया है कि ४८४ रु० आउटस्टेन्डिंग है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने पहले ही नहीं लिखा था कई दफा कई दफा उनके आदमी आते, चिट्ठी लिखते कि ८६१ रु० बकाया नहीं है, कम है । कुछ गाड़ियाँ थी, कांग्रेस पार्टी की थी, मथुरादासजी के पास में थी, कई सवाल जवाब चले हैं, आखिर अब दिसम्बर में मामला तय किया है कि ४८४ रु. १३ आ. ही हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास थी तो क्या वाकई में गवर्नमेंट की गाड़ियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लिये हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस्तेमाल का सवाल नहीं है गाड़ियों की मरम्मत कराई गई थी गैरेज से ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि कांग्रेस के पास में थी, तो क्या सरकारी गाड़ियां कांग्रेस पार्टी के लिये काम में लाई गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गाड़ियों के रिपेयर का सवाल है । जो जयनारायणजी व्यास के पास से गेरेज में रिपेअर के लिये गई थी, उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां कांग्रेस की थी या मथुरादासजी के पास से आई थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि कांग्रेस के पास थी, उन्हें किस लक्ष्य को करके दिया है ?

Page No.3

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने लिख कर दिया है कि मथुरादासजी के पास थी, वे ही बिल का पेमेंट करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : क्या अगस्त के लास्ट में चीफ मिनिस्टर ने उनको लिखा था अपने डी. ओ. में कि ४८४।१३।० ही बाकी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो इत्तला दी, वह उसके बाद के पहलू होंगे।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि चीफ मिनिस्टर ने उनको दिनांक २०. ८. ५८ के पत्र में लिखा था कि ४८४।१३। बाकी हैं और कोई रकम बाकी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो लैटर लिखा था....

(अश्रव्य)

श्री पी. के. चौधरी : वह तो लिखा था। उसके बाद उनका आदमी गेरेज में गया पेमेन्ट करने के लिये लेकिन पेमेन्ट नहीं लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : पैसे लेकर नहीं गया था। सिर्फ बात करने के लिये ही गया था।

श्री पी. के. चौधरी : आपने इसकी गेरेज डिपार्टमेंट को कब इत्तला दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो पहले प्रश्न आया, उसके बाद में इत्तला दी।

श्री पी. के. चौधरी : कब इत्तला दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दिसम्बर में।

श्री पी. के. चौधरी : कौनसी ता को ?

श्री अध्यक्ष : अब तो मामला तय हो चुका है।

श्री पी. के. चौधरी : The question is, Sir, that in August, 1958, the Chief Minister informed him that there were only Rs. 484/13-due. After that it took the Govenment about 4-5 months to write to the Garage Department that this amount may be accepted. In the meantime, the Hon. Minister gives a statement in the House that so much amount is due from Shri Jai Narain Vyas It gives an impression that the gentleman concerned is not willing to pay the amount. So my contention is that the Chief Minister......

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इनके प्रश्न को बिल्कुल ठीक तरह से समझ गया हूं। आपका यह कहना है कि मैंने जो सदन में जवाब दिया कि ८६१) रु. बाकी हैं गलत दिया, और चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि ४८४) रु. बाकी है। यही मतलब है। इसके लिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि गेरेज डिपार्टमेंट को मालूम नहीं था कि पोज़िशन ऐसी थी। क्या पता चीफ मिनिस्टर ने कब पत्र लिखा ? उसके बाद गेरेज डिपार्टमेंट को कब पत्र लिखा ? मगर यह है कि गेरेज डिपार्टमेंट और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को पता नहीं था। जिस मंशा से आपने यह प्रश्न पूछा है उसको मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है।

श्री पी. के. चौधरी : चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या अपना मन-माना लिख दिया

...किसी आधार पर

...मिर्धा : महीना-बीस दिन का टाइम तो इधर से इधर पत्र भेजने में लग जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या अगस्त से दिसम्बर तक २० दिन होते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मैंने कहा वह ठीक है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ८६१ रुपये बकाया थे, उसमें से सिर्फ ४६१ रुपये ही वसूल हुए। बाकी का किससे वसूल किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मथुरादासजी का नाम बताया।

श्री मूलचन्द डागा : किससे वह रकम वसूल की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिकों में बकाया रकम

२५४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिकों से सरकार को कितना रुपया बकाया लेना है तथा यह रकम कब से बकाया है ?

(२) उक्त धन राशि को लेने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि इसके मालिकों के परस्पर झगड़े की वजह से यह कारखाना बन्द पड़ा है और धीरे धीरे इसकी मशीनें और माल गुम होते जा रहे हैं ?

(४) इस समय इस कारखाने की निगरानी कौन करता है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिकों से राज्य सरकार का ८६, ५६५ रुपया बकाया लेना है। बकाया की ठीक तारीखों की जानकारी नहीं है।

(२) वसूली के लिये पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के अन्तर्गत कलेक्टर, बीकानेर ने नोटिस जारी कर दिये हैं और कार्यवाही चालू है।

(३) जी हां। कारखाने की मशीनें व माल न्यायालय द्वारा सील मोहर किया हुआ है और चल सम्पत्ति (मूवेबल आर्टीकल्स) भी ताला बन्दी में हैं। अतः मशीनों के व माल गुम होने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) कारखाना डिस्ट्रिक्ट जज, बीकानेर की सील में है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो वसूली की कार्यवाही की जा रही है किस पर की जा जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिकों पर।

श्री मुरलीधर व्यास : मालिक कौन हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछें। कितने मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, कितने दूसरे व्यक्ति हैं। यह ग्लास फैक्ट्री के ऊपर की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछता हूं कि मालिक कौन है? आप वसूली की कार्यवाही किस पर करते है? आप बतावें जिससे पता तो चले।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके नाम तो मुझे मालूम नहीं हैं। उनके मालिक जो भी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने बताया की ठीक तारीखों की जानकारी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं जैसे रेलवे, इलेक्ट्रीकल वगैरह। किन किन तारीख को भेजा गया यह पता नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसी साल से भेजा गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : साल का कह नहीं सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि मोहर लगी हुई है, सरकारी सील लगी हुई है ..

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि सरकारी सील है। मैंने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से सील लगा दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब लगाई गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख की सूचना नहीं है। कारखाने को और मशीन आदि को मोहर किया हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से है?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तारीखें मेरे पास कहां से आ सकती हैं?

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी वहां होकर आया हूं। सारे दरवाजे खुले पड़े हैं। सारी दीवारें टूटी हुई हैं और कोई भी चीज़ वहां पर सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी को भेज कर आज का आज देख लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप सूचना दे रहे हैं तो ठीक है। मैंने तो कलेक्टर बीकानेर की सूचना पर जवाब दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर उन्होंने गलत सूचना आपको दी है तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही अवश्य होगी।

प्रश्न संख्या २५५

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

Page No.6

बीकानेर जेल के बन्दियों की जमानत

२५६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

अक्टूबर, ५८ में शिशुपालसिंह यादव, उम्मेदसिंह, नन्दसिंह, पूरण, सुन्दरसिंह आदि लोगों की जमानत का हुक्म बीकानेर जेल अधिकारी को किस तारीख को कितने बजे दिया गया तथा उन्हें जेल से कौनसी तारीख को कितने बजे रिहा किया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : हवालाती उम्मेदसिंह, नन्दसिंह, सुन्दरसिंह और पूरण की रिहाई का हुक्म जेल बीकानेर पर तारीख १४. १०. ५८ को ७ बजे शाम को जेल बन्द हो जाने के बाद पहुंचा था इसलिये जेल के नियमानुसार उनको दूसरे रोज़ तारीख १५.१०.५८ को सुबह छोड़ा गया। शिशुपालसिंह को छोड़ने का हुक्म तारीख १५.१०.५८ को ६-४५ बजे शाम को जेल पर आया जब कि जेल बन्द हो चुका था। इसलिये इसको जेल के नियमानुसार दूसरे रोज तारीख १६.१०.५८ को सुबह छोड़ागया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसा नियम है कि जब मजिस्ट्रेट की ओर से ज़मानत हो जाती है तो फौरन उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर देना चाहिये, लेकिन एक दिन अधिक वहां क्यों रोका गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे सिविल मेन्युअल में यह है कि जब आॅर्डर आता है तब छोड़ा जाता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रूल्स-ऑफ कन्फाइनमेंट नहीं माना जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह माना जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : आॅर्डर आने के बाद किस समय छोड़ा जाना चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब ज़ेल से छोड़ने के लिये ज़मानत के हुक्म जाते हैं और जेल बन्द होने के पहले पहुंच जाते हैं तो उसी दिन छोड़ दिया जाता है नहीं तो दूसरे दिन।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसा टाइम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जबानी तो मालूम नहीं है लेकिन करीब ६ बजे।

श्रीअर्जुनदास (अजमेर शहर पश्चिम): At what time were the orders received ?

श्री अध्यक्ष : ६ बजे बता रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब पांच बजे आॅर्डर पहुँच गया था फिर भी एक दिन रखा गया इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नियमों को चेलेन्ज करें तो वह बात तो अलग है। बाकी नियम के अनुसार छोड़ा जाता है।

प्रश्न संख्या २५७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

मोरेल बन्ध से सिंचाई

२५८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मोरेल बन्ध से सिंचाई कम होती है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त बांध का पानी बिनोरी सागर में देने से हज़ारों बीघा जमीन की ज्यादा पिलाई हो सकेगी तथा तहसील बामनवास, नादोती, गंगापुर व हिण्डौन तक की जमीन में पैदावार हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को करके इस पानी का सदुपयोग करेगी ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) उक्त बांध का पानी बिनोरी सागर में नहीं दिया जा सकता क्योंकि जमीन के लैवल ऊंचे पड़ते हैं इसलिये इन तहसीलों में पानी नहीं पहुंच सकता। केवल बामनवास तहसील के ग्रामों में पानी पहुंचा है और पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आपने जमीन के लिए बताया, लेकिन जमीन ठीक नहीं है।

श्री भीखाभाई : It is inaudible. Please repeat.

श्री अध्यक्ष : फिर से बता दीजिये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जमीन ऊंची होने से पानी नहीं जाता है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): ऊंची लेवल पर जमीन होने से नीचे का पानी कहां से जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम पर व्यय

२५६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री, योजना व विकास विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम (Industrial Housing Scheme) में कुल कितनी धन राशि रखी गई है ?

(२) इसमें से कितनी धनराशि अब तक कहां कहां किस तरीके से खर्च की जा चुकी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के लिये ६३.५० लाख रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई है।

(२) उपरोक्त धन राशि में से अप्रेल १६५६ से दिसम्बर १६५८ तक खर्चा इस प्रकार हुआ :

१. जयपुर	२२४ एक कमरे वाले मकान ११० दो कमरे वाले मकान	१०.४६ लाख रु०
२. पाली	२८८ एक कमरे वाले मकान	५.६६ लाख रु०

Page No.8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

३. भीलवाड़ा	४०० एक कमरे वाले १०० दो कमरे वाले ।	६.५० लाख

श्री रामचन्द्र (डग-सु) क्या यह धन नये मकान बनाने के लिए दिया जाता है या पुराने मकानों की मरम्मत के लिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो इन्डस्ट्रियल लेबर के लिए है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इन्डस्ट्रियल लेबर भीलवाड़ा में ज्यादा है या पाली में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि कहां कहां ज्यादा है ।

श्री पी० के० चौधरी : जानकारी तो रहनी चाहिये जब मकान बनाते हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेन्ट तो जानकारी करके बनाता है लेकिन इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है । यह मैंने आपको कहा, यह नहीं है कि बिना जानकारी किये ही मकान बना दिये गये हों ।

श्री पी० के० चौधरी : पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया था और कितना खर्चा हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुल सैंक्शन ६३.५० लाख रुपये की है जिसमें से २५ लाख ६५ हज़ार रुपया खर्च कर चुके हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में जयपुर, पाली, भीलवाड़ा में क्रमशः ६००, ६०० और ५०० मकान बनाने की योजना है । गंगानगर में भी एक कमरे वाले और दो कमरे वाले मकान बनाने की योजना है । काम शुरू हो गया है । इसी प्रकार ब्यावर में भी ४०० एक कमरे वाले मकान और १०० दो कमरे वाले मकान बनाने की योजना है ।

श्री मुरलीधर व्यास : गंगानगर में कब किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन किया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : जामसर में औद्योगिक बस्ती है, उसमें यह योजना क्यों नहीं रखी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इस स्कीम में नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं रखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां इन्डस्ट्रियल हाऊस बनाना उचित पहले समझा गया वहां प्रायोरिटी दी गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां क्या किसी ने देखा है कि वहां के मकानों की स्थिति कैसी है, लोग कैसे रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, देख कर आये हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने हिसाब बताया उससे तो ३० लाख रुपया बाकी रह जाता है, उसे कहां खर्च करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बाकी कहां रह जाता है ?

श्री पी० के० चौधरी : ६३ लाख का तो सेंक्शन बताया और खर्चा बताया ६० लाख का, तो ३३ लाख बच जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : २५.६५ लाख का खर्चा बताया बाकी बताया। कि ६०० जयपुर में, ५०० पाली में और ५०० भीलवाड़ा में मकान बनाने हैं। आपको यह भी बता दिया कि कुल कितनी सेंक्शन हुई और कुल कितना खर्चा हुआ। जो रकम बची है, उसमें मकान बनने बाकी हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : किस प्रोपोर्शन से खर्चा हुआ, ४० लाख का हिसाब बताया फिर भी २५.३० लाख बच जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बचता नहीं है। आपका मैकेनिकल केलकुलेशन गलत है।

श्री पी० के० चौधरी : सैन्कशन कुल कितनी रकम की हो चुकी है, उसमें से कितनी लग चुकी और कितनी लगना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष : यह बता रहे थे।

श्री पी० के० चौधरी : पर हाऊस कॉस्ट क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेटेरियल वगैरह की कॉस्ट बढ़ जाने से यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि पहले एस्टीमेट के हिसाब से अब प्रत्येक पर कितना ज्यादा लगेगा।

श्री पी० के० चौधरी : एस्टीमेट लगाया होगा उस वक्त क्या था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से सवाल है प्रत्येक मकान के लिए पूछें तो बताया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : एक मकान की कॉस्ट क्या हो सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I want notice for that.

श्री दलीपसिंह (बारां) : इन्डस्ट्रियल टाउन कोटा के लिए क्या रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब हो जावेगा तो वहां भी हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

सन् १९५८ में भरतपुर जिले में बंध का टूटना

२६०. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation please state :—

(1) How many Bunds were breached during the year 1958 in Bharatpur District due to floods ?

(2) How many and which of them will be repaired this year ? Please give the names of the Bunds tehsil-wise ?

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (1) 37 Bunds breached in Bharatpur District due to unprecedented floods during the monsoons of 1958.

2. 10 Bunds named below will be repaired this year upto 31 st

(श्री भीखाभाई)

March, 1959 and the remaining Bunds will be repaired before the monsoons of 1959. Tehsil-wise list of bunds is mentioned below:

Name of Bund.	Tehsil.
1. Dhao Baroli.	Kaman.
2. Kalawata.	,,
3. Alan Pur.	,,
4. Satwari.	,,
5. Chulera.	Deeg.
6. Pasopa.	,,
7. Kurkan.	Nagar.
8. Barah Bandli	Rupbas.
9. Suorana Bund	Bharat-pur.
10. Bansi Bund	Weir

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बीकानेर जामसर सड़क का ठेका

२६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर से जामसर जानेवाली सड़क का ठेका कब दिया गया था ?

(२) उक्त ठेके में सड़क को कब तक समाप्त करने का तय किया गया था ?

(३) वह सड़क अभी तक बनी या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक पूरी हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दिनांक ४ फरवरी, सन् १६५८ को ।

(२) ३ अप्रैल सन् १६५६ तक ।

(३) जी नहीं, कार्य चालू है । अप्रैल सन् १६५६ तक ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह कार्य १६५६ के अप्रैल तक समाप्त हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जामसर तक १५ मील पहुँच जावेगी ।

प्रश्न संख्या २६२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

लूणकरणसर में सेलेनाइट का कारखाना

२६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) लूणकरणसर में सेलेनाइट की खान कब से और क्यों बन्द की गई है ?

(२) यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना कब से खुलेगा ?

(३) क्या इसे चालू करने का सरकार ने कोई आदेश दिया था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास:—उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में) :

(१) दिनांक ५ अक्टूबर, सन् १६५८ से । क्योंकि सेलेनाइट को भेजने का प्रतिबन्ध लगाने से कम्पनी ने खान बन्द कर दी है ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जिस समय कम्पनी को लीज़ दिया गया, उस समय यह एग्रीमेन्ट हुआ था, क्या यह कम्पनी यहां पर इस प्रकार का कारखाना खोलेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया था ५ अक्टूबर १६५८ को यह बन्द कर दिया गया, एग्रीमेंट क्या था, वह मुझे पता नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना खोलने का वादा किया था यह एग्रीमेन्ट में था और उसके अनुसार काम प्रारम्भ नहीं किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि काम प्रारम्भ नहीं हुआ। उस एग्रीमेन्ट के क्या टर्म्स थे, यह मुझे मालूम नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर इस बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते तो सीधा सवाल करते। एग्रीमेंट क्या था और उसमें शर्तें क्या थीं? सप्लीमेन्टरी के रूप में यह सवाल पूछते हैं तो हमारे लिये मुश्किल हो जाता है कि सब एग्रीमेन्ट को हम पढ़ कर आयें, there would have been a proper question for it.

श्री मुरलीधर व्यास : यह खान कब से बन्द पड़ी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५ अक्टूबर १६५८ से।

श्री मुरलीधर व्यास : यह किस कारण बन्द किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस माल के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने से।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रतिबन्ध किसने लगाया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूं भारत सरकार ने।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसके लिये प्रारम्भ में मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि इसे प्रारम्भ की जाय और प्रारम्भ नहीं की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब यह प्रारम्भ कर दी गई और बाद में क्यों बन्द कर दी गई, जब कि हमारे साथ एग्रीमेंट था।

श्री दामोदरलाल व्यास : एग्रीमेन्ट में क्या था, यह मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप मेरे सवाल का जवाब ठीक प्रकार से नहीं दे रहे हैं जब कि मैं एग्रीमेन्ट के लिये पूछ रहा हूं...

श्री दामोदरलाल व्यास : जबाब तो मैं ठीक दे रहा हूँ, सवाल आपका ठीक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने तो कहा था कि भारत सरकार के प्रतिबन्ध लगाने पर बन्द कर दिया है जब कि राजस्थान सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था जहां तक मुझे जानकारी है निश्चित तौर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर मैंने नहीं कहा था कि भारत सरकार द्वारा ही बन्द किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने आपको सूचना दी थी कि राजस्थान सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं तो मैं जानकारी करके करेक्ट इनफोर्मेशन देदूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आप मुख्य मंत्रीजी से पूछ लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुख्य मंत्री जी से भी पूछ लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह उस समय बन्द कर दिया गया जब कि अकाल पड़ा था, मजदूर लोग बेकार घूमते रहे। मजदूरों को सताने के लिये यह किया गया था। मैंने यह साफ प्रश्न में पूछा है कि यह कब से बन्द हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं को राज्य-सेवा हेतु मान्यता

२६४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की क्रमशः प्रथमा, मध्यमा (विशारद), उत्तमा (साहित्य रत्न) परीक्षाओं को सरकार ने राज्य-सेवाओं के लिये मान्यता दे दी है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि भारत के अन्य प्रान्तों ने जैसे उत्तर प्रदेश ने इन परीक्षाओं को राज्य सेवा के लिये मान्यता दे दी है ? यदि हां, तो राजस्थान में अब तक मान्यता क्यों नहीं दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी नहीं।

(२) अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

(३) उत्तर प्रदेश सरकार ने इन परीक्षाओं को राज्य सेवा के लिये मान्यता नहीं दी है। उक्त विषय में अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

बयाना को इलेक्ट्रिक पॉवर देना

२६५. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Electricity be pleased to state :—

Is there any scheme to supply Electirc power to Bayana Town from Bharatpur Power Station or to install a newpawer House at Bayana Town ?

उप मंत्री विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : No Sir.

एक माननीय सदस्य : तो क्या बयाना कोई छोटा गांव है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

शिक्षा विभाग के सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर, लालसोट के विरुद्ध असन्तोष

२६७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सब–डिप्टी इन्सपेक्टर लालसोट के प्रति अध्यापकों में असन्तोष है ?

(२) क्या अध्यापकों के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत न होते हुए भी उनका स्थानान्तरण करा देते हैं ?

(३) क्या यह भी सच है कि एस० डी० आई० अपने घर दौसा में रहते हैं और उपस्थिति लालसोट में दिखाते हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि एस० डी०-आई० समय पर स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं । अलबत्ता गत सत्र में कुछ स्कूलों का निरीक्षण समय पर एज्यूकेशन सर्वे, बेसिक से मीनार आदि के कारण नहीं किया जा सका ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अगर आपके सामने शिकायत पेश की गई तो क्या आप उसकी जांच करायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अवश्य जांच करायेंगे ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या खन्डेला, लालसोट में जो स्कूल हैं सन् १६५८ में छः महिने बन्द रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर्टिक्यूलर स्कूल के बारे में जानकारी नहीं है । आपने डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के लिये पूछा था वह बता दिया । लास्ट इयर डिप्टी एज्यूकेशन इन्सपेक्टर एज्यूकेशन सर्वे और सेमीनार में संलग्न होने के कारण कुछ स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सके । अब उनको यह हिदायत दी गई है कि वे अपने स्कूल्स का समय पर मुआयना कर लिया करें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

भरतपुर जिले में बंजर भूमि

२६८. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation please state :--

(1) Is the Government aware that thousands of acres of land is lying waste in the villages of Ibrahimpur, Chenkora, Mertha, Sukkurpur etc. of Bharatpur Distt. due to inundation ?

(2) Has a representation been made to the Government to prevent this annual menance ?

(3) If so, what steps does the Government intend to take to prevent it ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : 1. No Sir. Only a small area of land of Ibrahimpur, Chenkora, Mertha and Sukkurpur villages of Bharatpur Distt

(श्री भीखाभाई)

has not been timely exposed for Rabi cultivation in 1958-59.

2. Yes Sir.

3. Investigations in the matter have been ordered.

श्री श्रीभानसिंह : Since when the investigations were ordered? Because, in the first year of the Assembly Session, I asked a similar question and then the Hodeble Minister said that they have ordered for its survey and checking......

श्री भीखाभाई : I have not got this information. But I will give this information later.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister is replying that the investigation has been ordered, but on what date ?

श्री भीखाभाई : I have to enquire from the Department about it and then shall let you know.

प्रश्न संख्या २६६.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

ठेकेदारों में बकाया रकम की वसूली

२७०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या खनिज मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या लालसोट के माईनिंग की रकम जिन ठेकेदारों की तरफ ५६, ५७ की बजरी व पहाड़ के पत्थरों की बकाया थी, वसूल होगई ? यदि हां, तो किन किन से और नहीं, तो क्यों ?

(२) यदि वसूली हुई तो कब कब और कितनी तथा बाकी रकम के लिये सरकार क्या कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब प्राप्त नहीं हो सका है इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय ।

प्रश्न संख्या २७१

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित

भाकरी क्वेरी का स्टाफ

२७२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या खनिज मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या भाकरी क्वेरी दौसा के पास वाली खान का स्टाफ स्थायी किया जा चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, खनिज मन्त्री की अनुपस्थिति में) : नहीं । मिनिस्ट्रीयल स्टाफ यानि क्लर्कस इत्यादि के स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है । दैनिक पे वर्क चार्ज स्टाफ का स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह खान गवर्नमेंट द्वारा मैनेज्ड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, भाकरी क्वेरी को पी० डब्ल्यु० डी० ने मैनेज किया था। पिछले तीन सालों के अन्दर मुनाफा कम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

बसेड़ी-बरेठा सड़क के निर्माण में विलम्ब

२७३. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :-

(1) Is the road from Baseri to Baretha via Kot-Bangarra included in the Second Five Year Plan ? If so, why is its construction work being delayed ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. Not included. Question does not arise.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Chief Minister write a letter to the Union Minister, which was handed over to the Minister in the presence of the P. W. D. Minister, that this road will be taken up in the Second Five Year Plan ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी लिखापढ़ी तो चल रही है।

श्री श्रीभानसिंह : Should this House then take it in very plain terms that the Chief Minister wrote that letter in an unofficial capacity that this will be taken up in the Second Five Year Plan ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा लिखापढ़ी चल रही है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : डेफीनेट एश्योरेन्स दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखापढ़ी चल रही है।

श्री श्रीभानसिंह : I mean this privileged term is disliked by this House. I mean the Chief Minister wrote in very plain terms to the Union Minister ?......

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखापढ़ी ५२ से चल रही है। मैंने देखा नहीं उसमें क्या लिखा है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर पूर्व) : I wish to emphasise that to give such dialatory answers deliberately is a sort of disrespect for this House and this habit should be discouraged.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है। दूसरी तरह से है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : For the Hon'ble Minister, it might be nothing insulting but other members will do take it seriously.

श्री पी० के० चौधरी : You are the P. W. D. Minister, you must have seen that......

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे निवेदन किया। भरतपुर से खास तौर से बहुत सी चिट्ठियां आती हैं सड़कों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : अगर आप निश्चित नहीं कह सकते तो कह देते कि ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। This trouble would have been avoided.

श्री श्रीभानसिंह : Well, the Hon'ble Minister said that I also wrote a letter drawing his attention that the Chief Minister gave this assurance and then the Hon'ble Minister replied to me that the matter is being considered by him.

श्री नाथूराम मिर्धा : I have written ?

श्री श्रीभानसिंह : I have drawn his attention towards the letter of the Chief Minister in which he wrote that the road will be taken up in the Second Plan.

श्री नाथूराम मिर्धा : You might have written a letter to me and I might have said that it was being considered but that does not mean that I accepted it......

श्री श्रीभानसिंह : That letter was written when the Second Five Year Plan was re-formulated.

श्री नाथूराम मिर्धा : Even in that reformulated plan, the road is not there.

श्री श्रीभानसिंह : Planning Minister had assured that this road will be taken up in the Second Plan.

श्री अध्यक्ष : That You ask what he does not know.

श्री श्रीभानसिंह : He knows. The letter was handed over in his presence.

श्री अध्यक्ष : It might be under consideration.

श्री श्रीभानसिंह : I will furnish a copy of that......

श्री अध्यक्ष : You can take a notice of it......

श्री अर्जनदास (अजमेर नगर पश्चिम): राजस्थान की जनता को बहुत दिये जाते हैं ऐसे एश्योरेन्स।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है, पर इसमें तो निश्चित चीज की बात है कि लेली जावेगी।

प्रश्न संख्या २७४,

श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

जोधपुर शहर के अध्यापक

२७५. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

जोधपुर शहर की प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूलों के कौन कौन अध्यापक पांच साल व उससे अधिक समय से जोधपुर शहर में ही कार्य करते हैं कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : जब पांच साल से लगातार शहर में काम कर रहा है कोई अध्यापक तो उनका शहर से बाहर ट्रान्सफर नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर तबादला करने की जरूरत नहीं होती, आवश्यक रीज़न नहीं होते तो तबादले नहीं किये जाते हैं ।

श्री बेनाराम गहलोत : रीज़न तो यह है कि जो अध्यापक बाहर गांवों में रहते हैं और जो स्टेडी करना चाहते हैं आगे तो उनको शहर में नहीं भेजने से दिक्कत होती है और उनको सुविधाएं नहीं मिलती, तो उनको भी यह चान्स क्यों नहीं दिया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर अलग से विचार किया जा सकता है ।

श्री बेनाराम गहलोत : यह तो उनके ट्रान्सफर होंगे तो अपने आप हो जावेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किस मास्टर का ट्रान्सफर कराना चाहते हैं, कृपया यह बताइये न ?

(हंसी)

श्री बेनाराम गहलोत : मैं तो आम तौर से बात कह रहा हूं । आपने जो सूची दी है उससे मालूम होता है कि कितने ही अध्यापक पांच साल से अधिक समय से शहर में ही रह रहे हैं, और बाहर गांवों में रहने वालों को और स्टेडी करने वालों को उसका मौका नहीं मिलता ।

श्री दामोदरलाल व्यास: गांव के रहने वालों को स्टेडी करने की इच्छा से शहर में आने देने का मौका दिया जावेगा । ऐसे मामले अगर आवेंगे तो ध्यान दिया जावेगा ।

चांदपोल दरवाजे से गवर्नमेंट होस्टल की सड़क की मरम्मत

डॉ० चन्द्रकला (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) चांदपोल दरवाजे से गवर्नमेंट होस्टल की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत कब हुई थी ?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क की हालत बहुत खराब और काबिले मरम्मत है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक हो जायगी ?

(३) सड़क के बीच से नल आदि लगवाने के लिये खुदाई होने से जो खड्डे बन जाते हैं उन्हें ठीक करवाने की ज़िम्मेवारी किसकी है ? ये खड्डे जल्दी ठीक क्यों नहीं किये जाते ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १६४८ में ।

(२) जी हां । मरम्मत के लिए ठेका दिया जा चुका है । आशा है कि दो माह मे कार्य हो जावेगा ।

(३) जिस विभाग के चार्ज में यह सड़क होती है उस विभाग की खड्डे आदि ठीक करवाने की जिम्मेदारी होती है । सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जा रही है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या

(श्री पी. के. चौधरी)

४८ के बाद, दस साल पीछे मरम्मत का ऑर्डर किया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस रास्ते से आप कभी चले हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रोज जाते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : रात को या दिन को ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २७७

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

रूपवास तहसील की उच्चैन पाठशाला की उच्चतर माध्यमिक पाठशाला बनाने हेतु

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) ; Will the Minister for Education be pleased to state :-

(1) Is the Government aware of the communication difficulties and the increase in the total number of students in the Uchchain School of Rupbas Tehsil ?

(2) If so, does the Government intend to upgrade this school this year into a higher secondary school ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री द्वारा पूछा गया) : (१) जी हां।

(२) इस पर भी दूसरे स्कूलों के साथ विचार किया जावेगा।

जंगलात के रेन्ज

२७६. **रावराजा सरदारसिंह** (श्री लादूराम द्वारा पूछा गया) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जंगलात में ऐसे भी नियम हैं कि जंगलात की रेन्ज एक रेन्जर के लिये कितनी होनी चाहिये और फोरेस्टर एक रेन्ज में कितने रखने जरूरी हैं ?

(२) अगर नहीं, तो जंगलात के रेन्जों का कन्ट्रोल किस प्रकार होता है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कोई खास नियम नहीं है।

(२) हर एक जंगल की परिस्थिति को देखते हुए, उचित व्यवस्था की जाती है।

पाली में पुलिस टूर्नामेंट पर व्यय

२८०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर डिविज़न के पुलिस टीमों का पाली में जो टूर्नामेन्ट हुआ उसमें सरकार का कितना रुपया किस-किस काम के लिये खर्च हुआ ?

(ख) यह भी बतलावें कि इस सम्बन्ध में दौरों में कुल कितना टी. ए. व डी. ए. खर्च हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) पाली में हुए पुलिस ज़ोनल टूर्नामेंट में सरकार का रुपया ५०६७. २६ न. पै. खर्च हुआ। यह खर्चा खेल में भाग लेने वाले व्यक्तियों के टी. ए. व डी. ए. में तथा पुलिस की गाड़ियों में काम आये पेट्रोल की कीमत की अदायगी में हुआ है।

(ख) टी. ए. और डी. ए. में रुपया ४७४६. २६ न. पै. खर्च हुए।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इसके लिये जनता से भी पैसा इकट्ठा किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनता से तो मेरे खयाल नहीं किया गया, मेरी नॉलेज में।

श्री पी. के. चौधरी : पुलिस का फण्ड है, क्या उसमें से भी इसमें खर्च किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस मद से हुआ यह तो मुझे याद नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : पुलिस के पर्सनल कन्ट्रीब्यूशन से यह फण्ड बनता है। क्या इसमें से खर्च किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था क्या ? इसमें पब्लिक से फण्ड वसूल किया गया था क्या ? और अगर किया गया हो और यह साबित किया जाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, एक ही बात है, क्या फर्क है।

वाटर वर्क्स विभाग के बिलों का भुगतान

२८१. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Water Works be pleased to state :-

What are the outstandings of water supply charges on (1) 31.3.55 (2) 31.3.56 (3) 31.3.57 and (4) 31.3.58 against the (i) Ex-Rulers (ii) Municipalities (iii) Government Departments (iv) Goverment Officials (v) Private bodies and (vi) individuals ? The figures for each categories on these various dates may please be given separately.

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : रूलर्स से पैसा दिलाया है। एक लाख इन्क्रीज़ होता जाता है। दूसरे म्युनिसिपलिटीज़ का ऐसा मालूम होता है कि २० लाख ड्यूज इन्क्रीज होते जा रहे हैं। आज सवा करोड़ रुपया ड्यू है। तो इन्क्रीज कैसे होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो चार्ट है इसमें ५५, ५६, ५७ और ५८ के फिगर्स दिये गये हैं। रूलर्स से हर साल एक्ट किये जाते हैं। रूलर्स ने तो अपना करेन्ट ड्यूज़ चुकाना शुरू कर दिया है और पास्ट भी रिकवर हो रहा है। जोधपुर ने पिछले महीने में ७७ हज़ार दिये हैं। तो राजाओं की वसूली हो रही है। म्युनिसिपेलिटियों की हालत खराब है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जयपुर म्युनिसिपलिटी में कितना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष : १,१८,१६,२८५) रु० ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : राजाओं से प्रिवी पर्स में से काटा जा रहा है या वे स्वयं दे रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह भी पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल और प्राइवेट इन्डिविजुअल से कितना बाकी है। इसका जवाब नहीं दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइवेट इन्डिविजुअल की लिस्ट बहुत लम्बी है पर उनमें अधिक समय का बाकी नहीं होता, एक दो महिनों का बाकी रहता है जो आगे दिया जाता रहता है, नहीं तो कनेक्शन कटने का डर रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेंट अधिकारियों का भी रिकवर नहीं होता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये भी इन्डिविजुअल की तरह होते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जिन म्युनिसिपेलिटियों की रकम वसूल नहीं होती क्या सरकार उनकी आर्थिक सहायता बन्द कर देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे तो और भी कई कम्प्लीकेशन्स होंगे। कईयों को सब्सिडी दी है। पर फिर भी उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसलिये उनके एरियर ज्यादा बढ़ते जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : तो फिर ये ड्यूज़ खत्म कर देने चाहिये। माफ़ कर देना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में भी विचार किया जा रहा है कि किस तरह से माफ़ किया जावे या किया जावे तो क्या और कैसे किया जावे। इस पर एक कमेटी बिठा रक्खी है गवर्नमेंट के फाइनेन्सेज़ पर इसके असर को देखने के लिये।

श्री पी० के० चौधरी : म्युनिसिपेलिटीज़ के जो ड्यूज़ हैं एक करोड़ से ऊपर हैं। इसके कलेक्शन के लिये सरकार ने क्या स्टेप्स लिये हैं या लेना तै किया है ? How do you want to recover it ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अर्ज़ किया न कि बहुतसों को तो माफ करना है। अब इसमें किस तरह से क्या किया जाना है यह कमेटी सुझाव देगी तो सरकार उस पर कुछ निर्णय लेगी।

श्री पी० के० चौधरी : Can you disclose the personel of the Committe that is investigating the finances of the Municipalities ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मुझे मालूम नहीं है। उनके नाम याद नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ५७।५८ में कलेक्शन एरियर के पांच-पांच लाख कलेक्ट हो गया है तो क्या यह दिया गया है या राइट ऑफ़ करके बताया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो बुक एडजस्टमेंट होता है अकॉउन्ट का।

प्रश्न संख्या २८२

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८३

श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८४

श्री रामेश्वरदयाल

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

विधायी कार्य

८. ५६. म० पू०

राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १६५८.

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री भीखाभाई

श्री भीखाभाई (उपमन्त्री विद्युत विभाग): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूँ।

९. म० पू०

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड, विधेयक, १६५८.

(प्रवर समिति को देने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो कि अपना प्रतिवेदन मई, १६५९ के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करे प्रवर समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

१ श्री मोहनलाल सुखाड़िया, शिक्षा मन्त्री
२ श्री निरंजननाथ आचार्य, सभापति
३ श्री जनार्दनराय नागर
४ डॉ० चन्द्रकला
५ श्री नारायणसिंह मसूदा
६ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
७ श्री भोलानाथ
८ श्री सोहनलाल भटनागर
९ श्रीमती कमला श्रोत्रिय
१० श्री रामचन्द्र
११ श्री रामचन्द्र चौधरी
१२ श्रीमती प्रभा मिश्रा
१३ कुमारी शन्नोदेवी
१४ श्री दयाकृष्ण विजय
१५ श्री मुरलीधर व्यास
१६ श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१७ श्री गिरधारीलाल
१८ रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१९ श्री फूलजी भाई
२० डॉ० बहादुरसिंह
२१ श्री लच्छूराम

अध्यक्ष महोदय, मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बिल को प्रवर समिति को भेजने के इस

Page No.22

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रस्ताव को रखने में खुशी है। मैं यह मानता हूँ कि यह बिल जो राजस्थान के महत्वपूर्ण सदन में प्रस्तुत किया गया एक प्रकार से हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के सामने इस प्रकार के बोर्ड बनाने की दृष्टि से एक उदाहरण स्थापित करता है। भारत में सन् १९३९ ईसवी से साक्षरता आंदोलन आरम्भ हुआ। भारत में जब पहली बार अर्धराष्ट्रीय सरकारें बनने लगीं तब उनके निर्माण के साथ-साथ सारे हिन्दुस्तान में एक आन्दोलन चलने लगा और वह आन्दोलन था समाज शिक्षा का। उस समय हम लोग यह समझते थे कि हमारी राष्ट्रीय मुक्ति को सफलता पूर्वक और शीघ्र प्राप्त करने के लिए देश के वयस्कों को और देश की वयस्क जनता को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, और एक ऐसा प्रभाव उस समय देश में चला जिससे जगह-जगह हिन्दुस्तान में यह साक्षरता आन्दोलन स्थापित होकर वयस्क जनता को साक्षर बनाने का कार्य आरम्भ हुआ। उस समय के तत्कालीन राजपूताना में कई राज्यों ने उस समय इस आन्दोलन को चलाया लेकिन उस समय हमारी राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि साक्षरता आन्दोलन को ऐसा उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन समझा जाने लगा और अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय के एक दो राज्यों ने तो केवल २२,२३ स्वयंसेवकों की कमेटी बनाने की इजाज़त मात्र दी और उसके अलावा हम लोगों पर भी प्रतिबंध लगाये। तो मुझे सन् १९३९ से लेकर सन् १९४५–४६ तक का समय याद है कि हमारे देश में ऐसा दौर रहा इस साक्षरता आन्दोलन को लेकर कि हमारे कई कार्यकर्ताओं को जो न केवल स्वतंत्रता चाहते थे बल्कि समाज की नई चेतना चाहते थे और सारे समाज का सांस्कृतिक अभ्युदय चाहते थे उसके लिए उनके सामने कई कठिनाइयां आईं। हम लोग इस क्षेत्र में सन् १९२२–२३ से निरन्तर काम करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहते हुए अत्यंत खुशी है कि राजस्थान में न केवल सरकारी प्रयत्नों के द्वारा बल्कि गैर सरकारी प्रयत्नों के द्वारा भी समाज शिक्षण का थोड़ा बहुत काम होने लगा है लेकिन सच बात तो यह है कि समाज शिक्षण के महत्व की ओर जितना ध्यान सरकार को और जनता को देना चाहिए वह अब तक नहीं दिया जा सका है। आज करीब-करीब समाज शिक्षण का कार्य केवल एक शास्त्रोक्त काम माना जा रहा है। आज हम राज्य सरकार को लें, केन्द्रीय सरकार को लें या उन संस्थाओं को लें जहां गत दो युगों से समाज शिक्षण का काम आरम्भ हुआ। इनके बारे में, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस समाज शिक्षण के कार्य पर बहुत ही उत्तरदायित्व से विचार करना चाहिए। आज हमारे देश में वयस्कों और बच्चों की शिक्षा के लिए काफी विचार किया जा रहा है लेकिन देश की जो अधिकांश वयस्क जनता है जिनके मतों से हमारा राज्य बनता है, जिससे हमारी लोकसभा बनी है उसके शिक्षण के लिए अभी केवल प्रसारात्मक दृष्टि से विचार किया जाने लगा है। सन् ३९ से जो वातावरण बनने लगा वह प्रारम्भिक वातावरण था लेकिन आज वह प्रसारात्मक वातावरण कहा जा सकता है लेकिन केवल प्रचार से या प्रसार से समाज शिक्षण के मामले में आगे क्या किया जा सकता है यह एक हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। हमारे देश में काफी संस्थायें ऐसी हैं जो गैर सरकारी प्रयत्नों के द्वारा समाज–

(श्री जनार्दनराय नागर)

शिक्षण के कार्यों को करती हैं। इसके लिए दिल्ली में ऑल इन्डिया एडल्ट एज्युकेशन और बम्बई राज्य में समाज शिक्षण समिति और दिल्ली राज्य में समाज शिक्षण समिति हैं जो आज काफी प्रसिद्ध संस्थायें हैं। यों तो और भी कई संस्थायें हैं जिन्होंने उन दिनों में समाज शिक्षण का कार्य किया जब कि यह केवल खयाल ही खयाल था। आज राज्यों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं और इन संस्थाओं द्वारा जो कि गैर सरकारी हैं उनके द्वारा भी प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत यह है कि समाज शिक्षण के मामले में न उनके सामने कोई आधारभूत बात मालूम होती है और न प्रयत्नों का समन्वय ही होता है। अध्यक्ष महोदय, जब इस बिल को प्रवर समिति में रखने का मैं प्रस्ताव रख रहा हूं तो सारे देश में समाजशिक्षण की दृष्टि से जो काम करने वाले हैं, जो समाज के काम करने वाले हैं वह यह महसूस कर रहे हैं कि समाज शिक्षण का काम और प्रयोजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सब यह मानते हैं कि हमारे समाज की शिक्षा का काम करने वाले हैं वह अनुभव करते हैं और आज जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वह भी बहुत महसूस करते हैं कि जो समाज शिक्षण का काम है वह हमारे जनतंत्र को नवोदित करने के लिए अत्यंत पुष्ट काम है। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिससे उत्तरदायित्व ढंग से यह काम हो सके और केवल यही नहीं अध्यक्ष महोदय बल्कि काम में शास्त्रोक्त दृष्टि से अनुसंधान हो और नये तौर तरीके प्राप्त किये जायें। इन तमाम दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो सदन के कानून के ज़रिये राजस्थान में समाज शिक्षण का कार्य करे। तो अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है कि जो प्रस्ताव है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं आज यह मानता हूं कि बच्चों की शिक्षा के मामले में और युवाओं की शिक्षा के मामले में भारतवर्ष में काफी विचार किया जा रहा है और उसके अन्दर कुछ हल्के फुल्के सुधार उसके अन्दर किये जा रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि समाजशिक्षण के मामले में केवल हमारी रुचि ही रुचि है और दिलचस्पी है और यह काम हमारी इधर उधर बिखरी हुई कुछ संस्थाओं के जरिये होने लगा है उनमें विकास खण्ड भी सम्मिलित हैं। विकास खण्डों के द्वारा जो समाज शिक्षण का काम होता है मैं मानता हूं कि विकासखण्ड केवल प्रचारात्मक कार्य के लिए हैं और उनका लक्ष्य केवल इतना है कि विकास खण्डों में जो विकास की प्रवृत्ति है और जो वातावरण पैदा किया जाना चाहिए उसके लिए यह हरावली है। अध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय सोशियल एज्युकेशन की टेक्निकल समिति का सदस्य हूं उसमें बराबर यह काम आता है कि विकास के जरिये जो काम आ रहे हैं उनके लिए अधिक विकसित क्या काम किया जाये। लेकिन हमें कहा जाता है कि ऐसा नहीं है। एक विकास खण्ड में ७०–८० हज़ार का सालाना का बजट इसके लिए रखा जाता है और इस धन के लिए आप मानेंगे कि यह बहुत ही कम है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम बच्चों के शिक्षण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए करोड़ों रुपयों की धनराशि रखते हैं, वहां समाज शिक्षण का बजट कुल ब्लॉक्स में मिलाकर रखते हैं वह बहुत कम है। इधर तो

(श्री जनार्दनराय नागर)

हम जनतंत्र की बातें करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जनतंत्र को बनाने वाले वयस्क शिक्षित हों और यह समझें कि समाज की प्रगति के लिए उसे ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरुरी है। और उधर हम जब उनके शिक्षण के लिये कोई प्रावधान रखते हैं, कुछ स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, कोई संगठन करना चाहते हैं तो उसके लिये न्यूनतम धनराशि रखते हैं। इससे साफ़ साबित है कि चाहे विकास खंडों में समाज शिक्षण का काम होता हो लेकिन आज जो लोग समाज संचालन का काम धारण किये हुए है और जो समाज का हित चिन्तन करते हैं उनमें समाज शिक्षण के बारे में इतनी शक्ति नहीं आई है। इसलिये मैं मानता हूं कि राजस्थान में आज ऐसी स्थिति आई है कि समाज शिक्षण की और सक्रिय कदम बढ़ाना पड़ेगा जिससे कह सकें कि समाज शिक्षण को उत्तरदायित्व से संगठित किया है।

दूसरी बात यह है कि सन् ५६-६० में व्यवहारिक संगठन नहीं करते है राजस्थान में उसको व्यापक नहीं करते है तो हम राजस्थान में समाज के विकास के कार्य को और आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि विकास के हर कदम पर इस बात की कठिनाई आती है कि वयस्कों को समझना चाहिये। आज विकास का काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्त्ता है और वहां पर जो संगोष्ठियां होती है उनमें एक बात कही जाती है कि विकास के मामले में एक वायुमंडल होना चाहिये एक फिजा होनी चहिये। जिन लोगों के द्वारा विकास किया जा रहा है उनमें मानसिक इन्कलाब आना चाहिये, परिवर्तन आना चाहिये, चेतना आनी चाहिये। मेरी निश्चित मान्यता है कि समाज शिक्षण के बिना यह काम नहीं हो सकता। मैं इस तरफ जब देखता हूं, इस तरफ होने वाली कोशिश को देखता हूं तो अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है कि समाज शिक्षण के मामले में समुचित दृष्टिकोण ठीक नहीं है, इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता हैं। नीचे हमने प्राथमिक शिक्षण के दृष्टिकोण को बदला और यह माना है कि इसको बेसिक शिक्षा के आधार पर करना चाहिये। सेकन्ड्री एज्युकेशन के मामले में भी हमने काफ़ी सुधार किया है, और उच्च शिक्षा से भी नई शिक्षण प्रणाली को शुरु किया है, लेकिन जब ८० फी सदी वयस्कों के शिक्षण की बात करते है तो हमारा दृष्टिकोण प्रचारात्मक रहता है। मैं मानता हूं कि एक ब्लॉक में यदि हम २५,०००)रुपये इस काम पर खर्च करते हैं तो यह काम होने का नहीं है। सच बात तो यह है कि समाज शिक्षण का काम भारतीय जनता के आत्मदर्शन का काम है। हज़ारों वर्षों से जनता दबी हुई थी। उसको हमने संगठित किया। हमने जनता को विधि दी, कानून दिया। हमने केवल आज ही नहीं बल्कि सदियों से जनता को यह कहा कि तुम यहां उठो तुम यहां बैठो, यह करो वह करो। और जनता हमारी बात मानती आई है। लेकिन जब सामान्यजन थोड़े थोड़े उठते है तो वे अपनी चेतना में वास्तविक शक्ति लाते हैं, संस्कृति लाते हैं। आज जनता के प्रतिनिधियों द्वारा काम करना पड़ता है तो मैं मानता हूं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी अनुभव करते हैं और मानते हैं कि निश्चित रूप से संशोधन करना चाहिये। यदि यह स्वीकार करते हैं कि जनतंत्र के इस युग में सारे दृष्टिकोण को तब्दील करना है। मैं यह मानता हूं कि समाज शिक्षण के काम को

(श्री जनार्दनराय नागर)

उच्च शिक्षण से अधिक माना चाहिये और सेकन्ड्री एज्युकेशन के काम से और प्राथमिक शिक्षण के काम से अधिक महत्वपूर्ण इसको मानना चाहिये । आज राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक से अधिक बच्चे भेजे गये है तो मान लीजिये कि १० लाख से ज्यादा नहीं भेजे गये होंगे । । लेकिन वयस्कों की संख्या लाखों तक जाती है , मैं मानता हूं कि लाखों वयस्कों के लिये राज्य में गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ काम करना चाहिये, इसके लिये उपाय करना चाहिये, धन राशि के लिये सगठन करना चाहिये ताकि शिक्षा की कमी को दूर किया जा सके । वयस्क एक उच्च मानस, नये समाज और नये राज्य की आवश्यकता को महसूस करते हैं क्योंकि वे सदियों से पिछड़े हुए हैं उसको वे पूरा करना चाहते हैं और वयस्क जनता को आशा है कि उनका मायना पूरा होगा । उनको उम्मेद है कि उनका कुछ काम होगा और सदियों से पिछड़े हुए होने के कारण जो अंधेरा है वह दूर होगा, लेकिन जो साझेदारी होनी चाहिये वयस्क जनता में उसे आज दिन तक उत्पन्न नहीं कर पाये हैं । उसका प्रमाण यह है कि आज सार्वजनिक क्षेत्र में जिस प्रकार की प्रवृत्तियें उठ रही हैं और जिस प्रकार की गतिविधियां और हलचलें देखने को मिलती है वे साबित करती हैं कि समाज कल्याण के संचालकों को विचार करने वालों में और जिनके लिये विचार किया जाता है उनमें कोई मानसिक सम्बंध नहीं है, सांस्कृतिक सम्पर्क नहीं है, अंदर का तार मिला हुआ मालूम नहीं होता । इसलिये यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शहरों में कुछ शिक्षित लोग मिलते हैं और सारे हिन्दुस्तान में शिक्षित जनता का परिमाण लिया जाय तो आप मानेंगे कि वह इतना शोचनीय है कि शिक्षित जनता और अशिक्षित वयस्कों के बीच में सदियों का अंतर है । इसको यदि पूरा करना चाहें तो उसके लिये हमारे पास क्या साधन है ? केवल एक साधन है और वह यह कि समाज शिक्षण के कार्य में अधिक से अधिक तेजी लाई जाय और उसके लिये अधिक से अधिक साधन जुटायें जांय । लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसके लिये एक अलग बोर्ड नहीं बनादें जो उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उसे चलावे । जब माध्यमिक शिक्षा का सवाल आया तब भारत सरकार ने उसके लिये एक कमीशन बैठाया जिसने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश की वह मंजूर हुई सेन्टर द्वारा और अनेक राज्यों ने भी उसको मंजूर किया । राजस्थान सरकार ने भी इसको राजस्थान में लागू करके अलग बोर्ड बनाया । आज विश्वविद्यालय के शिक्षा के मामले में विचार किया जा रहा । मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, कि जब हम समाज के उठते हुये पौधों के बारे में विचार करने लगे हैं तो जो जनतंत्र का प्राण है, जो जनतंत्र का हाथ है, उसका पांव है, जो उसका बाहु है, उसका जी मुख है, जो शक्ति है, गति हैं, और चेतना है उसके लिये उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से विचार नहीं कर पाते हैं । इसलिये मैं निश्चित हूँ कि इस प्रकार का एक बोर्ड हमें अपने राज्य में बनाना चाहिये । मैं यह मानता हूँ कि राजस्थान राज्य इस प्रकार का बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य होगा । अन्य राज्यों में परामर्शदात्री संस्थाएं हैं । विकास खंडों में भी सलाहकार समितियां थोड़ा बहुत विचार करती हैं, लेकिन राज्य स्तर पर चाहे केन्द्रीय सरकार का प्रश्न हो, चाहें राज्य सर-

(श्री जना नराय नागर)

कार हो, परामर्श करती है। राज्य सरकार की नीति है कि समाज शिक्षण के कार्य को राज्य सरकार अच्छी तरह से नहीं चला सकती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बड़े राजस्थान के समय समाज–शिक्षण के लिये डेढ़ दो लाख रुपये अलग रखे हुए थे। उसके बाद में विकास खंडों में समाज–शिक्षण कार्य को डाल दिया गया। उसको वे करें, इसमें मुझे ऐतराज़ नहीं है लेकिन जब हम अखिल भारतीय स्तर पर समाज–शिक्षण के स्थायी प्रबन्ध पर विचार करते हैं तब कम्युनिटी प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए जवाब नहीं दे पाता। आखिर इतने कम धन में, इतने कम कार्यकर्ताओं में समाज–शिक्षण का काम कैसे होगा। मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि केवल १५ रुपये दिये जाते हैं और कहा यह जाता हैं कि कोई मास्टर हो, कोई पढ़ा लिखा हो, उसे १५ रुपये दे दिये जाय और रात में एक लालटेन या गेस लेकर १५, २० वयस्कों को लेकर समाज–शिक्षण दे। समाज–शिक्षण के काम में तब्दीली हुई है, अध्यक्ष महोदय, और इसे करीब करीब एक शास्त्र मान लिया है। समाज शिक्षण की देशव्यापी सेमीनार होती है। हमारे यहां भी डबोक में अखिल भारतीय समाज शिक्षण संस्थाओं की सेमीनार हुई थी। इस सेमीनार का विषय यह था कि भारतीय विकास में समाज शिक्षण का क्या स्थान है। डबोक में १० दिन तक समाज–शिक्षण शास्त्रियों ने इस बात पर विचार किया कि जो देश व्यापी राष्ट्र–निर्माण का कार्य हो रहा है, उसमें समाज–शिक्षण का क्या काम है। उसकी रिपोर्ट आप देखें, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र–निर्माण के हर कदम में, हर स्तर पर, राष्ट्र निर्माण का काम समाज–शिक्षण के बिना हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, हम एक रास्ता, एक मंजिल पार कर रहे हैं, वह अंधेरा रास्ता है, वह अंधेरी मंजिल है, हमारे समाज शिक्षण का दीपक नहीं है। हम उस रास्ते को पार नहीं कर सकते। इसी तरह से जो विकास का काम हो रहा है, लेकिन हमारे मन में एक अंधेरा है। वह अंधेरा हमारे अन्दर, मेरे और आपके अन्दर नहीं, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, लेकिन जो भारतवर्ष की वयस्क जनता है, वह मानसिक अंधेरे से ग्रसित है। इस अंधेरे रास्ते को पार करने के लिए यह जरूरी है कि समाज-शिक्षण का दीपक हर विकास के काम करने वाले के हाथ में होना चाहिये।

मैं मानता हूँ कि राजकीय स्तर पर कुछ प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन वे प्रयत्न इतने नाकाफी हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि राज्य ने केवल प्रचार के लिए, केवल एक विज्ञापन के लिऐ इस काम को रख छोड़ा है। हमारे ब्लाक्स के अन्दर दो समाज–शिक्षण अधिकारी होते हैं, जिनको १०० रु० से २०० रु० की वेतन ग्रेड में वेतन मिलता है। मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिक शाला का जो हैड मास्टर होता है, वह ८० रुपये पाने वाला है, हायर सेकन्डरी स्कूल के प्राध्यापक को २०० रु० से ४०० रु० का ग्रेड देते हैं, माध्यमिक शाला के प्रिन्सिपल को ३०० रु० से ६०० रु० की ग्रेड देने का विचार करते हैं, और जब समाज–शिक्षण में काम करने वाले व्यक्तियों का सवाल आता है तो राज्य में जो जिम्मेदारी से सोचने वाले हैं, उनका दिमाग धक्का खाता है और वह धक्का इतना ही है कि उन समाज–शिक्षण का काम करने वाले व्यक्तियों को १०० रु० से २०० रु० का ग्रेड दिया जाय। अभी कुछ

(श्री जनार्दनराय नागर)

दिनों पहले सौराष्ट्र के एस०इ० ओ० से बात करने का मौका मिला। उदयपुर में विस्तार सेवा का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। उसमें सारे हिन्दुस्तान से बी० डी० ओ० आते हैं और एस० इ० ओ० का रिफ्रेसर कोर्स करते हैं। उनसे मालूम हुआ कि समाज शिक्षण में काम करने वाले व्यक्तियों को १०० रु० से २०० रु० का ग्रेड मिलता है। दो समाज–शिक्षण अधिकारी विकास खंडों में रखे जाते हैं। कम्युनिटी प्रोजेक्टस में भी दो से तीसरा व्यक्ति वहां नहीं होता है। उनकी ग्रेड १०० से २०० होती है। वे व्यक्ति बी० डी० ओ० का काम करते हैं। समाज शिक्षण के लिए इतना कम धन दिया जाता है, और गैर सरकारी समाज शिक्षण का काम करने वाली कोई एजेन्सी नहीं है, तो निश्चित मानिये कि जो १५ रु० का अलाउन्स दिया जाता है और गांव में एक खपरैल के नीचे एक कम्युनिटी सेन्टर रखते हैं और उस व्यक्ति को १५ रु० अलाउन्स के मिलते हैं। यह कहा जाता है कि यह कम्युनिटी सेन्टर स्थापित किया गया है। मैं मानता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि राज्य विकास खंडों में जो राज्य सरकार समाज–शिक्षण का काम कर रही है, उससे तो गैर सरकारी संस्थायें अच्छी है, जो एक साल के अन्दर २०, २५ हज़ार रुपये खर्च करके समाज–शिक्षण का काम करती है। एक संस्था हमारे यहां भी चल रही है, जिस पर हम ४५ हज़ार रुपया खर्च करते हैं लेकिन विकास खंड में पांच साल में जाकर कहीं इतना खर्च होता है। इसलिए समाज–शिक्षण का उद्देश्य होते हुए भी, यह मन्शा होते हुए भी, एक मानसिक सच्चाई होते हुए भी सत्य बात तो यह है कि एक कंगालियत के साथ राज्य सरकार समाज–शिक्षण का काम कर रही है। यह वही बात है कि श्री कृष्ण सुदामा के घर गये थे, वहा उन्हें ५६ पकवान नहीं मिले मामूली सा भोजन उन्हें वहां मिला। अगर जनता को श्री कृष्ण समझते हैं, तो उसकी उत्तरदायी राज्य सरकार है, और जनता का श्री कृष्ण राज्य सरकार की पौरीपर आकर खड़ा हुआ है। हमारी राज्य सरकार समाज–शिक्षण के लिए जो साधन और सुविधायें देती है, वे नाकाफी है। वह दयनीय है और वह जनता का अपमान करने वाली बात है। आप ईमानदारी से चाहते हैं कि समाज–शिक्षण का कार्य हो, उसमें नये नये प्रयोग करें, नये तौर तरीके प्राप्त करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज समाज–शिक्षण केवल ख्याल नहीं है। वह अब शास्त्र होता जा रहा है, वह शास्त्र जनता का शास्त्र है। आज सारे हिन्दुस्तान में यह शास्त्र माना जा रहा है। यदि कोई कहे कि हमें किसी के प्रत्यक्ष की आवश्यकता है, जिसके प्रत्यक्ष की भारतवर्ष को जरूरत है। मैं भारतवर्ष की बात नहीं कह रहा हूँ। भूमंडल में भी अगर प्रत्यक्ष करना है, किसी से साक्षात्कार करना है, तो वह तत्व है, वह धरातल है, जनता। इस बात को हम सदियों से महसूस करते आ रहे हैं। वेद के एक मन्त्र का मैं जिक्र करना चाहता हूं। वेद में अनेक मंत्रों के बाद एक मंत्र आता है, "कस्मै देवाय विधेम:" मैं किस देवता की उपासना करता हूं यह वेद में मंत्र में पूछता है। हमने उपासना की है, सदियों से उपासना की है, आज से नहीं, जब धरती पर मनुष्य पैदा हुआ, उस युग से की है। हमने उपासना की है, तो एक सम्राट की उपासना की है, पत्थर से गढ़े हुए देवता की मूर्ति की उपासना की है। आज जन–युग में जब जन-

(श्री जनार्दनराय नागर)

देवता का आविर्भाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमको जनता की उपासना करनी पड़ेगी, जनता का साक्षात्कार हमें करना चाहिए।

(हंसी)

इस बात से बहुत से लोगों को ताज्जुब हो सकता है, बहुत लोग हंस सकते हैं क्योंकि जनता के प्रति हमारा हंसने का तरीका रहा है। मैं निवेदन करूं कि जनता एक अत्यन्त कठिन वस्तु है, और जनता एक अत्यन्त सरल तत्व है। सरल इस मायने में है कि सम्राटों के एक आदेश पर अपने खून को पसीने के समान देते रहे हैं, लेकिन जब जनता जागती है तो वह कठिन तत्व हो जाती है। आज जनता भारतवर्ष में नहीं, राजस्थान में नहीं, दुनियां में जागी है। जनता आज सारी शक्ति के साथ जाग रही है। आप और हम चलते हुए पिछड़ जायेंगे, लेकिन जनता अब पीछे नहीं रहेगी। जनता अब जाग गई है, वह बढ़ती जायगी। इसलिए हमें यदि साक्षात्कार करना है, तो वह जनता से साक्षात्कार करना है। मैं मानता हूं कि पत्थर के देवताओं से हमारी अन्तर आत्मा में सत्य का प्रकाश नहीं होने वाला है। जब देश में सम्राटों का युग था, सम्राट और देवताओं को मान कर चलते थे, उनको अपने खान-पान और वेश–भूषा का ख्याल था, लेकिन जनता का विचार नहीं था। जनता के भगवान तो रैदास की कटौती में से निकले, जिसमें चमड़ा भिजवाया जाता था। आज जनता के भगवान को प्राप्त करना है, राष्ट्र के निर्माण के लिए अन्तरात्मा में प्रकाश करना है, चिन्तन प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करनी है तो निस्सन्देह जनता से साक्षात्कार करना पड़ेगा। यह एक प्रश्न है और मेरा चैलेंज है कि हमें जनता से साक्षात्कार करना पड़ेगा। आज संसार की सभ्यता में मोड़ लाने की आवश्यकता है। मैं बहुत वेदना के साथ सदन के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आज मानसिक चिकित्सा करने की आवश्यकता है। मैं आज देखता हूं कि जनता से साक्षात्कार करने की आज के समाज चिन्तकों को चिन्ता नहीं है। हमारे राज्य कर्ताओं के दिल में जनता के प्रति एक दर्द हो। उनके सामने जनता का सवाल तब होता है जब कि वे वोट प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन जनता के वोट किस चिन्तन से मिलने चाहिए, किस खूबसूरती से मिलने चाहिए, किस अन्दाज से मिलने चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज जब मैं बहुत से लोगों को उपासना और तपस्या करते देखता हूं, वे व्यक्तिगत रूप में भगवान की तलाश में, इस फिक में एक अजीब वेश-भूषा में देश की धरती पर, सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो मुझे हंसी आती है। हमें और आपको जनता के भगवान का साक्षात्कार नहीं मिल सकता। यह साक्षात्कार प्राप्त करने का एक सीधा सा साधन है, एक उपाय है, यह एक मिशन से हो सकता है, और वह केवल समाज-शिक्षण के काम के द्वारा समाज-शिक्षण के जरिये मिल सकता है। मैं मानता हूं कि जनता ने स्वयं कई बार निस्सन्देह समाज के तौर-तरीकों को बदला है, कई बार जनता ने नक्शे बदले हैं, लेकिन जनता स्वयं कुछ प्राप्त नहीं कर सकी। जनता का समाज-शिक्षण के काम के आधार पर सुधार हो। मानसिक ईमानदारी से राजकीय संस्थायें और गैर सरकारी संस्थाएं काम करने लगें तो राज्य की जनता से हम साक्षात्कार प्राप्त कर सकेंगे और यह सबसे

(श्री जनार्दनराय नागर)

बड़ी बात होगी, इससे जनता स्वयं को प्राप्त करेगी। लेकिन लाखों और करोड़ों जो वयस्क हैं, उनके मन के अन्धेरे को हम दूर करना नहीं चाहते। जिनके मन में अन्धेरा नहीं होता, वे थोड़े बहुत शिक्षित व्यक्ति शहर में रहते हैं। उनके मन के अन्धेरे को दूर करने के बारे में विचार करें, उनके अन्दर एक गति पैदा हो, उनमें एक शक्ति पैदा हो, उनके मन में एक जोश हो, तो वे देश के निर्माण में काम करने लगेंगे। मैं समझता हूँ कि हर बात के लिए जनता की संगठित शक्ति की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं,

(हंसी)

जो धन से दुनियां को बदलने जाते हैं, जो दान–पुण्य करते हैं। दान पुण्य वे करते हैं, जो धनिक हैं। उपदेश वे देते हैं, जो वैभव शाली है। जिन लोगों के पास शोषण से कमाया हुआ धन है, वे अपनी अन्तरात्मा में व्यक्त अपराध को अन्धकार को दूर करने के लिए, अपनी अन्तरात्मा की अग्नि को बुझाने के लिए दान–पुण्य करते हैं। (तालियां) मेरा चेलेंज है कि जो दान–पुण्य से हिन्दुस्तान के अन्दर एक मोड़ लाना चाहते हैं, वे नहीं ला सकते। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि दान–पुण्य के आदर्शवाद से समाज नहीं बदल सकता। आज आदर्शवाद की जड़ हमारी जनता के दिल में नहीं है। जब तक समाज के अन्दर से अन्धकार दूर न हो, आदर्शवाद की बात फलीभूत नहीं हो सकती है। आदर्शवाद की पूर्ति मनसूबे से नहीं होती। इसमें तो प्रेम का रक्त देना पड़ता है। इसलिए जनता में अगर आदर्श लाना चाहते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा, निरन्तर प्रयास करना पड़ेगा। आज जनता के नेताओं को, जनता के संचालकों को, भाग्य निर्माताओं को देखते हैं तो...

एक माननीय सदस्य : वे ढोंगी हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं भी उनमें से एक ढोंगी हूं। सब कुछ उनके पास है, सेमीनार में जाते हैं, गोष्ठियों में बैठते हैं पर उनके दिल में अन्धेरा है, खोखलापन है। जनता का नेतृत्व, विकास, सर्वोदय करना चाहते हैं, उनके दिल में दीपक नहीं है, उनके हृदय–मंदेर में कोई देवता नहीं है। देवता हमारे दिल में बहुत से आये और चले गये, आज हिन्दुस्तान से प्रकाश चला गया है और भगवान् पत्थर का बन कर मन्दिर में बैठ गया है। यदि हृदय में जनता के लिये दर्द है तो जनता को चेतनशील बनाना पड़ेगा, जनता को शक्ति देनी पड़ेगी। विधान सभाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा थोड़ी बहुत सांस्कृतिक हलचल से जनता के अन्दर जो शक्ति है वह विकसित होगी, जनता का सांस्कृतिक विकास होगा, यह नहीं समझें, इसके लिये आपको जीवन पर्यन्त सतत प्रयास करना पड़ेगा, निरन्तर कार्य करना पड़ेगा। साक्षरता और प्रौढ़–शिक्षण के काम चले गये, अब तो समस्त जीवन के शिक्षण के लिये काम देना है। वही समाज–शिक्षण का काम है, वह निरन्तर करने का काम है। अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि आज संसार ज्ञान-विज्ञान की ओर निरन्तर आगे बढ़ रहा है। आज से १० वर्ष पहले चन्द्रलोक, मंगल लोक में जाने की बात नहीं सोच सकते थे पर आज से २५ साल बाद संभवतः यह संभव हो सकेगा।

सरकार का भी इसके साथ वैसा ही सम्बन्ध है जैसा देवदासी का सम्बन्ध होता

(श्री जनार्दनराय नागर)

है मन्दिर से। मैं अपने मित्रों को अधिक से अधिक समझाना चाहता हूं। हमारे मन का मन्दिर है उसमें एक नये देवता की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, और वह हमारा देवता, जनता है। उसी को हम देवता के रूप में अपने मन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। पर इस देवता को प्रतिष्ठित करने के लिये, अपने मन–मन्दिर में प्रतिष्ठित करने के लिये, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक मन्दिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिये न मालूम क्या-क्या करना पड़ता है। मूर्ति की प्रतिष्ठा के अवसर पर कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। उसी तरह आज हमारे दिल में जनता के देवता की प्रतिष्ठा करने के लिये संगठित सांस्कृतिक शिक्षण के कार्यों के जरिये, निरन्तर मनोभिता के जरिये, जिसमें नये नये तौर–तरीके, साज–बाज हों, उनके ज़रिये इसके लिये काम करने की आवश्यकता है। यह सब करने के लिये इस बिल को मैंने सदन के सामने रखा है। इसके लिये अभ्यास क्रम बनाना चाहता हूँ। इस बिल को प्रवर समिति में सौंपा जाय ताकि प्रवर समिति सब बातों पर विचार कर के इसको सदन में प्रस्तुत करे। मुझे इस बात का लालच पैदा हो गया है कि हम राजस्थान में सांस्कृतिक शिक्षण के लिये ऐसा बोर्ड बना सकें जो हायर सेकेन्डरी बोर्ड की तरह का बने। मैं मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर कृषि क्रान्ति होने लगी है। मैं मानने लगा हूं, अध्यक्ष महोदय कि इस क्रान्ति के साथ-साथ राजस्थान में सामाजिक क्रान्ति, राजस्थान के सामाजिक जीवन में क्रान्ति लाने का प्रयास करना चाहिये। इसी मंशा से मैंने इस सदन में इस बिल को पेश किया है, और मित्रों से निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजें ताके हम ऐसा ढांचा तैयार कर सकें कि "कस्मै देवाय विधेम:" हम किस देवता की उपासना करें।

मैं मेरे मित्रों को जो इसमें साझेदार हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जनता, इस राज्य और सारे भारत की जनता हमारी देवता है। हम केवल बातें करके। इस देवता की उपासना नहीं कर सकेंगे। हमें तन, मन व धन से जनता के देवता का साक्षात्कार करना होगा, और वह हम तभी कर सकते हैं जब कि जनता का सांस्कृतिक शिक्षण किया जाय, सरकार और हमें सबको मिल कर यह कार्य करना है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल के विरोध में नहीं हूं, पर इसमें एक ऑब्जेक्शन है वह पेश करना चाहता हूँ। वह यह है,

Article 207 of the Constitution :—

"(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council" इसी तरह सब-क्लॉज (३) आता है।

(3) "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill."

(श्री सोहनलाल भटनागर)

तो, माननीय अध्यक्ष, मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नर ने रिकमन्डेशन दी कि नहीं, क्योंकि इसमें कन्सोलिडेटेड फंड से काफी खर्चा करने का प्रावधान है। वैसे माननीय सदस्य जिन्होंने यह बिल रखा है वे इसके लिये इच्छुक हैं उसी तरह हम भी इच्छुक हैं, पर यह टैक्निकल ऑब्जेक्शन रह जाता है तो फिर दिक्कत पेश आयेगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : You have murdered the Bill here and you say you are not against the Bill.

श्री अध्यक्ष : बिल के किस प्रोविज़न के माफिक आप समझते हैं कि यह वैधानिक आपत्ति आती है ?

श्री सोहनलाल भटनागर: सारा खर्चा कन्सोलिडेटेड फंड से होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्लॉज़ बताइये।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्लॉज़ "३१ वेतन और भत्ते" इस तरह का सारा खर्चा देने का इसमें है। वह सब कहां से आयेगा ?

Then this Bill does require the sanction of the Governor.

श्री भैरोंसिंह : समाज दे देगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : सारे फंड्स तो आयेंगे स्टेट से। ३१ हैं, इसके साथ ही बोर्ड निधि का गठन, यह है। यदि माननीय सदस्य जिन्होंने यह बिल रखा है कहें कि सरकार से बोर्ड कुछ नहीं लेगा तो मैं इस ऑब्जेक्शन को विद्ड्रा करने के लिये तैयार हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सरकार से रुपया लेना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सरकार तो अभी भी समाज-शिक्षण का कार्य कर रही है। इस बिल में तो एजेंसी बनाई जा रही है। सरकारी और गैर सरकारी मशिनरी के ज़रिये समाज-शिक्षण का कार्य चलाया जाय यह इसमें है। सरकार के खर्च का इसमें सवाल नहीं आता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

Constitutional objections cannot be explained away. Let the Chair give a ruling about the constitutional objection.

श्री अध्यक्ष : इस बोर्ड के फंड्स के बारे में क्या प्रोविज़न है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : बिल में कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि सरकार से समस्त निधियां आयेंगी।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है उनसे मैं सदन की जानकारी के लिये यह जानना चाहूँगा कि किस प्रोविज़न के द्वारा सरकार बाध्य होगी धन देने के लिये ?

श्री सोहनलाल भटनागर : क्लॉज़ १० है। बोर्ड की निधि गठित की जायगी और समस्त धन–राशियां बोर्ड के खाते में जमा कराई जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : सारा बिल है उससे यह स्पष्ट है कि सरकार पर यह खर्चा होगा। जब कहीं से लेना नहीं चाहते तो कन्सोलीडेटेड फन्ड से....

श्री पी. के. चौधरी : Mover of the resolution, in the course of his speech, has stated that it may be given from the Government.

श्री अध्यक्ष : He may have said anything, but we are concerned with the provisions of the Bill.

एक माननीय सदस्य : क्लॉज़ १० में कोई ऐसी बात नहीं है। पैसा कहां से प्राप्त होगा ?

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु.): फन्ड नहीं हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ठेका देकर फन्ड प्राप्त कर लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर चाहें तो इसके बारे में देख कर बता दें। माननीय सदस्य चाहे तो बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल तो नहीं देखा मगर बोर्ड में जो जो ऑफिसर्स होंगे और मीटिंग में जावेंगे तो उनके टी. ए. और डी. ए. के चार्जेज़ जब तक बोर्ड की फाइनेन्शियल लाएबेलिटीज़ को देखते हुए जो अधिकारी आवेंगे वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एजेन्सी द्वारा ही दिये जावेंगे।

जब बोर्ड के पास पैसा नहीं होगा तो बोर्ड टी. ए. और डी. ए. कहां से देगा, फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन किस पर होगा ? बोर्ड कहां से टी. ए., डी. ए देगा जब उसके पास फन्ड नहीं है। तो ऐसी हालत में वह रकम गवर्नमेंट फन्ड से ही पे होगी। बोर्ड के पास तो कोई फन्ड है नहीं। फन्ड जितना है गवर्नमेंट के पास है। इसलिये यह गवर्नमेंट की लाएबेलिटीज़ है। इसके लिये गवर्नर से जब तक पर्मिशन नहीं आवे तब तक यह अवैधानिक होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड बनेगा उसमें जो समाज कल्याण की शिक्षाओं में परीक्षा होगी उसकी फीस के पैसे होंगे और इसके अलावा, और लोग भी चन्दा देते है, वह भी आवेगा। अगर कन्सोलिडेटेड फन्ड गवर्नमेंट पे करेगी तो यह दूसरी चीज़ होगी। बोर्ड गवर्नमेंट से जितना पैसा लेगा वह समाज-शिक्षण में खर्च करेगा। यह तो काम सहयोग से होगा और सारे मिल कर समाज-शिक्षण का कार्य करेंगे। इसका असर यह भी होगा कि सबको एक जगह बैठ कर सोचने का अच्छा तरीका होगा। इसलिये यह जो प्रश्न उठाया गया है यह उठना ही नहीं चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : मैं आपका ध्यान अध्याय ३ निधि, लेखे और ठेके की ओर दिलाना चाहूँगा। क्लॉज़ ११ में "बोर्ड निधि की अभिरक्षा तथा उसका विनियोग : (१) बोर्ड निधि में जमा समस्त धनराशियां, सिवाय ऐसी धनराशियों के जो दैनिक व्यय के लिये अपेक्षित हो, किसी अनुसूचित बैंक के चल या बचत बैंक लेखे में जमा की जावेगी। बोर्ड का अलग अकॉउन्ट होगा, बैंकों में खाता होगा। कन्सोलीडेटेड फन्ड नहीं होगा।"

इसके आगे क्लॉज़ १२ में लिखा है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"बोर्डनिधि का प्रयोग" (१) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए "बोर्ड निधि" का प्रयोग निम्नांकितों के लिये किया जावेगा :

(१) इस अधिनियम में निर्दिष्ट विभिन्न विषयों के प्रासंगिक उचित प्रभारों व व्ययों का इस बारे में बनाये गये विनियमों के अनुसार भुगतान करेंगे और इसके बाद उन्होंने यह लिखा है कि सब कुछ जांचा जावेगा और आखिर में लिख दिया है कि वार्षिक शुद्ध आय को राज्य के केवल समाज शिक्षण के विकास के लिये राज्य सरकार के हवाले कर दिया जावेगा।"

उनको राज्य सरकार को देना है। बोर्ड की आमदनी कहां से आवेगी उसके लिये मैं आपका ध्यान क्लॉज़ ६ की ओर दिलाना चाहता हूँ। उसमें (७) में लिखा है, ऐसे शुल्क जो निर्धारित किये जायेंगे मांगेगा तथा लेगा। उसमें किसी प्रकार की फीस प्रेस्क्राइब्ड होगी वह फन्ड होगा। बोर्ड के नाम से अकॉउन्ट होगा। उसके बाद जो भी बैलेन्स शीट होगी और उसमें लाभ होगा वह उल्टा सरकार को देगा और बैलेन्स सदा बचेगा। इसलिये इस प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। अधिकारियों के लिये टी. ए. और डी. ए. का प्रश्न खड़ा हो सकता है। उसके लिये रूल्स बनावेंगे। यह मान कर हमको चलना है और जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठाई है वह निराधार है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है उसका निराकरण करना आवश्यक है। इसलिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके लिये जब आगामी दिन गैर सरकारी सदस्यों का होगा उस दिन लेंगे।

गैर सरकारी संकल्प।

६.४७ म० पू०

अस्पृश्यता निवारण हेतु समिति की स्थापना सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा में जो संकल्प रखा है वह इस प्रकार है :

"सदन की सम्मति है कि राजस्थान में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने हेतु प्रत्येक ज़िले में सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाये जिसके एम. एल. एज. भी सदस्य हों। यह समिति हर तीसरे माह, जांच कर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि अपने अपने ज़िले में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई।"

अध्यक्ष महोदय, भारत को आज़ाद हुए आज १० वर्ष का समय हो गया है और जो संविधान लागू किया गया है उसके क्लॉज १७ में जो लिखा है वह मैं आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं। इसमें साफ़ लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में अस्पृश्यता का अन्त किया जाए और कोई भी नागरिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करेगा और इसके लिये अपने दिल से यह बात निकाली जावे और जो कोई ऐसा करता है तो उसके लिये यह जुर्म साबित होगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अस्पृश्यता विरोधी एक्ट बनाया है। उसको आज ३ वर्ष का अर्सा हो गया लेकिन मुझे

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना काम होना चाहिये था नहीं हुआ। कल ही मुझे खबर मिली है कि राजस्थान की राजधानी में ही और वह भी सिविल लाइन्स के नज़दीक रेलवे क्रॉसिंग के फाटक पर एक केन्टीन लगा हुआ है। उस पर कोई हरिजन भाई चाय लेने के लिये जाता है तो उसको चाय नहीं दी जाती और यह कह कर टाल दिया जाता है कि तुम हरिजन हो। मैंने कई होटलों में जाकर देखा है और एक बार मैं श्रीमान रामचन्द्रजी चौधरी के साथ तीन वर्ष का अर्सा हुआ एक होटल में गया। वे मुझे होटल में ले गये। बीकानेर होटल में ले गये और कहा कि चलो आज कुछ काम है। श्री गोयल भी हमारे साथ थे। जब हम वहां पर पहुँचे तो मैंने देखा कि वहां के मैनेजर साहब शुद्ध खादी पहने हुए थे। हम तीनों एक टेबल पर बैठे। खाना जब लाया गया तो दोनों माननीय सदस्यों के सामने एक एक थाल और दो दो कटोरियें और साग रख दिया गया और फुलके भी रखे गये। मगर जो थाल मेरे सामने लाया गया उसमें मैं क्या बताऊं दो कटोरी वैसी की वैसी, चटनी आदि थी लेकिन फुलके लाये वे तबाक में धर कर लाये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैनेजर को आपका कैसे पता लगा कि आप कौन हैं?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैंने मैनेजर साहब को बुलाया। मैनेजर साहब एड़ी से चोटी तक खादी-धारी थे। मैंने उनसे कहा कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं? उसने उत्तर दिया, 'हां'। मैंने कहा, "अगर आप कांग्रेस में विश्वास रखते हैं तो आपने मेरे सामने यह तबाक क्यों रखी? मैं कोई मौलाना नहीं हूं। मेरा नाम पंडित हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री है।" यह बात सुनकर उनको बड़ा अचम्भा हुआ। यदि मैं मौलाना होता तो तबाक में रख देता और अगर मौलाना बनाना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है कि पं० हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री को उस रूप में देखना चाहते हैं। मेरे हाथ से तबाक उठा कर खाने लग गये। मैंने उनको रोक दिया और कहा कि सिर्फ मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि अस्पृश्यता की जो बात आपके दिल में है वह निकल जाय। मैंने कहा कि हम तो सत्य, अहिंसा और शान्ति के साथ अपने सवर्ण भाइयों के दिलों से अस्पृश्यता को निकाल कर बाहर करना चाहते हैं न कि कानून के बल से। लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि सदन में इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य अपना भाषण तो देते हैं और उसमें कहते हैं कि हम हरिजनों के उत्थान के लिए तैयार हैं, हम तहेदिल से चाहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। अलॉटमेंट ऑफ लैन्ड का हो मामला आता है तो हमारे कई भाई चाहते हैं कि हरिजनों को वे जमीनें किसी भी प्रकार से न मिलें और हमारे भाई उनको चरनोट में तब्दील करा देते हैं और हर प्रकार से कोशिश करते रहते हैं कि हरिजन भाई किसी भी प्रकार से उन जमीनों को न ले सकें। निवाई तहसील में ही कई भाइयों की उदारता से जमीन मिली तो उसमें कई अड़चनें पैदा हो गई। हरिजनों को जमीन मिली तो पर्चे दूसरों को दे दिये। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या अर्ज करूं, सरकार द्वारा लाखों रुपया कुंए बनाने के लिए दिया जाता

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

है। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत भी हजारों कुंए बनाये गये, सरकार के द्वारा लाखों रुपया दिया गया लेकिन उन कुंओं पर हरिजनों को चढ़ने तक नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं कि हरिजनों के लिए बोलें। कोली और रेगरों के लिए अलग कुंए बना दिये गये हैं और इसलिए सवर्णों के कुंओं के ऊपर नहीं चढ़ सकते। सन् ५१ से बराबर कानून बनाये जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय ने पहले वाले भाषण में भी मंजूर किया था कि जितनी प्रगति हरिजनोत्थान के लिए करनी चाहिये थी, नहीं कर पाये। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइन्ट किया इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आखिर सरकार कुछ न कुछ कर तो रही है। लेकिन जितना रुपया बहाया जाता है उतना काम नहीं होता है। रुपयों रूपी पानी का नाला बन कर चल देता है लेकिन रास्ते में आकर वह सूख जाता है और हरिजनों तक वह नहीं पहुंच पाता।

इसके अलावा और क्या अर्ज करूं कि राज्य सरकार द्वारा स्कूल खोले जाते हैं, हरिजन भाइयों की ओर से आवेदन पत्र दिये जाते हैं, इन्टरव्यू के लिये जब बुलाया जाता है, मैं भी एक दफा उपस्थित था, मैंने खुद ने देखा है कि उनके लिए यह कहा जाता है कि पर्सनेलिटी अच्छी नहीं है। पर्सनेलिटी कहां से अच्छी हो? जिनको खूब खाने को मिलता है वे तो मोटे और हट्टे कट्टे हो सकते हैं लेकिन जिस गरीब को बाजरे की रोटी भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है कहां से पर्सनेलिटी अच्छी हो? आज उनका धन्धा भी खत्म हो रहा है, देशी जूते तक लोग उनसे नहीं खरीदते हैं। बाटा या फलेक्स के जूते जाकर पहन लेते हैं, उनके घरों पर छप्पर नहीं है, बाल बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, वे लोग एप्लाई करते हैं तब किसी न किसी प्रकार से टाल दिया जाता है। गांवों में अध्यापक बन कर चला भी जाता है तो जहां मन्दिर में स्कूल चलता है उसको लाल झंडी बता देते हैं कि मन्दिर में वे नहीं चढ़ सकते। उनको पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। अगर वह कह दे कि मैं रेगर हूं, चमार हूं तो रहने के लिए उसको कोई मकान नहीं देता। मैं अफ़सोस के साथ बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री बैठे हुए हैं जयपुर में उनको कोई भी मकान नहीं देता है और यह समझ कर नहीं देता है कि ये हरिजन हैं। जब इस प्रकार की भावना फैली हुई है उसको मिटाने के लिए हम सब को अपना कर्तव्य निभाना है, केवल सरकार के द्वारा यह अस्पृश्यता नहीं हटायी जा सकती है। सब लोगों को इसमें सहयोग देना होगा तब ही यह मिट सकती है। एक व्यक्ति का शरीर अच्छा है, नाक कान वगैरा सब अच्छे हैं लेकिन एक टांग खराब है तो जब भागने का मौका आयगा तो वह भाग नहीं सकेगा। इसलिए जब तक कि सारे इस देश रूपी शरीर के अंग-प्रत्यंग ठीक न हों तब तक देश का सारा शरीर ठीक प्रकार से चल नहीं सकता है।

हरिजनों को ऊंची सर्विस में तो लिया ही नहीं जाता है। ७ साल से यह बात चल रही है लेकिन आज तक ७ साल में किसी हरिजन को कलेक्टर नहीं बनाया गया, कोई इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर नहीं बना, कोई एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं बना, डॉक्टर तो दूर रहा कोई

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

कम्पाउन्डर भी न बन पाया। क्योंकि उनको उठाने की हमारी भावना नहीं है। हम चाहते नहीं हैं कि हरिजन आगे आवें। यदि उनको ७ साल पहले ही इन्जीनियरिंग कॉलेजेज़ में भर्ती कर दिया जाता तो वे इन्जीनियर बन सकते थे, मेडीकल कॉलेज में भर्ती किया जाता तो डॉक्टर बन सकते थे। जोधपुर या पिलानी कहीं भी हरिजनों को भेज दिया जाता तो वे क्वालिफाइड हो सकते थे लेकिन सरकार तो चाहती है किन्तु दूसरे भाई नहीं चाहते। उनकी मंशा नहीं है।

इसके अलावा रहने और उनको बसाने की बात भी सुन लीजिये। आप लोगों ने अपने रहने के लिए और बसने के लिए बड़े २ फार्म बना लिये हैं लेकिन हम लोगों को, हरिजनों को आप १० फुट ज़मीन भी नहीं देना चाहते इस जयपुर शहर में।

एक माननीय सदस्य : किन किन ने बड़े फार्म बना लिये ?

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : बड़े बड़े लोगों ने।

मैंने पहले भी सवाल इसके सम्बन्ध में उठाये थे। हम २००)रु० देने के लिये तैयार हैं लेकिन कोई भी भाई झाड़ू उठाने के लिये तैयार हो जाय। हरिजनों का किसी भी प्रकार से आज धन्धा नहीं चल रहा है और जब उनको जमीन देने का सवाल आता है और आठ आना और एक रुपया फी गज देने के लिये वे तैयार होते हैं फिर भी उनसे १५) रु० तक मांगा जाता है। एक ग्रामीण कस्बा है, मैंने उसको देखा है, पहाड़ों के बीच में है, वहां जमीन रेगरों को नीलाम करके दी गई १५) रु० फी गज से। आज भी वहां जमीन को नीलाम किया जा रहा है। जयपुर शहर में ही भंगियों के मकानों को देखिये, क्या हालत है उनकी, टूटे फूटे हैं। उनको जमीन मुफ्त दी जाय लेकिन नहीं दी गई, हमने बार बार चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार के आदेश निकलते चले जाते हैं लेकिन वे निर्मूल होते हैं। सरकार की ओर से प्रयत्न चलते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं।

१० म० पू०

इसके अलावा मुझे यह बताते हुए दुःख होता है कि जो लोग पाकिस्तान से आये, जो हरिजनों के अलावा दूसरे लोग थे उन लोगों के लिये सरकार ने इतना इन्तज़ाम किया जिसके लिये लाखों रुपया पानी की तरह बहाया....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Probably he is not well informed on the subject. He would be so sorry if he had the full information.

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : मुझे जहां तक जानकारी है उनके लिये एक बड़े भारी जंगल को काट कर उनके लिये वहां मकान बनाये गये लेकिन इस समाज के लोगों को खूब अच्छी तरह से दबाया उनको खड़ा तक नहीं होने दिया। मैंने भी जो कुछ शिक्षा प्राप्त की है वह मैंने अंगरेजों के स्कूल में प्राप्त की है और आज इस योग्य बन पाया हूं। हमें हरिजन कह कर भर्ती नहीं किया गया। मुझे जो कुछ सिखाया है वह दूसरे लोगों ने सिखाया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सिखाया ?

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : यही दफ्तर का काम। सरकारी काम होता है उसी तरह का है। इतने बड़े सचिव आदि जो भी कानून अस्पृश्यता के लिये या अन्य किसी तरह का बना देते हैं उसमें एक ऐसा सुराख रख देते हैं जिसमें सब किया कराया साफ हो जाता है। मैं आप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम जो लोग वर्षों से पीड़ित हैं जिन पर हजारों वर्षों से अत्याचार होता आ रहा है कलयुग में भी सरकार ने जब इस प्रकार के कानून बनाये और पददलित जातियों को ऊपर उठाने के लिये लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा पूरी तरह से हरिजनों को मिल नहीं पा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): सतयुग की बात भी बोल दीजिये।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : जो लोग लाखों वर्षों से पीड़ित हैं उनको ऊपर उठाने के लिये अधिक से अधिक रुपया देकर अच्छे अच्छे आदमियों को लगा कर काम कराना चाहिये, यह नहीं हो पाया है। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति के अन्दर जब हरिजनों के लिये ऐसा कार्य किया जाता है और उसकी शिकायत लेकर कोई हरिजन ऊपर जाता है तो उसको दफ्तर तक में घुसने नहीं दिया जाता। डॉ० अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने जो पूना-पेक्ट किया था उसी के कारण आज हरिजनों को यह दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। पूना-पेक्ट की निरन्तर अवहेलना होती जा रही है। उधर सरकार जरूर कुछ कदम उठाती है किन्तु उसके अनुसार कार्य होता नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हरएक ज़िले के अन्दर सात आदमियों की एक कमेटी बनायें जो हरिजन भाइयों की तकलीफें जैसे कोई उनसे जमीन छीनता हो, कोई सार्वजनिक कुंए से उनको पानी नहीं भरने देता हो, या जहां पर हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये मुफ्त में जमीन न मिलती हो, चार आना गज ज़मीन नहीं मिलती हो, या उनको घर से बेदखल किया जाता हो, निकाला जाता हो या उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता हो तो कमेटी के सदस्यों का काम होगा उनकी तकलीफों को सरकार के सामने रखें और उनको दूर करवायें और उनकी तकलीफें सरकार तक पहुँचाये। इसीलिये मैंने यह संकल्प रखा है इसके द्वारा मैंने सदन से निवेदन किया है कि इस प्रकार से जो लोग समाज कल्याण करना चाहते हैं समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इनके लिये कमेटियां बनायी जांय। हरिजन मोहल्लों में जाकर प्रचार करें, उनका रहन सहन ऊपर उठायें उनमें किसी प्रकार की खराबियां आ गई हों तो उनको दूर कराइये, सरकार की ओर से जो कुछ सहायता मिल सकती हो वह दिलाइये, उन पर जो अत्याचार करते हैं उनको आप दंडित करवाइये यह इस समिति का काम होना चाहिये। यह हरिजनों का, पददलितों का मामला है, आपको इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये। यही निवेदन करता हुआ मैं उक्त संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। अस्पृश्यता निवारण कानून को पास हुए तीन तीन साल हो गये किन्तु उस पर अमल होता नहीं इतना ही निवेदन कर यह संकल्प सदन में प्रस्तुत करता हूं क्योंकि यह आवश्यक है और हरिजनों का मामला है।

डाक्टर बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस प्रस्ताव में मेरा एक संशोधन भाषा के दृष्टिकोण से और विचार से बहुत आवश्यक है।

सबसे पहला संशोधन है कि प्रस्ताव की पंक्ति चार में से 'प्रतिष्ठित' शब्द विलोपित किया जाये।

और पंक्ति ६ में 'एम० एल० एज०' शब्द के स्थान पर "सहयोगी सदस्य विधान सभा" शब्द प्रति-स्थापित किये जावें।

पंक्ति ७ में से 'सदस्य' शब्द विलोपित किया जावे और उसके स्थान में 'जिनमें' किया जावे। और "जांच कर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें" की जगह "इस बात पर विचार करें" ये शब्द जोड़ दिये जांय। मेरे संशोधनों के बाद यह प्रस्ताव इस प्रकार हो जावेगा :

"सदन की सम्मति है कि राजस्थान में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने हेतु प्रत्येक ज़िले में सात व्यक्तियों की समिति बनाई जाय जिसमें सहयोगी सदस्य विधान सभा सदस्य हों। यह समिति हर तीसरे माह इस बात पर विचार करे कि अपने अपने ज़िले में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई।"

माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह नहीं बताया कि यह आखिर समिति अपना प्रतिवेदन किसको देगी। दूसरी बात यह है कि प्रस्ताव की जो मन्शा है वह सिर्फ यह है कि अस्पृश्यता दूर करने के लिये क्या क्या उपाय किये जायं। इसके लिये उन्होंने एम० एल०-एज० को रखने का सुझाव दिया है वह ठीक नहीं है एम० एल० ए० एक क्षेत्र के कई हो सकते हैं इसलिये मैंने रखा है सात आदमियों की कमेटी बना दी जाय और उसमें स्थानीय एम० एल० ए० को कोआप्ट कर लिया जाय और वह हर तीसरे महिने मिल करके यह देखलेंगे कि छुआछूत के मामले में कितनी प्रगति कर पाये हैं।

माननीय अध्यक्ष, यह सवाल बड़ा महत्व-पूर्ण सवाल है। यह सवाल जब से पाकिस्तान बना है और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हमें यह देखना है कि यह समस्या जब शुरू हुई जबकि मुसलमानों ने अपने को पृथक करने की भावना का प्रदर्शन किया और उसी के कारण पाकिस्तान बना। उसके बाद हमारे अन्दर दूसरे समाज के लोग जो संयुक्त समाज मानते हैं जबकि हमारे यहां धर्म निरपेक्ष राज्य है तो उस समय किसी समाज को किसी प्रकार की खास रियायत क्यों दी जाय लेकिन जो लोग पिछड़े हुए थे उनको इस दृष्टिकोण से रियायत नहीं दी जा रही थी कि वे कोई पिछड़े हुए हैं वास्तविकता यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनका रहन सहन इतना कम है कि वे दूसरी जाति के लोगों के साथ मेल नहीं खाता। मेरी तो यह मान्यता है कि हम अपना जो काम है उसमें भी हम व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। जैसे मुर्दा मवेशी का ही सवाल ले लीजिये यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें आर्थिक दृष्टिकोण का सवाल है। इस पर हम विचार नहीं करते हैं तभी सारी समस्या खड़ी हो जाती है। किसी व्यक्ति को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वह फलां काम करे। आगरा के अन्दर जाकर आप देखें आप इस बात को मानेंगे कि वहां के

(डॉ० बहादुरसिंह)

चमड़े का सारा उद्योग मुसलमानों और बाहर से आये हुये रिफ्यूजीज के हाथ में है। वहां के सारे के सारे हरिजन यह धन्धा छोड़ चुके हैं। इससे किसका नुकसान हुआ है इस पर किसी ने गौर नहीं किया है। जूते का जोड़ा जो बीस रुपये में मिलता है मेरे यहां से बन कर जाता है। मैंने जब इसके लिये वहां के लोगों से बातचीत की तो मेरी समझ में आया। मध्य भारत के अन्दर मुरैना, भींड, गवालियर आदि में यह प्रश्न खड़ा हुआ था। वहां के हरिजनों ने कह दिया कि हम मुर्दा मवेशी नहीं उठायेंगे तो उसका नतीजा क्या हुआ वहां का कच्चा चमड़ा जाता है धौलपुर और धौलपुर से रोजाना एक हजार रुपये के जूते हम उस इलाके को सप्लाई करते हैं। वहां के हरिजनों की आर्थिक हालत बहुत खराब है। जमीन है नहीं आपके पास। जमीन को हम सहकारिता के आधार पर खेती करने जा रहे हैं वैसी हालत में जब तक किसानों को हम दूसरा धन्धा नहीं दे सकते तब तक उनको जमीन से हटाने की इजाजत है नहीं। कृषि का हम धन्धा देना चाहते हैं और वह भी सहकारिता के आधार पर और जो कृषक हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि तुम दूसरा धन्धा करो। जिनके पास दूसरा धन्धा है वे उसे करें जैसे खादी ग्रामोद्योग है, चर्म उद्योग है। इससे सहायता मिलती है। मेरे यहां ज़िला कांग्रेस कमेटी में चर्म उद्योग की क्लासें खुली थीं। मेरे पास ही हैं। यह इतना प्रोफिटेबल बिजिनैस है कि लोग इधर आकर्षित होते हैं। गोश्त की हड्डी का खाद बनाइये आप। चमड़ा रंग कर बेचें। जिन्दा भैंस की कीमत ३००) है, पर मरने के बाद उसके हिस्सों को १५०) रुपये में बेच सकते हैं। यह एक तरह से फ्री मिलता है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके लिये कमेटी या कानून बनाने से काम नहीं चलता। इसके लिये तो समाज कल्याण विभाग के लोग हैं। उनके लिये काफी लम्बा चौड़ा बजट सरकार मंजूर करती है। पर माफ करें अगर मैं यह कहूं कि अपनी लीडरशिप कायम करने के लिये इस तरह की बातें जरूर होती हैं, यह मानकर वे चलते हैं। अब भी हरिजन हैं, जाटव हैं, दूसरी दूसरी कौम के लोग हैं जो जैनमत स्वीकार करते हैं वे जाटव अब हैं ही नहीं बौद्ध हैं, जैन हैं जाटव हैं नहीं। आर्य समाजी हैं, वे जैन जाटव हैं ही नहीं। हम दूसरे व्यक्ति को कहने लगें कि तुम हरिजन हो तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ उनसे सुपीरियर हैं और वे इन्फीरियर हैं। तो ऊंच नीच के भेदभाव को यह कह कर हम और उखाड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरा जो संशोधन है उससे प्रस्तावक महोदय की मंशा भी पूरी होती है और छुआछूत भी कम होगी। पुराने ख्यालात के लोग हैं जो इस बात पर विचार करते हैं कि इनके साथ खाना नहीं खाना चाहिये। विधान सभा में ऐसे बहुत से साथी हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं पर बहुत से इस बात को मानते ही नहीं। पर बार बार आप यह कहें कि हम हरिजन हैं, नीचे हैं यह ठीक नहीं।

आप तो इस बात का प्रयत्न करिये कि आपकी आर्थिक हालत कैसे सुधरे। आपका जीवन स्तर रहन सहन का स्तर ऊपर उठे। आज फ्लैक्स कम्पनी जिसके मालिक जाटव हैं उसके यहां अच्छे अच्छे पण्डित लोग नौकर हैं, इस चमड़े के उद्योग में बनिये, ब्राह्मण वगैरह जाने लगे हैं क्योंकि यह प्रोफिटेबल

(डॉ० बहादुरसिंह)

बिजनैस है। तो आप इस दृष्टि से सोचिये।

आप कहते हैं भंगी को २००)रु० दो। सो रुपये मिले। मैला साफ़ करता है। अच्छी बात है। भंगी इतना बड़ा महान् व्यक्ति माना जाता है जो सेवा करता है। पर उस समस्या को भी दूर करने की कोशिश की जाती है आज फ्लश के पाखानों से। फ्लश सिस्टम की वैज्ञानिक पद्धति अब धीरे धीरे सभी जगह लागू कर रहे हैं। इससे आप अगर यह समझें कि भंगी समाप्त हो जावेंगे तो राज सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको एड दीजिये। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह नहीं कि हम उस वर्ग विशेष के लीडर चुनकर आये हैं अतः उनको कुछ बताना है कि हमने यहां उनकी क्या वकालत की। कल जैसे एक प्रश्न आया था कि नाथ-द्वारा में एक हरिजन मेम्बर होना चाहिये। अगर आप वैष्णव हैं तो फिर हरिजन कहां से रह गये, अगर आप जैनी और बौद्ध या आर्य समाजी हो गये तो फिर हरिजन नहीं रहे।

श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : जैनी कहां बनाने को तैयार हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आर्य समाजी हूं, आर्यसमाजी बनाने को तैयार हूं। तो इस बात पर विचार करें कि आर्थिक स्थिति उनकी कैसे सुधरे। इस पर यह ७ आदमियों की कमेटी विचार करे। अगर एम० एल०-ए० भी इस कमेटी के सहयोगी सदस्य होंगे तो वे भी विचार में सहयोग देंगे।

अब वे प्रतिवेदन किसको देंगे कि हम इतनी प्रगति कर पाये हैं। यह समस्या राज-स्थान वाइड ही नहीं, देश भर की है। पर समस्या सिर्फ यह है कि हर एक पिछड़े इलाके में यह समस्या ज्यादा हो सकती है पर जो इलाके काफी प्रगति कर चुके हैं उनमें यह विशेष नहीं है।

इसलिये मेरा संशोधन है उसमें 'प्रतिष्ठित' शब्द ठीक नहीं। आज भारत का हर निवासी 'प्रतिष्ठित' है। पैसा अधिक होने से कोई बड़ा या प्रतिष्ठित आदमी नहीं होता, देवता नहीं हो जाता। आज स्वतन्त्र देश में सभी प्रति-ष्ठित हैं। फिर कमेटी में जो आ गया वह प्रतिष्ठित हो गया और जो कमेटी में नहीं आया वह प्रतिष्ठित नहीं रहा, यह ठीक नहीं है। इसलिये 'प्रतिष्ठित' शब्द विलोपित कराया है।

आगे एम० एल० एज़ में से लेने की बात कही। पर इसमें आप किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे क्योंकि एक एक ज़िले में दस, बारह एम० एल० एज़ हैं। इसलिये उन सभी को आप सहयोगी सदस्य के रूप में ले सकते हैं। इसलिये यह एड कराया था। मैं इन शब्दों के साथ यह आशा करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले जो वक्ता बोल चुके हैं उस प्रस्ताव के अन्दर हेरफेर करते हुए उन्होंने जो सलाह, सन्देश, आदर्श व उपदेश की बातें कहीं, मुझे दुख है, प्रस्तावक महोदय की भावना को नहीं समझा गया। यह कोई एक छोटी मोटी बात उन्होंने नहीं कही है। यह बात ऐसी नहीं है जिसको हम साधारण तरीके से सोचें।

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रस्तावक ने एक बात की ओर इशारा किया है कि हमारी शिकायत है और सुधार की भावना की इच्छा भी है। रखने वाले ने किन कोमल शब्दों में राजस्थान की या सरकार की शिकायत करते हुए यह बतलाया है कि हमारी शिकायत के साथ साथ एक उपाय उसे दूर करने का किया जावे और इसमें गति लाई जावे; इसकी ओर संकेत किया है। अगर उन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रखा होता कि राजस्थान के इस मंत्रिमंडल में कोई फुल फ्लेज्ड़ मिनिस्टर इस जाति का होना चाहिए। हमारे राजस्थान का मंत्रिमंडल बना हुआ है क्या उसके अन्दर कोई इस दलित जाति का फुल फ्लेज्ड़ मिनिस्टर है ? लेकिन दुख की बात है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में एक भी फुल फ्लेज्ड़ मिनिस्टर नहीं है जब कि यहां ऐसे पचास विधान सभाई हैं। इसका कारण एक ही है और वह यह है कि सब अपने तरीकों से अपने विचारों को तोलते हैं। चाहे आप समाज की बात कहें और उसके अन्दर सुधारों की बात कहें। पर आज इन्सान इन्सान पर हुकूमत करने की इच्छा रखता है और उसकी यह इच्छा है। चाहे आज लोकराज्य हो जाये चाहे प्रजा राज्य हो जाये लेकिन मनुष्य मनुष्य पर हुकूमत करने की भावना रखता है। यह भावना न मिट रही है और न मिट ही सकेगी जब तक कि नीचे दबी हुई जातियों में एक क्रान्ति नहीं आये और जब तक वह उस तख्ते को उलट नहीं देंगे, उन नेताओं के तम्बूओं को उखाड़ नहीं देंगे तब तक नयापन नहीं आ सकता। यह तो हुई एक इनकलाब लाने की चीज़ और अगर कोई आज कहे कि हमने दलित जाति की अस्पृश्यता को मिटा दिया है तो मैं कहता हूं कि राजस्थान में अस्पृश्यता केवल विधान सभा के सदस्यों तक ही सीमित नहीं रखी जाये, अस्पृश्यता को केवल जयपुर के शहर तक ही सीमित नहीं रखी जाये बल्कि उसको गांवों में ले जाया जाये जहां कि आज भी गांवों में जिस पानी से लोग स्नान करते हैं उसी पानी को पीने के लिए हरिजन लोग तरसते हैं, उसके लिए घन्टों खड़े रहते हैं। हिन्दू लोग जिस पानी से स्नान करने वाले हैं और उस पानी को पीने के लिए हरिजन लोग वहां तरसते हैं, गांवों में आज भी ऐसी बात है····

एक माननीय सदस्य : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं कहूंगा कि आपने अपने चार घरों को ही देखा है, उदयपुर का अपना ही गांव देखा है। जब कभी आप सुधारकों की बात करते हैं और जब आप कुछ ऊंचे स्तर पर आ जाते हैं और इतने ऊंचे धरातल पर आ जाते हैं कि छोटे छोटे गांवों में और छोटी छोटी गलियों में जाने का काम आपका रोज़ाना का नहीं होता। हिन्दुस्तान के अन्दर एक बात है कि सारे राजस्थान का जीवन गांवों में बसता है और गांवों में बसने के लिए मैं अपील करूं कि अभी भी कई गांवों में अस्पृश्यता है। पिछली जाति के लोग अभी भी उसी स्थिति में, उसी हालत में और उसी अवस्था में मौजूद हैं।

तो इस प्रस्ताव में जो प्रस्तावक महोदय ने बात रखी कि एक ऐसी समिति का निर्माण किया जाये कि जो जिलास्तर पर हो और वह अपना प्रतिवेदन हर तीसरे मास पश्चात् पेश करे और उसमें मेरा यह संशोधन था कि उस समिति के जो सदस्य

(श्री मूलचन्द डागा)

हों वे ज्यादा अनुसूचित जाति के या दलित जाति के लोग होने चाहिए क्योंकि यह बात मानी हुई है और यह मानकर चलना चाहिए कि जैसा अभी कुछ समय पूर्व एक सदस्य ने मांग की थी कि नाथद्वारा की कमेटी में भी एक दलित जाति का सदस्य होना चाहिए तो यह एक बहुत ही सीधीसादी बात थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर यह सवाल क्यों पैदा होता है, आखिर में वे चाहते क्या हैं ? दलित जाति को आज पीसने का कारण यह है कि मनुष्य मनुष्य पर हुकूमत करना चाहता है एक की आर्थिक स्थिति दूसरे से अच्छी है और जब हम इस आर्थिक स्थिति को एक स्तर पर लाना चाहते हैं तो हमें आज के समाज के आर्थिक ढांचे को खत्म करना पड़ेगा जो कि बहुत पुराना हो गया है। मनुष्य मनुष्य में जो अंतर है, दौलत के आधार पर जो फर्क है उस फर्क को हम मिटाना चाहते हैं और उस फर्क को मिटाने के लिए क्या तरीके हैं ? आप सोचिये एक छोटी जाति का व्यक्ति भी अगर आर्थिक दृष्टि से अच्छा है तो भी वह प्रतिष्ठित है। तो मेरी समझ में इस सारी अस्पृश्यता का कारण धन ही है। सवाल तो यह है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है और उन लोगों ने कोई क्रांति नहीं उठाई। मैंने देखा है कि रेलवे के कर्मचारियों ने कभी हड़ताल की तभी उनकी पे में बढ़ोतरी हुई और इनके जिन जिन लोगों ने संसार में क्रांति की और क्रांति के आधार पर जो अपने अधिकारों की रक्षा करता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन गांवों में छिपे हुए ये दुबले पतले आदमी जिन्होंने अपने घरों पर कभी सुख देखा नहीं वह ऐसा मुकाबिला करने के योग्य ही नहीं हैं। उन्होंने तो हमेशा यह सोचा कि हमारे भाग्य के अन्दर लिखा हुआ था और उनको हिन्दू शास्त्र के बड़े बड़े नेताओं ने बता दिया कि भाग्य का निर्माण कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर आप गांव के दलित जातियों के लोगों की तरफ निगाह डालते तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपके जितने कानून हैं, अब आप किसी भी कानून को ले लें कानून की ही बात क्यों करें यह लोग बारबार कहते हैं कि हमारी जाति का कोई डॉक्टर हो, कोई इन्जीनियर हो और फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर हो, क्या है कोई ? इसका कारण यह है कि हुकूमत नहीं है इन लोगों की। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दलित लोग जब ऊंचे आते हैं तो उनको थोड़ा सा देकर राजी कर लेते हैं और वह अपनी छोटी सी मांग पर खुश हो जाते हैं। म्यूनिसिपल बोर्ड में चुनने के नाते या विधान सभा में चुनने के नाते उन्होंने सरकार का अहसान मान लिया है। मैं कहता हूँ कि हमें तो मुकाबिला करना है, हमें तो गरीबों को ऊंचा लाना है, उस अमीरी का बंटवारा करना है और एक स्तर पर सब लोगों को लाना है। तो जब हम अमीरी और गरीबी का बंटवारा करना चाहते हैं तो जब हम दौलत का बंटवारा करना चाहते हैं तो इसके लिए इनकलाब लाना होगा। आज गांवों के अन्दर काश्तकारों के पास सैकड़ों बीघा जमीन है और हम चाहते हैं कि दलित जाति के लोगों के पास भी जमीनें हों। हमारा कहना यह है कि गरीबों को ज्यादा मिले। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय अपने पोथे खोलेंगे और कहेंगे कि हमने दलित वर्ग को भी जमीन अलॉट कर दी है। लेकिन विधान सभा में

(श्री मूलचन्द डागा)

एक दलित जाति के सदस्य की ओर से ऐसा प्रस्ताव आना हमारी राजस्थान सरकार के लिए कलंक है। हरिजन जाति का आदमी इस प्रकार का प्रस्ताव रखे कि जिला स्तर पर ऐसी बात हो। मुझे याद है कि अमेरिका के एक पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा था कि हिन्दुस्तान में कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, दलित हैं जिनके घरों में खाने को आटा नहीं है। क्या ज़माना था? एक ज़माना था कि काश्तकार अपने खेत में धान पैदा करता था और यह दलित जाति के लोग उनके लिए चरस आदि बनाते थे और उनसे कुछ धान ले लेते थे और जहां आज गांवों में जगह-जगह चरस कम हुए हैं वहां जो इन लोगों का रोज़गार था, जो जागीरदार के यहां नौकर थे, जो जागीरदारों के साथ रहते थे वह आज बेकार हो गए और बेकार हो जाने के बाद में उनकी आर्थिक हालत भी कमजोर हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी पिछड़ी जाति के लोग ऑफिसेज़ में लिए जाते हैं जैसे कलेक्टर ऑफिस को लीजिए- कलेक्टर ऑफिस में उनको प्रोसेज़ सर्वे की जगह पर रखा जाता है। आज कौन कौन ऐसा मिनिस्टर है जो आज डंके की चोट पर कहे कि हमारे बंगले पर दलित जाति के लोग काम करते हैं। वह बतायें कि हमारे घरों में जहां हमारा खाना परसा जाता है वहां दलित जाति के व्यक्ति काम करते हैं। यह तो ठीक है, क्षमा करें। मैं आपको एक प्रोसेस सर्वेयर की बात कहता हूं कि एक दलित जाति के आदमी को प्रोसेस सर्वेयर बनाया गया और उसको कहा गया कि वह साईकिल लेकर गांवों गांवों में जाये। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही टाइम के बाद उसको टी० बी० हो गई और वह इतना कमज़ोर हो गया कि उसको नौकरी छोड़नी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, आदमी अपने स्वार्थ को देखता है। ये सारे राजनैतिक स्टैन्ट हैं जिनके कारण हम चुनाव के समय आवाज़ बुलन्द करते हैं कि दलित जाति वाले हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि पूंजी का बंटवारा हो, धन का बंटवारा हो और जो असली बंटवारा है पदों का, उसका भी बंटवारा हो। आज कौनसी म्यूनिसिपेलिटीज़ या पंचायतें हैं जिनके अध्यक्ष या सरपंच दलित जाति के लोग हैं। जब पंचायतों में दलित जाति के पंच के बैठने का सवाल आता है तो वह सबसे नीचे बैठता है....

उप मंत्री (श्री भीखाभाई) : दलित जाति को क्या मतलब है?

श्री मूलचंद डागा : इसका मतलब है अस्पृश्य लोग, हरिजन, भंगी, चमार। मैं क्षमा चाहता हूँ मंत्रीजी से, जब आदमी अपनी जाति से ऊपर आता है वह अपने पीछे वाले भाइयों को भूल जाता है। अध्यक्ष महोदय, मनुष्य स्वार्थी है। वह अपने काम में स्वार्थी है और अपने घर में भी स्वार्थी है। आज हम भूल जाते हैं कि हमारे दूसरे भाई कितने पीछे हैं। एक सवाल ऐसा है कि आदमी आदमी पर शासन करना चाहता है। आप बताइये कौनसी ऐसी म्यूनिसिपेलिटीज हैं जहां पर हरिजन यूनियन बने हुए हैं और उनका मुकाबला किया जा रहा है। एक दो शहर हैं जयपुर, जोधपुर आदि जहां पर हरिजन यूनियन बन गया तो उसके सभापति को खरीदने का सवाल होता है और उसको जमादार बना दिया जाता है और जो पीछे वाले हैं उनको

(श्री मूलचन्द डागा)

न वर्दी दी जाती है और न कुछ किया जाता है चाहे कितने ही रिजोल्युशन हरिजन पास करें ।

नाम लेने को २६ नवम्बर को हरिजन दिवस के रूप में जलसा मना लिया जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा । समाज कल्याण विभाग का डाइरेक्टर कोई हरिजन नहीं, समाज कल्याण विभाग किसी हरिजन द्वारा चलाया नहीं जाता । ये सारी बातें हमारे स्वार्थ की रचना है । मनुष्य एक तरीके से दूसरे पर राज्य करना चाहता है । हम सवर्ण यह चाहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से बढ़ कर रहे इसमें दो राय नहीं हैं । श्रीमान्, पूंजी के बंटवारे के लिये हम यह नहीं चाहते हैं कि दलित जाति को कुचला जाय । जब उनकी नौकरियों का सवाल आता है तो कहा यह जाता है कि हमने उनको जगह दी है, एक हज़ार हरिजनों को नौकरी मिल चुकी है । लेकिन कहां पर ? तो कहते हैं ८०० आदमी सफ़ाई के काम पर लगा दिये गये हैं, बाकी रहे कितने ? २०० । जब समाज कल्याण की मीटिंग हो रही थी तो वहां पर बताया गया कि एक हजार आदमियों को नौकरी दी है । किस जगह पर ? तो बताया कि ८०० आदमियों को म्यूनिसिपैलिटीज़ में लगा दिया गया है । क्या सुन्दर आंकड़े हैं आपके पास ? क्या आपने यह बताया है कि १० आदमियों को तहसीलदार की जगह पर ले लिया है और समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष एक हरिजन को बनाया है ? लेकिन ताकत नहीं है । क्योंकि श्रीमान्, एक सवाल ऐसा है; संसार में जो ढोंग चलता है, जो राजनीति चलती है, उसमें नैतिकता है ही नहीं । नैतिकता विहीन जो राजनीति है वह मुर्दे के समान है, उसको जला देना चाहिये लेकिन उसको कोई जलाता नहीं है ।

कई दफा गांवों में जाकर देखने का काम पड़ा है । सरपंच वही आदमी होता है जिसके गले में कंठी होती है और जिसके घर में दो चार गाय, भैंस और बैल होते हैं । कई बार देखा है कि दुबला पतला और मैले कुचेले कपड़े पहने हुए जो आदमी बैठा हुआ है और जो झोंपड़ी में रहता है उसको कोई नहीं पूछता है या वह कहीं ऊपर बैठा हुआ हो ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं देखा । गांवों में यह प्रचार किया जाता है कि २६ नवम्बर को मन्त्रीजी भाषण देने आ रहे हैं । वे क्यों भाषण देने आते हैं ? मैंने देखा कि क्या भाषण देते हैं । कलेक्टर वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक इलायची मनुहार के तौर ले लेते हैं, वे जब आग्रह करते हैं कि कलेक्टर महोदय चाय पीजिये तो कहते हैं आज पूर्णिमा का व्रत है, कलेक्टर पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, अध्यक्ष महोदय । सवाल यह है कि प्रस्ताव में कोई ऐसी बात नहीं है । हमारी भावना यह है कि जिस समाज का ढांचा जर्जर है, उसमें आर्थिक भेद है, उसमें एक प्रकार की क्रान्ति और इन्कलाब कब आयेगा ? आयेगा ? उसमें प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा कब होगी ? कब गरीब ऊपर आयेंगे और धनवान नीचे जायेंगे । रेवेन्यु मिनिस्टर साहब डंके की चोट पर बतावें कि फलां फलां गांव में इतनी चाही जमीन गरीबों के पास है । हम ऐसे लोगों को उस समय चाहेंगे जब कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावेगी । जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी और सिक्का बढ़ जायगा उस समय तो हम सवर्ण भी उनको चाहने लग जायेंगे ।

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल यह है कि चांदी के रुपये की कद्र है। समाज जिस ढंग में चलता है, आपके आदर्श वाक्य उस समाज को कहां तक आगे ले जाते हैं, यह देखने की बात है। आज भी दूसरों की झूंठन और सड़ी गली तीन तीन दिन की रोटीं उनको खानी पड़ती है और अब तक रोटी मांगने जाते हैं। जब हिन्दुस्तान में "रोटी" फिल्म बनी थी उसको अमेरिका में बताया गया तब वहां के लोगों को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि यहां दूसरों पर शासन कैसे होता है और अब तक एक मनुष्य की झूंठन दूसरा मनुष्य खाता है, अपने पेट की भूख मिटाने के लिये! उन्होंने शरणार्थियों पर आक्षेप नहीं किया। यह कहते हैं कि हमने ६० लाख रुपये शरणार्थियों को बसाने के लिये और उनकी गिरी हुई अवस्था को ऊंचा उठाने के लिये खर्च किया। आप उसके लिये बोर्ड बनाते हैं। मैं एक ताराचन्द नाम के हरिजन की बात करता हूँ जो ११ साल से वेटरनरी अस्पताल में काम करता था। उसके बारे में लिखा जाता है कि यह आदमी ११ साल से काम करता है, पढ़ा लिखा है इसलिये इसको प्रमोशन दिया जाय। लेकिन वहां वेटरनरी डॉक्टर के घर पर जो आदमी काम करता था और जो ३ साल का नौकर था उसको रखा गया और ११ सालवाले को नहीं रखा गया। यह अच्छा हुआ कि आप भोजन करने गये बीकानेर लॉज में और आपके सामने रखा गया लेकिन श्रीमन्, हमारे अन्दर की भावना है वह साफ होनी चाहिये। वह अगर साफ है तो दलितों का उद्धार हो सकता है।

समाज कल्याण विभाग की तरफ से दलित जातियों के लिये अलग कूंए बनाये गये। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती कि दलित जातियों के लिये कूंएं अब भी बनाते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो कूंए दूसरे सवर्ण लोगों के काम में आते हैं वे ही कूंए हरिजन भी काम में क्यों नहीं लेते। लेकिन अब तक समाज कल्याण विभाग हरिजन जाति के लिये अलग कूंए बनाती है उनके पीने के पानी के लिये। क्या यही हरिजनों का उत्थान है....

श्री भीखाभाई (उपमन्त्री) : क्या माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि २०० रु० दिये गये कुओं के लिये। इस बारे में मैंने उनसे इत्तला चाही थी लेकिन आज तक उन्होंने नहीं बताया कि फलां जाति के लिये फलां जगह कुआं बना ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं बताना चाहता हूं कि पर्टिक्युलर कॉम्युनिटी को समाज कल्याण विभाग से रकम दी जाती है पीने के पानी का साधन जुटाने के लिये।

श्री भीखाभाई : शिड्यूल्ड–कास्ट के लिये दी जाती होगी, अलग अलग जातियों के लिये नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या होती है शिड्यूल्ड कास्ट और पिछड़ी जाति ? आपके दिमाग में कुछ और मतलब होता होगा। हमारे यहां तो पिछड़े से मतलब आर्थिक दृष्टि से नीचे से है।

श्री भीखाभाई : इतने समय से इसी पर तो आपका भाषण हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, इस

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रस्ताव की भाषा यह है कि ११ साल के बाद भी अस्पृश्यता नहीं मिटाई गई। इसके लिये ज़िला केन्द्र पर समितियों का निर्माण किया जाय और उनका प्रतिवेदन ३ मास में पेश किया जाय। उन्होंने सरकार के सामने शिकायत की है और सरकार को एक सुधार का तरीका बताया है। प्रस्ताव में उनकी भावना बिल्कुल साफ है कि सरकार ११ साल के बाद भी अस्पृश्यता नाम के कलंक को दूर नहीं कर सकी। अस्पृश्यता नाम के कलंक के लिए गांधीजी ने कहा है कि समाज सुधार शासन सुधार से बढ़ कर है। मैं शासन का यह काम मानता हूँ कि इसे समाज का सुधार करना चाहिए। यह गांधीजी की नीति है, इसका अन्वेषण हो रहा है। दिल्ली में गांधीवाद की छानबीन हो रही है, आज जगह जगह गांधी जयन्ती मनाई जा रही है, दो अक्टूबर को गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं। मैं कहता हूं कि छुट्टी को बन्द कर देना चाहिए, इसके बनिस्बत हरिजनों का उत्थान होना चाहिए। हम अस्पृश्यता के नाम को सुनना नहीं चाहते हैं। ११ साल के बाद भी वह तब ही हो सकता है जब कि दलित जाति का सदस्य रेवेन्यु मिनिस्टर हो। तब देखें कि जमीन का बंटवारा कैसे होता है। दलित को जमीन दी जाय, वे जमीन लेकर अच्छी स्थिति प्राप्त कर लें तो दलित जाति का नाम, दलित शब्द ही मिट जाता है और हम और आप जैसे लोग उनके पास से उधार रकम लेने जाते हैं। आखिर दलित जाति है क्या....

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर नहीं, डिप्टी मिनिस्टर तो है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) : मुझे माफ करें, मैं...

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन भी है।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : उसे मूव कर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री): जोश में हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इसके अलावा आप कुछ सोच नहीं सकते, आपको और शब्द नहीं मिलता है। आप कहते हैं जोश में हैं। आप में हरिजनों के बारे में सोचने की ताकत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास इसके सिवाय और क्या है ? हम आपके ऐसे उपदेश काफी दिनों से सुन रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : आपका संशोधन...

श्री मूलचन्द डागा : क्या रखा है संशोधन में। हम चाहते हैं कि दलितों के आठ मेम्बर लिये जांय ज़िला बोर्ड में, उसमें चार सदस्य इनके हों। इससे क्या होता है, श्रीमान्, कोई भी ज़िला बोर्ड की मीटिंग होती है, म्यूनीसिपेलिटी की मीटिंग होती है, तो वहां क्या होता है कि दलित जाति का एक थका हुआ, दुर्बल व्यक्ति आता है, वह भी ऐसा आता है जो कि वहां केवल नाम मात्र को होता है, वह पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता, वह अपनी चीज़ पूरी तरह नहीं रख सकता। इसलिए जैसा मैंने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि जो बोर्ड है ज़िला स्तर पर उन बोर्ड्स के अन्दर चार सदस्य कम से कम बहुमत के आधार पर होने चाहिए और जब बहुमत इन हरिजन जातियों का होता है, पिछड़ी हुई जातियों का बहुमत होता है, उस बहुमत के आधार पर यह प्रतिवेदन प्राप्त कर सकते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

कि ज़िला स्तर पर कितने आदमियों को नौकरी दी गई, किस किस आधार पर स्कॉलरशिप दी गई ? बोर्डिंग में क्या होता है ? बोर्डिंग बनते हैं । मैंने देखा है, श्रीमान् जितने बोर्डिंग बने हैं, हरिजन बस्तियां बसाई जा रही है, आदर्श नगर हरिजनों का मोहल्ला अलग है, उसके अलावा यह क्यों नहीं किया जाय कि बनी-पार्क में जो बंगलों के लिए जमीन कट रही है उस जगह बंगलों के बीच में हरिजनों को जमीन दी जाय ? उनके लिए अलग अलग बस्तियां क्यों हों । बनी पार्क के अन्दर उन्हें जगह दी जाय । हमारे कॉन्स्टिट्युशन में प्रिवेन्शन का कानून है । राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले अनटचेबिलिटी को मिटाया है । वांचू साहब का फैसला हुआ है कि प्रिवेन्शन का कानून गलत है । इसमें क्या होता है कि पड़ोसियों को शंका होती है । हमारे हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्युशन से पहले बताया और पंजाब हाईकोर्ट ने भी यह स्वीकार किया । आज भी अस्पृश्यता को दूर करने का तरीका यह है कि जहां जहां मकान हों, जहां खुली जगह हो, उनके पास ही हरिजन बस्तियां बसाई जायं । हरिजनों को कम कीमत लेकर अच्छी से से अच्छी जमीन दी जाय । हम चाहते हैं कि हरिज़नों को एक ही बस्ती में बसायें । इसके अलावा बोर्डिंग में देखिये, आज मेडीकल बोर्डिंग में जाइये, इन्जीनियरिंग कॉलेज के होस्टल में जाइये, कहीं भी किसी होस्टल में नहीं देखा कि उन होस्टल्स में इनको भी वही स्थान दिया जाता हो । इसके अलावा जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं, वह चार रुपया, तीन रुपया, दो रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है । हमने वजीफा के लिए एलान किया है लेकिन दलित जातियों के लड़कों को क्या वजीफा मिलता है, चार रुपये, सात रुपये...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ३०० रुपये भी मिलते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत ज्यादा रकम हो गई ? मैं चाहता हूं कि इन लोगों को २,००० रुपये की स्कॉलरशिप मिले और इन्हें पढ़ने का मौका दिया जाय और इनमें से इन्जीनियर्स और डॉक्टर्स मिलें । ये लोग अपनी छोटी सी इच्छा मांगते हैं । मैं चाहता हूं कि इनके उत्थान के लिए बड़ी धनराशि दी जाय । हम चाहते हैं कि जो समाज के नाम पर कलंक है, हिन्दुओं के नाम पर जो कलंक है, जिसको महात्मा गांधी ने विष कहा, इस विष को मिटाने का तरीका, इस ज़हर को मिटाने का तरीका एक है, इस कलंक को मिटाने का तरीका एक है कि जो हमारे पास दवा है, वह हमारे जो दलित जाति के भाई हैं, उनको दें ताकि उनकी दवा हो जाय । इनकी सहायता करने के लिए हम काम करें ।

इसके अलावा मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूं । हां, तो श्रीमान् जो प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा संशोधन यह था, यह प्रस्ताव इतने महत्व का है, यह प्रस्ताव आपने १० साल के बाद रखा है, इस प्रस्ताव के अन्दर है कि जिले में ऐसी समितियों का, ऐसे बोर्ड का निर्माण हो, जो बोर्ड दलित जातियों की आर्थिक हालत, आर्थिक स्थिति की जांच करें और उन्हें ऊंचा उठा सके, उन्हें नौकरी की सुविधा दिला सके । मेरे ख्याल से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रस्ताव का विरोध करता होगा और अपने टेलेन्ट को बताने के लिए, अपनी, बुद्धि के प्रकाश को डालने के लिए कुछ कहे

(श्री मूलचन्द डागा)

ऐसा व्यक्ति हमारे अन्दर मिल नहीं सकेगा। प्रस्तावक महोदय इन सारी बातों का उत्तर देंगे, हमें मौका नहीं मिल सकेगा। ये सारी बातें ऐसी हैं और आर्थिक ढांचे को बदलने के लिए, समाजवाद को लाने के लिए जरूरी है कि अमीरी का बंटवारा करने के साथ ही हम गरीबी का बंटवारा करना चाहते हैं। वह तब ही हो सकता है जब कि क्रान्तिकारी कदम उठावें।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आपने अपने प्रस्ताव में कमेटी के निर्माण के लिए बताया। आज भी सैकड़ों कमेटियां बनी हुई हैं, हर ज़िला स्तर पर सोशियल वेल-फेअर बोर्ड बना हुआ है, जिसमें कलेक्टर चेयरमैन होता है। इस तरह की कई कमेटियां बनी हुई हैं। एक सोशियल वेलफेअर बोर्ड बना हुआ है जिसके अध्यक्ष, हमारे फाईनेन्स मिनिस्टर श्री हरिभाऊजी हैं। उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूं....

(१०.४७ म० पू)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब असेम्बली चलती है तब उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। जब मेम्बर यहां फंसे रहते हैं कि आज क्या बोलना है, कौनसा बिल पास हो रहा है, बिल के सम्बन्ध में क्या बोलें कि हम ज्यादा अच्छा कानून बना सकें....

श्री उपाध्यक्ष : दा साहब के सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव पर बोल रहा हूं जो हरिशंकरजी सिद्धान्त शास्त्री ने रखा है। मैं उन कमेटीज़ के विषय में बता रहा हूं जो सोशियल वेलफेअर बोर्ड की होती हैं। उन कमेटी में क्या होता है, यह बता रहा हूँ। जब यह कमेटी बनेगी तो टी० ए०, डी० ए० हमारे देश का लाखों-करोड़ों रुपया लगेगा, वह रुपया खत्म होगा। इसलिए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे, बोलने दीजिये। किसी माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

(हंसी)

मैं अर्ज कर रहा था कि कमेटियां काफी बनी हुई हैं। वैसे हमारे प्रस्तावक महोदय ने बड़ी सुन्दर आवाज में बताया कि चरणोत की क्या हालत है, चरागाह की क्या हालत है। अरे, (यार) छोड़िये माननीय सदस्य, मैं आपको राजस्थान...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! प्लीज़, देखिये माननीय सदस्य, माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में 'यार' शब्द का उपयोग करना अच्छा नहीं। आप समझ गये ना ?

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, यह प्रेम का शब्द है, यार का मतलब है जिगरी दोस्त। ठीक है, हमेशा मुझको अटेक करते हैं, आप हमारे चेयरमैन हैं, इसलिये मैं तो क्या कह सकता हूँ........

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

(विराम)

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि हरिजनों को लोग बोलने नहीं देते हैं, जाजम पर बैठने नहीं देते हैं, जमीन जोतते हैं तो जोतने नहीं देते हैं। गांवों में अलोटमेंट होकर जमीन मिली हुई है, उसमें कुआं खोदने नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि सन १६४६ में जब राजस्थान में पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी मावली तहसील में फतहसागर में बनी और उसका सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसको हमारी सरकार ने ५०० बीघा जमीन दी और उस जमीन में ६७ परिवार सामूहिक ढंग से खेती करते थे, हमारी सरकार के इन्स्पेक्टर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर आते थे तो इसकी व्यवस्था ठीक नहीं बताते थे फिर भी वहां पर तीन वर्ष तक सामूहिक ढंग से काश्त की। रेवेन्यु डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के इन्स्पेक्टर अफसर, अस० डी० ओ०, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार आते थे उनकी खातिरतवज़ा करते थे........

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिप्रसाद यादव : इस सदन में उत्पादन काम के लिये माननीय सदस्य कहते हैं, उत्पादन नहीं होता है, साहित्यिक ढंग से बोलते हैं, इसमें टांग लगाते हैं और कलात्मक ढंग से बोलते हैं, तो मैं अर्ज करूंगा कि ५०० बीघे का खेत बनाया और सामूहिक ढंग से खेती की, ६७ परिवार वहां खेती करते रहे, पर गवर्नमेंट के अफ़सरों ने फजीती करके बन्द कर दिया। तहसीलदार, दो इन्स्पेक्टर जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं खुदकाश्त, यहां पर काश्त नहीं कर सकते, मावली के इन्स्पेक्टर जाते हैं और वहां के सेक्रेटरी को पहरे में बिठा देते हैं। यह कानून है कि किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर दो वर्ष तक कब्ज़ा रह जाय तो वह भूमि उसकी है, पर समझ में नहीं आता है, कहते हैं कि कब काश्त करते थे? मक्का का बीज बो दिया, पानी किसी बन्ध का सरकार पहुँचा नहीं सकती, कुआं खुदवाते हैं तो कहते हैं कि कुआं अच्छा नहीं खुद रहा है, टांकी–हथोड़ा, डायनामाइट लगा कर पत्थर तोड़ना चाहते हैं, आप अस्पृश्यता को मिटाना चाहते हैं खैर वह तो दूर रहा पर उन लोगों आप को धरती पर अन्न पैदा करके नहीं खाने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कविता क्या है?

श्री हरिप्रसाद यादव : सैंकड़ों कमेटियां बनी हुई हैं, उनसे कोई लाभ नहीं है। इनको भूखों मार कर कहते हैं कि हम दलितों का हित करना चाहते हैं। दलित वर्ग के हित के लिये राजस्थान में एक संस्था बनी हुई है। मेड़ता के मीरां बाई के मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश के लिये सम्मेलन बुला कर पंडित पंत और जगजीवनराम को निमन्त्रण दिया था, इस सदन के बड़े बड़े सदस्यों ने पम्फलेट निकाले पर वहां सम्मेलन नहीं हुआ।

भोगीलाल पण्ड्या ने जो उस समय समाज कल्याण विभाग के मन्त्री थे द्वितीय अधिवेशन उदयपुर में बुलाया, मैं स्वागत समिति का मन्त्री था। भोगीलाल पण्ड्या ने

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मेरे से रसीद ले ली कि ५ हजार रुपया प्राप्त किये। हरिप्रसाद यादव, मन्त्री स्वागत समिति, इस नाम के ५००० पांच हजार के बोन्ड पर हस्ताक्षर करवा कर रुपये पन्नालाल-बारूपालजी, जो कि लोक सभा के सदस्य हैं, उनको दे दिये......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) : The Hon'ble member of this House as well as the Hon'ble member of Parliament, they are not present and as such, their reference should not be made. He has made a reference about an Hon'ble member of the Parliament.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन सदस्यों का नाम आपने बतलाया है वे एम० पी० हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार के आरोप इस प्रांगण पर लगाना अनुचित है। आपको चेतावनी देता हूँ कि जो इस सदन के अलावा लोक सभा के सदस्य हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ न कहा जाय।

श्री पी० के चौधरी : This remark which he has just made about the Hon'ble member of the Parliament, it should be expunged from the proceedings.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Although you have given a Ruling, Sir, but I would humbly submit that in that signature, the Hon'ble member is himself involved and he is justifying that the signatures were obtained wrongly. So he has to jnstify his own position and, therefore, he is indicating his stand that the signatures were obtained wrongly and the amount of Rs. 5,000/- was not given for that purpose and he should vidicate his position. I would, therefore, humbly submit that he should be allowed to justify his honesty and truth whatever...

श्री पी० के० चौधरी : The question of five thousands is not the matter under discussion, in this House, Hence he should not make this reference.

श्री श्रीभानसिंह : Under discussion is an amount of Scheduled Castes, thus the amount given by the State for the welfare of the Scheduled Caste has not been......

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरी आप से अर्ज यह है कि जिस बात की ओर संकेत किया है वह प्रासंगिक बिलकुल नहीं है। यदि है तो उनके संगठन का झगड़ा हो सकता है, पर हमारी मान्यता है कि एक एम० पी० के बारे में ऐसी बात इस सदन के प्रांगण में कही जाती है, वह अनुचित है...

श्री हरिप्रसाद यादव : मावली क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य कांग्रेस हाइ कमान्ड को गाली दे सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज़।

श्री हरिप्रसाद यादव : और मैं जो

(श्री हरिप्रसाद यादव)

बात मेरे में साथ बीती है, उसको भी नहीं कह सकता........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर। माननीय सदस्य ऑर्डर ।

माननीय सदस्य, इस सदन के डेकोरम पर आप बराबर आघात करते चले आ रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक सदन के नियमों का प्रश्न है, उनका उल्लंघन न करें और जैसा माननीय श्री श्रीभानसिंहजी ने प्रश्न उपस्थित किया, मेरी मान्यता है कि वे (बारूपालजी) इस सदन के सदस्य नहीं हैं, ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में उन पर ऐसे आरोप सदन के प्रांगण में लगाया जाना अनुचित और अप्रासंगिक है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे बारे में माननीय सदस्य ने एक बात कही है, उसके लिये, मैं सख्त एतराज और असन्तोष प्रकट करता हूँ और आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि माननीय सदस्य को इस प्रकार खुले आक्रमण करने से रोकें ताकि भविष्य में मेरे व्यक्तित्व और चरित्र पर इस प्रकार आक्रमण न कर सकें । अभी उन्होंने कहा कि हाई कमाण्ड को मैं गाली दे सकता हूँ । पहले भी सदन में उन्होंने मुझ पर नापायेदार आक्रमण किया था, पर मैं बर्दाश्त कर चुप बैठा रहा । मैं मानता हूँ कि इस प्रकार आक्रमण करना उनकी आदत में दाखिल है । अभी कहा कि मावली से आने वाले सदस्य हाई कमाण्ड को गाली दे सकते हैं । इस पर मेरा सख्त एतराज है और मैं इसके लिये सख्त रोष प्रकट करता हूँ । मैं अपने चरित्र और व्यक्तित्व की रक्षा के लिये आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को हिदायत करदी है और मैंने रोष भी प्रकट किया है, ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य सचेत होकर प्रांगण में कहेंगे ।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं इस विषय पर समाज-सुधार और अस्पृश्यता-निवारण कमेटी का प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य ने रखा है, उस पर प्रकाश डालूंगा । इस पर प्रकाश डालने से पहले मैं वह कविता सुनाऊंगा ।

पानी पियावत प्यार प्रीत की रीत सीख ले,
तो दुःख दर्द दूर हों भारत माता के सब ।

अरे साहब, सब कहते हैं कि भारत माता के दुःख दर्द दूर हों, हमारे एम० पी० के विषय में अर्ज किया था, सभी एम० पी० कहते हैं कि भारत माता का दुःख दूर करना चाहिये । सर्वोदय सम्मेलन अजमेर में हो रहा है उसमें जाने की जल्दी लग रही है इसलिये जल्दी जल्दी में कुछ जल्दी कर गया ।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर से कहता हूं.......

पानी प्यावत प्यार प्रीत की रीत सीखलें आप सभी ।
तो दुःख द्वन्द दूर हो भारत माता के साफ सभी ॥

अब मैं एक अर्ज और करना चाहता , अभ धौलपुर से आने वाले माननीय

(श्री हरिप्रसाद यादव)

सदस्य डॉ० बहादुरसिंहजी ने कहा उस पर :

तीन वर्ण ऊपर के बिगड़े फिर शुद्रों का
कहना क्या,
फूटी आंख लगे जब ठोकर तो दोष पैर
को देना क्या।
खेत छोड़ सेनापत भागे, डटे खेत में
सेना क्या,
शेर जहां से डर के भागे वहां गीदड़ का
रहना क्या।
इन्द्र एक बाजा क्या बिगड़ा बिगड़ गये
सब साज।

हमारी गति उल्टी भई कैसी आज।

हमारे पिछड़े हुए वर्ग को सुविधायें देते हैं। मैं यह कहूंगा कि जो कोई भी आता है उनको कुचलना चाहता है। जैसे अभी मेरे कुछ कहने पर मावली क्षेत्र से आने वाले बड़े भाई ने अपना रोष प्रकट किया मगर मावली तहसीलदार ने पूरी की पूरी पार्टी को जेल में बिठला दिया।

११.२ म० पू०.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुबारा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! please !!

श्री जनार्दनराय नागर : ये सदन को यह इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि मैंने मावली तहसीलदार को कह कर ज्यादती कराई या उनको जेल में बिठा दिया। यह इनकी आदत में शुमार हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह आदत में शुमार हो गया है, क्या यह...

श्री उपाध्यक्ष : इस बार तो बड़े अदब से कह रहे हैं कोई आरोप नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : I humbly disagree with the observations of the Chair and with all humility, I would submit that the gentleman was meaning to cast reflection as if I had given some instructious to the Tehsildar.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। you are not to disagree with the Chair. दूसरी बार जो कहा गया है यह तो आपके सम्बन्ध में नहीं था।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I am afraid some physical change is taking place in the Hon'ble member, he is becoming as senstive as a girl.

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : And you are coming...

श्री उपाध्यक्ष : हरिप्रसादजी, आप जल्दी ही अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव (जारी): मैं अपने प्रस्ताव पर आ रहा हूँ। कमेटी बनाई जावे जैसा अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला, मैं उनके भाषण का

Page No.53

(श्री हरिप्रसाद यादव)

स्वागत करता हूँ लेकिन साथ में यह अर्ज करूंगा और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान भी आपके द्वारा इस ओर दिलाऊंगा कि कोई कमेटी हो उसके सदस्य हमारे ही दोस्त हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों का आर्थिक ढांचा है उसको बनाना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि जब एक एक व्यक्ति को दस दस पर्मिट मिल जाते हैं और हरिजन को एक भी पर्मिट नहीं मिलता और यह कहा जाता है कि नीच हो। हरिजनों को कोई पर्मिट नहीं, कोई लाइसेन्स नहीं। अच्छी जमीन बनाने के लिये उनको तकावी नहीं, कोई अच्छी से अच्छी जमानत या ४ लाख के व्यक्ति की जमानत दिला दें मगर शिड्यूल्ड कास्ट को तकावी नहीं दी जावे। हमारे समाज कल्याण के उपमन्त्री ने बताया कि २६ तारीख को जो जलसा था जिसका गवर्नर ने उद्घाटन किया था वहां पर मैंने कविता की थी। उसका फोटो खींच लिया गया। मगर सोशियल वेल फेयर वालों ने फोटू नहीं दिया। वे सब फोटो के छापने में भेदभाव समझते हैं।

(हंसी)

फोटो को छपने नहीं दिया। मैं यह कहूँगा कि एक तरफ आपका यह कहना है कि समाज कल्याण करना चाहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक एम० एल० ए० और एम० पी० बराबर खड़े रहते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ और जोरदार शब्दों कहना चाहता हूँ कि सोशियल वेल फेयर का लाखों में रुपया पानी में नदी की तरह बहाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पानी में नदी की तरह......

श्री हरिप्रसाद यादव (जारी) : मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कमेटी बनाई जावे उसमें हरिजन सदस्यों के ज्यादा नाम बढ़ाये जावें, जैसा डॉ० बहादुरसिंहजी ने कहा है। सब हरिजन भी आयें तो और झगड़ा पड़ेगा। मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो संकल्प सदन के सामने उपस्थित किया है कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिये, अर्थात् अस्पृश्यता को व्यापक रूप से जल्दी से जल्दी दूर करने के लिये एक ज़िला स्तर पर परिषद बनाई जावें मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरे साथी का यह सुझाव मुझे तो ऐसा मालूम हुआ है जैसे अस्पृश्यता को दूर करने के लिये अब तक जितनी दवाइयें प्रयोग में लाई गई वे सब असफल हुई हैं। शायद वे समझ गये कि ज़िला स्तर पर परिषद् बन जावे तो वास्तव में अस्पृश्यता दूर हो जावेगी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अस्पृश्यता जिसको महात्मा-गांधी ने तो हिन्दू समाज का कोढ़ और कलंक कहा था वह अब तक वैसी ही मौजूद है और उस पर कई दवाइयों का प्रयोग करने के बाद तो अब पूर्ण से यह मालूम हुआ है कि यह कलंक और कोढ़ नहीं है बल्कि हिन्दू समाज में केन्सर है जो मिट नहीं रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के सदस्यों के सामने यह निवेदन करना है कि इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिये भारत सरकार ने जहां भारत के समस्त जनता के प्रतिनिधियों ने

(श्री रामचन्द्र)

लोक सभा में बैठ कर कानून बनाया और उसी कानून की १७ वीं धारा के अनुसार यह मान लिया कि आज से हम छुआछूत को निषेध मानते हैं। उसको और वास्तविक रूप देने के लिये एक कानून भी बनाया लेकिन आज हम देखते हैं कि इतना करने पर भी अस्पृश्यता दूर नहीं हुई तो मैं नहीं समझ पाया कि अब ज़िला स्तर पर समितियां बनाकर हम कहां तक सफल होंगे। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि आप चाहे हरिजन समाज की दिक्कतों पर गौर करें या नहीं, पर हरिजन समाज हजारों वर्षों से इस देश में दुख पा रहा है, उसे दुःख पाने दीजिये। लेकिन आप सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं और आप यहां पर जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो समझिये कि आप भारत के संविधान के बनाये हुए कानूनों की रक्षा कर रहे हैं। यदि आप भारत के संविधान की रक्षा करेंगे तो हमारी स्वयं रक्षा हो जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से हरिजन कल्याण के लिये अब तक जो कदम उठाये गये हैं वे सराहनीय हैं। सरकार की तरफ से अब तक कई कोशिशें की जाती रही हैं और सरकार बराबर यह चाहती है कि हरिजनों का कल्याण हो, और इसे पूरा करने के लिये भारत के संविधान के समक्ष शपथ ग्रहण की है कि सरकार १० वर्षों में राजस्थान से अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत को मिटा कर मानेंगे। वास्तव में सरकार इस दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस कार्य को करनेवाली सरकारी मशीनरी जो मौजूद है और सरकारी कर्मचारियों जिनके हाथ में इस कानून को पालन कराने की व्यवस्था दी है वे अपनी ड्यूटी में पूरा करने में बिल्कुल फेल हो रहे हैं। आज कानून के अनुसार हरिजनों को जो अधिकार मिलने चाहिये वे नहीं मिल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि हमारी बीमारी एक ही बीमारी नहीं है। हमारे में कई कमियें हैं और मुख्य रूप से इन कमियों को मैं तीन प्रकार की कमियां मानता हूं :—

(१) सामाजिक कमी,

(२) आर्थिक कमी,

(३) शिक्षा की कमी।

इन तीनों कमियों को दूर करने के वास्ते राजस्थान सरकार ने एक डिपार्टमेन्ट कायम किया है, और उसका नाम है समाज-कल्याण विभाग, लेकिन उसको आज ठीक ७ वर्ष हो गये हैं। ७ वर्षों में राजस्थान सरकार ने हमारे कल्याण के लिये जितना रुपया खर्च किया उसके फलस्वरूप हमको उस विभाग से कोई फायदा नहीं मिला है, यह बात आप लोगों को भी विदित ही होगी। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि समाज-कल्याण विभाग ने जो काम किया है, उसमें इस विभाग के अधिकारी डयूटी अपनी को पूरा करने में बिल्कुल ही असफल हो रहे हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि कल्याण विभाग के द्वारा राजस्थान में जो अब तब कार्य हुए हैं उनसे इस राजस्थान से कितनी अस्पृश्यता दूर ही हुई है और हरिजनों की कितनी आर्थिक उन्नति हुई है तथा उनके विकास के वास्ते क्या क्या काम किये गये हैं, इसकी जांच तुरन्त एक कमेटी के द्वारा कराई जानी चाहिये और उसके बाद यह निर्णय दिया जावे कि आया हरिजनों के नाम से जितना रुपया खर्च किया

(श्री रामचन्द्र)

गया है उससे उनका किस रूप में कितना विकास हुआ है और उसके मुकाबले में और कितना अधिक विकास होना चाहिये था। मैं तो चाहता हूं कि जैसे सरकार राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये एक प्लान के अनुसार कार्य कर रही हैं, इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि उसी तरह से हरिजनों की सामाजिक दशा को सुधारने के लिए भी एक प्लान के अनुसार ही कार्यक्रम बनाया जावे। जैसे आप पंचवर्षीय योजना बनाते हैं इसी तरह से इस कार्य के लिए भी एक तृव-र्षीय योजना बनायें एंव उनसे यह निश्चय करें कि पहले वर्ष में कितना काम करना है, दूसरे वर्ष में कितना काम करना है और तीसरे वर्ष में कितना काम करना है। यदि प्लान के अनुसार अपना टार्गेट कायम करके कुछ काम करेंगे तो मुझे आशा है कि हमारी अधिक दशा सुधर जावेगी। बहुत से महानु-भाव इस बारे में अपने दिल में यह महसूस करते होंगे कि छुआ-छूत की बीमारी रुपयों से दूर नहीं हो सकती। यह एक ऐसी बीमारी हैं जो रुपयों पैसों से दूर नहीं हो सकती है किन्तु हृदयों के परिवर्तन से ही हो सकती है। मैं इसको मानता हूं। इसके लिए समय चाहिये और यह हृदय परिवर्तन भी हो सकता है जब कि जिन आदमियों को कानून को अमल में लाने की ड्यूटी सौंपी गई है उनका हृदय परिवर्तन पहले हो जावे तब तो समाज का और जनता का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि राज्य के दफतरों में कुर्सी पर बैठ कर राज्य-कर्मचारी हरिजन को हरिजन नहीं मानते, लेकिन जब वही हरिजन जब उनके बंगले पर जाता है तो वे उसको सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ने देते। एक व्यक्ति जो घंटे भर पहले छुआछूत को छोड़ बैठा था वह घंटे भर बाद छुआछूत में फंस जाता है और यह बड़े आश्चर्य की बात है। आजकल हमारी यह दशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देकर इस बात की सत्यता बताऊंगा। आप जोधपुर में जाइये वहां माइनिंग इन्जीनियर हैं, उनका रवैया यह है कि यदि कोई सवर्ण ठेकेदार आता है तो उसको तो कुर्सी देकर बिठाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, खातिर करते हैं, और यदि कोई हरिजन ठेकेदार आया तो क्या मजाल कि उसको कुर्सी पर बिठाये, उससे हाथ मिलाये और खातिर करें, बल्कि उससे तो दूर से ही बात करेंगे। यदि किसी हरिजन ठेकेदार को पानी की आवश्य-कता हुई तो उसको दूर से ही पानी पिलाया जाता है। जैसा कि यह प्रथा पहले से चली आ रही हैं। यह दशा है राज्य कर्मचारियों की। हरिजन कल्याण बोर्ड झालावाड़ में भी है। पूरे साल भर से उसकी कोई बैठक नहीं हुई है। इस हरिजन कल्याण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में राज्य का एक कर्मचारी ने और वह भी ए. सी. ओ की पोस्ट पर होते हुए एक बार तो यहां तक कह दिया कि मै सरकार की स्कीम पर विश्वास नहीं रखता, यह तमाम ढकोसला है। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सरकारी कर्मचारी की यह भावना हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि यह छूआछूत की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ आप करें वह एक प्लान के अनुसार करें, क्योंकि हमारे नाम से हर साल लाखों रुपया तो खर्च हो रहा है लेकिन वास्तव में इस रुपये में से हरिजनों का कल्याण नहीं हो रहा है, बल्कि कल्याण तो उनका हो रहा है जिन व्यक्तियों

(श्री रामचन्द्र)

के हाथ में खर्च करने के लिए रुपया दिया गया है। इस बात का पता आप यों लगा लीजिये कि जब से समाज कल्याण विभाग का निर्माण हुआ तब से कितना रुपया हमारे लिये खर्च किया गया। इसमें से कितना रुपया हमारी शिक्षा में कितने रुपये हमारे लिए कुए और मकान बनाने के लिए खर्च हुए। इन आंकड़ो को लेकर राजस्थान में आप दूर करके देखिये तो आपको विदित हो जायगा कि वास्तव में कितने मकान और कुए बने है और कितना शिक्षा में खर्च हुआ है। यह भी देखिये कि जितना रुपया खर्च किया गया है उनमें से कितने रुपयों के भत्ते बिल बने हैं और कर्मचारियों के अन्य कामों पर खर्च किये गये हैं। वास्तव में समाज कल्याण का काम केवल प्रचार ही प्रचार है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार के आंकड़े बताकर जनता को केवल धोखे में डालना है। वह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हरिजन कल्याण का जो भी काम हो वह प्लान के अनुसार होना चाहिये साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि अब तक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए केवल शहरों को ही चुना है इसलिए अब हमें गांवों के अन्दर भी जाना चाहिये। जैसे विकास योजनाओं को पूर्ण रूप से लाभन्वित बनाने के लिए जैसे शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है उसी तरह समाज कल्याण विभाग जो अब तक जयपुर में बैठ कर ही काम कर रहा है उसको अब गांवों में जाकर काम करने के लिए भेजें। हरएक ज़िले में समाज कल्याण विभाग कायम किया जाना चाहिए जिससे गांव गांव और तहसील तहसील में जाकर हरिजन समाज का सुधार करने में सहायता उपलब्ध हो सके, यही मेरी इच्छा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो अस्पृश्य जातियों के प्रश्न को लेकर काफी वाद विवाद दोनों ही ओर से चल रहा है और जैसा कि हमारे सिद्धान्त शास्त्रीजी ने इस प्रस्ताव को लाकर यह प्रश्न उठाया इसके लिए मैं मेरी ओर से उसका पूर्ण स्वागत करता हूं। मेरा यह निवेदन है कि यह जो १२ वर्ष का अर्सा हो चुका है हरिजनोत्थान के वास्ते, वह काफी लम्बा समय है। पानी की तरह से भी धन बहा रहे हैं और जो उनके उत्थान के लिए कार्यवाही हो रही है वह किसी को अविदित नहीं है। लेकिन पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उससे ऐसा प्रकट होता है कि जितना ठोस कार्य होना चाहिये था उतना हुआ नहीं है और इसके लिए पूर्ण सफलता के साथ मंत्रिमंडल को और साथ ही समाज को भी इस ओर अग्रसर होना चाहिये। इस पर थोड़ी भूमिका का विश्लेषण किया जाय तो अनुचित नहीं होगा। हरिजन समाज और सवर्ण समाज के बीच जो भित्ति खिंची हुई है, अगर देखा जाय तो भगवान राम और कृष्ण तक ने भी कभी भेद-भाव नहीं रखा है। महाराज रामचन्द्र जी ने भीलनी शबरी के हाथ के झूठे बेर खाये थे और भेदभाव नहीं रखा था ऐसे ही मातङ्ग ऋषि से भगवान कृष्ण ने गीता के अन्दर फरमाया है कि ब्राह्मण और शुद्र में, कुत्ते और गाय के अन्दर कोई फर्क नहीं समझता उसी तरह से ये भाव आगे बढ़ते रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे महामना गांधी जी महाराज ने भी और इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी यह बराबर प्रयत्न रहा है कि हरिजनों के उत्थान के लिए पूर्ण रूप से

(श्री रामचन्द्र)

सचेष्ट रहना चाहिये। राजस्थान के अन्दर ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष के अन्दर मुगल सत्ता और पटान सत्ता थी उन दिनों में भी कबीर रैदास, और दादूजी महाराज प्रभृति जितने भी बड़े बड़े हिन्दू जाति के रिफोमर्स और उत्थापक हुए हैं उनका इस हरिजन समुदाय को उठाने में काफी हाथ रहा है। वे हरिजनों में से ही थे।

यहां तक कि उदयपुर स्टेट की एक बड़ी धर्मात्मा राजमहिषी मीरां बाई तक ने रैदास को गुरू बनाकर एक नमूना पेश कर दिया था। मेरा निवेदन यह कि जिस समय हिन्दू समाज ने इन हरिजनों को छाती से लगाया था वह समय और था फिर भी उस समय हिन्दुओं ने इनके साथ कोई भेद भाव नहीं बरता। इसी तरह से महामहीम बापू के भी सिद्धान्त थे वे हरिजनों को अपना अंग समझते थे। उन्होंने भी इस समाज को अग्रसर करने में काफी कार्य किया लेकिन इसके पूर्व भी हमारे यहां बड़े बड़े लोगों ने हरिजनों को अपनी छाती से लगाया था। इसके लिये सरकार भी रुपया खर्च कर रही है किन्तु जैसा धन का सदुपयोग होना चाहिये वैसा नहीं हो पा रहा है। मेरा कहना कुछ लोगों को कर्ण कटु लग सकता है, कुछ माननीय सदस्यों को और कुछ मंत्रियों को भी लगे, लेकिन स्पष्ट कह देने के अन्दर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार यह सवाल हुआ आज से ५०० वर्ष पहले मेरे बुजुर्ग महाराज जैतसिंहजी ने जोबनेर के अन्दर ज्वाला माताजी का मन्दिर स्थापित करके अन्य लोगों के सामने आदर्श रखा। आप महानुभावों को पता नहीं कम से कम दस लाख यात्री सारे के सारे मत्स्य देश के मथुरा और आसपास के उनके दर्शनार्थ आते हैं। वहां पर हिन्दू हरिजन सवर्ण और मुसलमान ईसाई आदि में भी किसी प्रकार का प्रवेश करने में भेद नहीं, उन माताजी के मन्दिर में हर जाति के लोग उपस्थित हो सकते हैं वहां हमारे महा महिम हरिभाऊजी और श्री अमृतलालजी यादव साहब वहां आये थे। अमृलालजी और अन्य लोगों ने उसकी भूरि भूरि प्रशसा की थी। वहां चैत्र भर मेला चलता है। ऐसी स्थिति में हम यह कहते हैं कि किसी तरह से भेदभाव होने का सवाल नहीं है। सिद्धान्त शास्त्रीजी क्यों डरते हैं? जिस समय कांग्रेस सरकार इसके लिये अग्रसर हो रही है जिस प्रकार की विचार धारा वे रखते हैं उस तरीके से गवर्नमेंट संचालित होने की चीज नहीं उसमें समाज हित होना चाहिये। समाज उसके लिए अग्रसर हो तो ज्यादा आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा आज भी कहा जाता है कि हम लोगों को अग्रसर होने के वास्ते सरकार की ओर से शिक्षा के लिये कोई स्कोलरशिप आदि का हिसाब नहीं। मेरी जैसी छोटी स्थिति के जागीरदार ने भी आज से पच्चास वर्ष पहले ऐसा किया। मेरी उस संस्था में सवर्ण और हरिजन कन्धा से कन्धा लगा कर उस समय भी मौजूद थे। शायद हमारे सिद्धान्तशास्त्री जी और उनके पिता ने बराबर देखा है। उनके दादा के वक्त में भी यही हाल था। उस वक्त भी यह इच्छा रहती थी इन लोगों को ऊंचा उठाने के लिये कार्य किया जाय। आज जोबनेर की जो जनसंख्या है उसमें पच्चीस प्रतिशत हरिजन हैं और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त किये हुए मौजूद हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर उनको इस बारे में विचार और दुःख नहीं मानना चाहिये। मेरे ख्याल से उनकी विचारधारा का अक्षरशः पालन

(श्री रामचन्द्र)

हां, मैं तो इसे उचित समझता हूँ। मेरे एग्रीकलचर कॉलेज में इस बात की साफ हिदायत कर दी थी कि हरिजन और खेतीहर में किसी प्रकार का भेदभाव न रहे और न एक पैसा भी फीस का लिया जाय और सब को स्कॉलरशिप दिया जाय। मेरे बहुत सीमित साधन थे लेकिन फिर भी वैसा का वैसा हिसाब रहा है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इतने बड़े समाज का जो यह अंग है उस हिसाब से जो भी कार्यवाही होनी चाहिये इस समाज के साथ जरूर होनी चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं चेतावनी के तौर पर हरिजन भाइयों को भी अर्ज कर देना चाहता हूं। हरिजनों की काफी बस्ती जोबनेर के अन्दर है। अमृतलाल जी यादव महोदय जब पधारे थे उस समय भी इस वास्ते विचार हुआ था। उस समय यह तय हुआ था वे सारे समाज को लेकर और सब मन्दिरों में जाया जाय। मंत्री महोदय को साथ लेकर भंगी बस्ती होते हुए खटीकों, चमारों और सबके मन्दिर में प्रवेश किया जाय। जिस समय यह प्रश्न आया उस समय उन मंत्री महोदय को ठेस पहुंची। वह बात यह थी कि उस समय रेगरों ने इस तरह के भाव प्रदर्शित किये थे कि भंगी समुदाय को साथ लेकर रेगर चमार बलाइयों और खटीकों के मोहल्ले के अन्दर उनके मन्दिरों में प्रवेश करेंगे लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने गंगा माताजी के मन्दिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। यह एक गौर करने की बात है। एक जोबनेर में ही क्या जहां मेरे माताजी का स्थान है उसका भी प्रबन्ध करने के लिये मैं तैयार हूं। आज भी भंगियों की आबादी के अन्दर है। सब भंगियों को साथ लेकर अगर दूसरे हरिजन भाई उनको साथ लेकर मेरे गांव में प्रवेश करें तो क्या वे अपने मन्दिरों में जाने देंगे? इस बात के लिये सोचने की बात है। जो दूसरे ब्राह्मण महाजन समुदाय है उनके जो मन्दिर हैं तो उनका प्रश्न आता है। जब वे हरिजन भाई अपने-अपने मन्दिरों में भी एक दूसरे को प्रवेश नहीं करने देते तो ब्राह्मण महाजन आदि के मन्दिरों का सवाल ही कैसे आ सकता है। यहां तक कि मैंने यह कहा कि मैं अपने साथियों को अपने साथ में लेकर एक लाइन में शामिल करके उनको भी हमारे आगे जोड़ने का फैसला कीजिये। आज क्या एक भंगी को एक बलाई अपने मन्दिर में आने देगा, एक रैगर एक खटीक को अपने मन्दिर में आने देना नहीं चाहता इस प्रकार का सुधार करना बड़ा भारी काम है। इस विचार धारा के साथ में देखा जाय तो मैं समझूंगा यह बहुत दुःख की चीज़ है। इसके अलावा मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि जितने भी हरिजन पार्टीज़ हैं वे अपने लिये ये सब चीजें सामने रख कर आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त आपके सम्बन्ध में आपके कार्य को और आपकी विचार धारा को बल मिलेगा। और वैसे आप आगे नहीं बढ़कर करेंगे तो कमजोरी की चीज होगी। तो मेरी तरफ से चेतावनी नहीं बल्कि प्रेरणा है कि आप लोग इस चीज को बढ़ावें और इस तरफ प्रयत्न करेंगे तो ठीक होगा। आज आप ही एक दूसरे से छूआछूत करते रहेंगे आपस में तो आगे का आपका बढ़ने का मार्ग संकीर्ण हो जावेगा। इतना निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका हृदय से समर्थन

(श्री रामनारायण वर्मा)

करता हूँ। केन्द्रीय बोर्ड के मुख्य आयुक्त ने भी एक सुझाव दिया है कि इस प्रकार की समितियों का गठन किया जावे। लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और इसको वैसे ही भुला सा दिया है। तो संकल्प-कर्त्ता की मंशा वास्तव में उपयुक्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में छूआ-छूत का एक भयंकर रोग है जिसको कुष्ट रोग भी कहा जावे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसने पुराने युग से हमारे समाज को छिन्न-भिन्न कर दिया है, वास्तव में। आज हम हमारे एक बन्धु को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। स्वकीय की नहीं परकीय की भावना उसके प्रति रखते हैं। तो इस रोग को अविलम्ब हमें समाप्त करना होगा। यह सरकार का ही नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि इसका वे नाश करें।

११.३१ म० पू०,

(श्री अनूपसिंह सभापति, पदासीन)

कानून बना इस बारे में। पर कानून इस समस्या का उपयुक्त हल नहीं है। कानून लागू है, पर फिर भी कई स्थानों की घटनाएं रोज़ हमारे सामने आती हैं। आज गांवों में कानून से विपरीत परिणाम हुआ है। सवर्ण और हरिजन पहले कहीं अधिक प्रेम से रहते आये हैं, पर आज घृणा और शत्रुता के भाव से देखने लग गये हैं। कुंए पर पानी नहीं पीने देते, किसी हरिजन के खेत के चारों ओर सवर्णों के खेत आ गये हैं तो फसल तक नहीं हटाने देते। यहां तक हुआ है कि हरिजन गांव छोड़ कर चले जाने के लिये मजबूर किये गये हैं। इस खाई को पाटना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। इसकी शुरुआत सत्तारूढ़ दल के लोगों ने की। उन्होंने चुनाव में वोट लेने के लिये उन लोगों को उकसाया और इसकी शुरुआत मुर्दा मवेशियों को उठाने न उठाने से हुई। आज हरिजन भयंकर परि-स्थिति में फंस गये हैं। उकसाने वाले भी आज उनको छोड़कर अलग हो गये हैं। यह फूट डालकर शासन करने की अंग्रेजों की नीति आज सत्तारूढ़ दल ने अपना ली है। वास्तव में कानून से उल्टा असर हुआ है और हरिजन समस्या और बढ़ गई है।

आज सरकार भी इस प्रश्न को दर गुज़र करती जा रही है। राज्यपाल महोदय ने अपने विगत दो अभिभाषणों में संकेत किया था कि हरिजनों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती और इसके लिये खेद प्रकट करते रहे और सरकार कोशिश करेगी, ऐसा कहते रहे। पर इस वर्ष के अभिभाषण में ऐसा लगा कि उनके हिसाब से हरिजनों की समस्या पूर्ण रूपेण हल हो गई है। कह दिया कि इतनी नौकरियां उनको मिल गईं। मानो नौकरियों के मिलने से ही उनकी समस्या सब हल हो गई है। तो सरकार भी धीरे धीरे इसको भूलती जा रही है। मैं निवेदन कर दूँ कि यह समस्या अभी हल नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। इसको भुलाना नहीं है गहराई से सोचना है।

मैं तो कहूंगा कि यह मानसिक प्रश्न है। यह कोई स्थूल शारीरिक रोग नहीं है जिसको इन्जेक्शन लगा दिया और ठीक हो गया। जब तक इसके लिये हृदय परिवर्तन का कार्य क्रम नहीं होगा तब तक छुआछूत पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने यह प्रश्न उठाया था। आज जो छुआछूत में

(श्री रामनारायण वर्मा)

विश्वास नहीं करते उनके घरों में भी यह छुआछूत अभी बनी हुई है, गई नहीं है। अब तो यह सहकारिता के बेसिस पर हल की जा सकती है। आज सरकार हर प्रश्न को इसी सहकारिता के बेसिस पर हल करने जा रही है। पर विगत ११ वर्षों में इस मामले में कितना सहयोग यह ले सकी है, यह नहीं बतला सकती। हम कहते हैं सहयोग बड़ी अच्छी चीज़ है। मिल जुल कर रहना चाहिये। पर आज गांवों में सहयोग नहीं है बल्कि पार्टीबन्दी और बढ़ी है और फैली है। शान्ति प्रिय लोग आज गांव में रहना पसन्द नहीं करते। इस प्रकार वहां का वातावरण दूषित और विषाक्त हो गया है। आज सहकारिता का वातावरण गांवों में नहीं रह गया है जिस के आधार पर कि इस समस्या को हल किया जा सके।

आज समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो हरिजन जाति विशेष में उत्पन्न होते हैं। उन लोगों के मानसिक परिवर्तन करने के लिये सरकार को आयोजन करने चाहियें, शिविर लगाने चाहिये, साहित्य तैयार करना चाहिये, इसकी सिनेमा और फिल्में तैयार हों ताकि उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो।

और कुछ ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि छुआछूत करनी चाहिये नहीं, पर चूंकि उनकी वेष भूषा और काम ऐसे हैं इसलिये छुआछूत करते हैं। तो यह आर्थिक पहलू है। जब तक उनका आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तब तक वे उनकी तरह नहीं रह सकेंगे। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकेंगे और अच्छे मकानों में नहीं रह सकेंगे। तो इस प्रश्न के दो सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। इन पर सोचा जावे और इस प्रकार से कार्यक्रम बनाया जावे तो इस का हल हो सकता है। अन्त में मैं माननीय सदस्य ने जो संकल्प रक्खा है उसका हृदय से समर्थन करता हूं। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री सभापति (श्री अनूपसिंह) : श्री मुरलीधर व्यास

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On a point of order, Sir. सभापति महोदय को काले ग्लास पहन कर नहीं बैठना चाहिये।

श्री सभापति : Pardon ?

श्री अर्जुनदास : The person presiding over the House cannot put on black glasses, Sir, because in that case we cannot catch his eye at all.

श्री सभापति : These are not goggles.

श्री अर्जुनदास : Whatever they may be. But we cannot catch your eye.

श्री सभापति : But I can catch your eye.

श्री अर्जुनदास : That is not the question. The question is that we cannot catch your eye. Then we are non plussed.

श्री सभापति : But otherwise I cannot catch your eye.

श्री जगदीप्रसाद माथुर (सीकर) :

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सभापति महोदय, इस प्रकार के शब्द बोलना कि सभापति महोदय इस प्रकार के ग्लास नहीं पहन सकते, यह अपमानजनक बात है।

श्री सभापति : यह इनका सजेशन था। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, यह जो कमेटी बना कर जो सारे राज्य में छुआछूत फैली है उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और जो इसके बारे में प्रस्ताव रखा गया है और उसमें कुछ संशोधन भी आये हैं, मैं इस मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यों तो सही माने में देखा जाय तो संविधान के जहां अधिकारों का प्रश्न है उसमें एक सबसे बड़ा अधिकार दिया है और वह कानून के दृष्टिकोण से हम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है और न कोई छूत है और न कोई अछूत, इस प्रकार का संविधान में हमें अधिकार दिया हुआ है। सही माने में देखा जाये तो ज़माने के अनुसार जहां तक कानून का सवाल है, हमें अधिकार मिला। आज रानी के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है या चाहे मेहतरानी के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है तो इन दोनों के विकास में कानून की दृष्टि से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दोनों का समान विकास कानूनी दृष्टि से दे दिया गया है। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी क्यों विकास नहीं होता ? क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने हैं ? हम उन दिक्कतों को हल करने के लिए कई प्रकार के उपाय भी करते हैं, फिर भी जिस समस्या को हल करना चाहते हैं वह क्यों नहीं होती, इसको गम्भीरता के साथ देखना है। कुछ लोगों का ऐसा मत था कि यह छुआछूत हमारे सस्कारों के आधार पर चली। मैं मानता हूं कि एक संस्कार है और उसके आधार पर छुआछूत भी है। परन्तु इस संस्कार का जन्म कहां से हुआ, इसका कारण क्या है और उसके साथ ही साथ आज यह दूर क्यों नहीं हो सकती, इसको गहराई से देखना चाहिए। मैं इस बात को मानने वाला हूं कि सही माने में देखा जाये तो आज इसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो यह है कि हमारे मुल्क में जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था है उसका ढांचा इस प्रकार का है कि जो गिरे हुए लोग हैं, उनको सरकार ने ऊपर उठने का पूरा मौका नहीं दिया है और तब तक वे विकसित नहीं हो सकते, जब तक छुआछूत को नहीं मिटाया जा सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि यह संस्कार से है और कुछ उनके जीवन परिवर्तन से, उनके आत्म प्रकाश से इस प्रकार की कोई चीज़ हो जाये तो मैं मानता हूं कि कुछ विचार से यह ठीक है परन्तु जहां तक आर्थिक विकास नहीं होता है, आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होता, उनका सामाजिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता, उनको शिक्षा नहीं दी जाती तब तक किसी प्रकार से उन लोगों के साथ छुआछूत की जाती है, वह दूर नहीं होती। मैं आप लोगों के सामने इसके लिए कहना चाहता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि इन लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे विकसित किया जाये, उनके लिए ज़्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। यदि कमेटी बनी और उसका केवल एक लक्ष्य मात्र यही उद्देश्य बना कि यह छुआछूत कैसे दूर हो और इसके लिए क्या करना चाहिए इससे पहले उनके विकास का अंग है अगर वह अलग रह जायेगा तो नतीजा यह होगा कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

जिस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए और खींचना चाहिए उस तरफ न जाकर दूसरी तरफ चला जायेगा, तो, मैं यह सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सबसे पहला लक्ष्य उस कमेटी का यही हो कि उनका आर्थिक विकास हो। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विकास को सरकारी स्तर के ऊपर, सामाजिक स्तर के ऊपर और जो राज्य सरकार का स्तर है उस स्तर पर वह किस हद तक सोचते हैं और हर मुद्दे पर सरकार अगर यही दृष्टिकोण रखेगी कि नहीं, इनसे हमें राजनैतिक काम लेना है तो मैं समझता हूं कि उनका विकास नहीं हो सकता, चाहे वह समाज कल्याण बोर्ड हो, चाहे सरकार किसी मुद्दे पर किसी नीति को बनाये, उसका दृष्टिकोण एक ही है। ठीक है इस प्रकार की नीति बनाने में अगर राजनैतिक दृष्टिकोण रखेंगे तो नतीजा यह होगा कि हम उनका विकास करने में अड़चन डालेंगे। एक सवाल आया और बड़ा सीधा सवाल था और वह यह था कि शायद किसी ने कहा कि नाथद्वारा की कमेटी में एक सदस्य हरिजन हो और वह अनिवार्य रूप से रखा जाये। उसके बारे में कहा गया कि अगर वह वैष्णव है तो रखा जा सकता है। जब आप कहते हैं कि बिना ब्रह्म सम्बन्ध लिए कोई वैष्णव नहीं हो सकता तो कौन उसको ब्रह्म सम्बन्ध देगा और इस प्रकार से एक भी हरिजन उस समिति में नहीं आ सकेगा। तो इस तरह से उस कमेटी में किसी हरिजन को लेने की बात थी तो आप उस असली बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। जिन मूलभूत अधिकारों को देना चाहिए वह आप नहीं देते हैं। किसी भी सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक क्रान्ति करनी होती है या फिर आज सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। किसी के लड़ने की ताकत होती है तो आप सुधार कर सकते हैं। आज हम इस प्रकार की बातें अपनी सरकार के कर्मचारियों में देखें। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को किसी मामूली चौकीदार को रखना है तो एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज को कहेंगे कि कहीं ऐसा मत भेजना कि जो शिड्यूल्ड कास्ट का हो नहीं तो घर में कौन काम करेगा। ऑफिसर एक दूसरे को ऐसा कहते हैं और ऐसी घटनायें होती हैं। यहां तक मैं आपसे कहूं कि इसी राज्य के अन्दर एक सरकारी कर्मचारी ने, बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी ने ऐसा किया। उसको अपने यहां पर कोई नियुक्ति करनी थी और उससे घर का काम कराना था, उसने एक आदमी को रखा। उन्होंने एक को कहा कि हम तुमको ले तो लेंगे लेकिन अपने नाम के पीछे हरिजन लिखो तो हम ले लें। आखिर उस व्यक्ति को, क्योंकि नौकरी करनी थी इसलिए उसने अपने नाम के पीछे हरिजन लिख दिया। वह उस अधिकारी के पास काम करता रहा। अब कुछ दिन पश्चात जब अधिकारी का कहीं ट्रांसफर होने लगा तो फिर उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी आये तो वह भी इसी तरह से कहने लगा। वह जात का तो नाई था लेकिन अपने नाम के पीछे हरिजन लिखता रहा और सब काम करता रहा। उसके बाद में दूसरे अधिकारी आये तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है तो उसने कहा कि काम करते रहो। जब दूसरे लोगों को यह मालूम हुआ कि यह जाति का तो नाई है और अपने आपको हरिजन लिखता है तो उसकी जाति ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके ऑफिसर ने कहा कि यह क्या है? खैर, वह अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

जिस अधिकारी ने अपने यहां पर रखने के लिए, क्योंकि उसकी नियुक्ति करनी थी और उसकी नियुक्ति केवल हरिजन के रूप में ही हो सकती थी, दूसरा आदमी मिल नहीं रहा था इसलिए कोई हरिजन ही रखा जा सकता है तो नाई को लेकर हरिजन उसका नाम रख दिया। अगर कोई अधिकारी ऐसा काम करने लग जाये तो आर्थिक विकास में भी उनको स्थान नहीं मिलेगा। ऐसी कई जगह घटनायें होती हैं। गत बार मैंने ऐसे अधिकारी के नाम वगैरह भी रखे लेकिन खेद है कि उसके ऊपर और अधिकारी के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह भी कहूँ कि सरकारी दृष्टिकोण हर मामले में बहुत साफ़ होना चाहिए। आज बीकानेर के अन्दर आपको मालूम होगा कि हरिजनों की एक हड़ताल हुई। हरिजनों ने एक छोटे से मुद्दे को लेकर कि एक इन्स्पेक्टर था जो हरिजनों से पैसा लेता है और हरिजनों का इधर से उधर ट्रांसफर करता है; इससे हरिजनों को बहुत दिक्कत है इससे एक हरिजन भूख हड़ताल पर बैठ गया। क्योंकि वहां की म्युनिसिपेलिटी के लोग इस पर कोई ख्याल नहीं करते थे। मुझे दुःख इस बात का है कि जो लोग आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठावें, उनकी तनख्वाह में ५ रु० की वृद्धि करने की आवाज़ उठावें, जो पी. एफ. का पैसा कटता था वह उनके नाम पर नहीं होता था, उसको उनके नाम पर कराना था इन मुद्दों को लेकर उन्होंने हड़ताल की। नतीजा यह हुआ कि उस बोर्ड में सारे लोग जो इस दिमाग के थे कि उन्होंने यह फैसला किया कि हम उनको कुचलेंगे और इस छोटी सी बात के लिये एक महीने तक हड़ताल चलाई और यहां तक हुआ कि हरिजन महिलाओं को और हरिजन पुरुषों को जेलों में रखा गया और दूर दूर पर छोड़ा गया, हैरान किया गया और यहां तक हुआ कि अजमेर के सम्माननीय सदस्य बाहर से बहुत से हरिजनों को लेकर वहां पर आये। वहां पर पार्लियामेन्ट के लोग आये और महीने भर के बाद उनको कह सके कि ठीक बात है हम इस पर कार्यवाही करेंगे, तुम हड़ताल समाप्त करो लेकिन कार्यवाही क्या की गई? एक महीने तक हड़ताल करने के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि तुमको पैसा दिला देंगे। इस बारे में जब विधान सभा में सवाल पूछा गया तो बताया गया कि सरकार ने वादा नहीं किया था। सरकार ने वादा किया हो या न किया हो लेकिन हरिजनों की छोटी सी बात को राजनैतिक मुद्दे की बात बना लेते हैं इसलिये कि विरोधी पक्ष के लोग उनको चाहते है। राजनैतिक दृष्टिकोण से दूसरों की बात को दबाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया और सभाओं में कहा कि यह आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने पब्लिक में तुमको कहा है कि मंदिर में ले जायेंगे और मंदिर में ले जाने के लिये ही हरिजनों ने हड़ताल कर दी है। विरोधी पक्ष पर आरोप लगाना है इसलिये मंदिर में ले जाने और छुआछूत मिटाने की बात करते है। आखिर में सभी बातों में राजनैतिक दृष्टिकोण बन जायगा तो कौन उनका विकास करेगा। मैं सही तरीके से कहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण इस तरह का नहीं है। लेकिन जो लोग राजनैतिक दृष्टिकोण ऐसे मामलों में भी लाते हैं, वह नहीं होना चाहिये। उनके विकास का सीधा मामला आना चाहिये।

आज नाथद्वारा के बारे में मालूम हुआ

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि हरिजनों को लेकर जिन लोगों ने हड़ताल की और भूख हड़ताल की उनको एक साल की सज़ा ठोक दी गई। नाथद्वारा से हरिजन परिवारों को अलग किया गया। पहले भी वहां पर हड़तालें हुई हैं लेकिन वहां पर एक दृष्टिकोण है कि हरिजनों का नेतृत्व एक ऐसा आदमी करता है जो विरोधी पक्ष का है और उसको हटाने के लिये कहते हैं कि छुआछूत दूर होनी चाहिये, मंदिर प्रवेश होना चाहिये, इस प्रकार की बात करते हैं तो उनको दबाया जाता है और ऐसे लोगों को हटाया जाता है। आप नाथद्वारा में पता लगाइये वहां पर हरिजनों के कितने परिवार थे, ३६, ४० परिवार थे उनमें कितनों को म्युनिसिपेलिटी में रखा गया, उनमें से ६० पर्सेन्ट को हटा दिया गया है, कुछ लोग जेलों में हैं। हरिजनों की मामूली बात को भी लेकर इतना संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं तो कोई काम नहीं होने का। आज से १० दिन पहले का एक वाक्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नीमके-थाने में एक गांव है वहां के हरिजन लोग मांग कर रहे थे कि वहां पर ज़मीन खाली पड़ी है और वह सरकारी जमीन है इसलिये हमें यह जमीन जोतने के लिये दी जाय। कलेक्टर ने जांच करके हुक्म दिया कि जमीन हरिजनों को दे दी जाय, मेरे पास उस हुक्म की कॉपी है। हरिजनों ने उस हुक्म के आधार पर जमीन जोती, एक साल हुआ, माल पैदा किया। आज से १० दिन पहले यह बात उठी कि हरिजनों ने ले लिया, माल पर उनका अधिकार है। जिन्होंने माल पैदा किया उस माल के बारे में सवर्ण लोगों ने कहा कि जो माल हरिजनों ने पैदा किया है उसको लूट लो। हरिजनों ने इसके खिलाफ शिकायत की, कीमत उनको दी जायगी या नहीं दी जायगी लेकिन आप यह पता लगालें कि इस माल को लुटवाया गया है या नहीं। इस तरह का संकुचित दृष्टिकोण हर जगह हो जाय तो साधारण हरिजन कहां जायेंगे। ऐसी घटना कहीं पर होती हो और इस समय जाकर उनकी रक्षा का प्रबन्ध हो तो कुछ बात हो सकती है वरना अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटती हैं और उनको रोक नहीं सकते। इन लोगों को अगर आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का विकास हो सकता है। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आज भी ऑफिसरों का दृष्टिकोण और गांवों में खेती करनेवाले सवर्ण लोगों का दृष्टिकोण और साथ साथ राजनैतिक दृष्टिकोण जो है उसको दिमाग की गहराई से सोचना चाहिये और यह दृष्टिकोण रहना चाहिये कि सही माने में हम उनका विकास करना चाहते हैं। बाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा वाकई स्थिति क्या है, उसकी गहराई को देखना है। ये लोग जितने पिछड़े हैं, गिरे हुए हैं और समाज द्वारा बहिष्कृत हैं, उनको सुधारने का दृष्टिकोण सही माने में हो तो बहुत कठोरता से, हिम्मत से और समाज के जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उनका मुकाबला करने की ताकत राज्य सरकार में नहीं होगी तो सच्चे माने में सुधार नहीं होगा। गांधीजी के दिमाग में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, गांधीजी के पास राजनैतिक उल्लू सीधा करने का दृष्टिकोण नहीं था लेकिन उनमें हरिजन उत्थान करने की प्रबल इच्छा थी। उसी तरह से हममें भी हरिजनों को सुधारने की जब तक प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक उनका सुधार नहीं होगा। मुझे मालूम है कि गये चुनाव के समय जब डॉ० सुशीला नैयर हमारे यहां गई और सारे

(श्री मुरलीधर व्यास)

कांग्रेसियों की बैठक वहां हुई, टिकट देने का मामला था। उस समय उनसे कहा गया कि हरिजनों के बारे में सारे लोगों के क्या विचार हैं? इसकी जांच करने के लिये सिर्फ यह किया जाय कि जो लोग वहां आवें उनको हरिजन के हाथ से पानी पिलाने दिया जाय। सुशीला-जी ने वही किया। जब वहां पर चुनाव के टिकट के सम्बन्ध में अपनी अपनी बात करने के लिये लोग आये तब हरिजन गिलास उठाकर पानी पिलाने लगा तो डॉ. नायर ने कहा कि पानी पीजिये, मैं यह जानना चाहती हूँ कि छुआछूत मिटाने के लिये कितने लोग सक्रिय है, एक घूंट ही पानी पी लीजिये। वहां बैठे हुए लोगों में से कितने ही लोग भागने लगे और कतराने लगे, यह कहने लगे कि प्यास नहीं है। अच्छे अच्छे लोग भाग गये क्योंकि बीकानेर में ऐसा समाज है जो बहुत कट्टर है। उनको अगर पता चल गया कि फलां आदमी ने हरिजन के हाथ से पानी पिया है तो वे लोग उनको वोट नहीं देंगे इसलिये उन्होंने हरिजन के हाथ से पानी नहीं पिया। आज जो लोग किसी नीति को मानते हैं। नियम को मानते हैं, उसूल को मानते हैं उनमें यदि उन उसूलों, नीति और नियमों को अपने जीवन में उतारने की ताकत नहीं रहती, तो वे किसी का भला नहीं कर सकते।

एक साथी ने सुझाव रखा कि जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक उन्नति नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूँ कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन हृदय परिवर्तन क्या है? ऐसी चीज तो नहीं है जो किसी के कहने से हो जायगी, एक दो में हो जायगा, यह मानलें लेकिन दूसरी ओर समाज का जो तबका है जिसमें सारे मुल्क में ऐसे आदमी हैं...

१२ मध्यान्ह

जो कि इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर इस प्रकार का कोई काम होता है तो उसका मुकाबला करेंगे, उसका डट कर मुकाबला करेंगे। अगर दूसरा पक्ष मुकाबला करने के लिए खड़ा हो और हम लोग जो नियम, कानून बनाने जा रहे हैं और अपने को प्रवर्तक बनाने जा रहे हैं, हम इस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारें और हिम्मत से मुकाबला नहीं करें तो मैं नहीं समझता कि उनके जीवन का उत्थान कर सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस उत्थान के लिए हृदय-परिवर्तन की बात मान ली जाय लेकिन इसके साथ ही साथ उनके आर्थिक उत्थान की बात को सबसे बड़ा महत्व दिया जाय। अगर आर्थिक उत्थान को महत्व नहीं देंगे और हृदय परिवर्तन के साथ छुआ-छूत को दूर भगाने की बात करेंगे और यदि इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ गये तो इसका नतीजा यह होगा कि छुआ-छूत को दूर करने की बजाय उसको और बढ़ा देंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि छुआ-छूत का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कमज़ोरी और इसके कारण ही मनुष्य मनुष्य में भेद लिये बैठा है। आप देखें कि जो बड़े लोग हो जाते हैं, जो मिनिस्टर बन जाते हैं, वे हरिजन होते हैं लेकिन लोग उनके पास जाते हैं, आनन्द के साथ हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, बैठ कर चर्चा करते हैं, खाना खाते हैं और चाय पीते हैं। कोई म्यूनिसिपेलिटी के मेम्बर बन गये, ऊंचे दूकानदार बन गये, पैसे वाले बन गये तो सब इज्ज़त करते हैं। आज के समाजवाद में सब मालदार बन जायं, यह नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह सोचता हूं

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि कम से कम समानता इतनी हो जाय कि जो गिरे हुए हैं वे ऊंचे उठ जांय, उनका सम्मान हो सके। आज उनका सम्मान न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हरिजनों को क्या मिलता है ? आज एक हरिजन को २५ रु०, ३० रु० मिलते हैं, गांव में २० रुपये मिलते हैं। वह मांग करे कि ५० रुपये दीजिये, वे दे नहीं सकते, पैसा नहीं दे सकते। उनकी आर्थिक हालत के विकास के लिए कुछ करें, यह अनुभव नहीं करते तो उन्हें कौन पूछेगा ? वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ३० रु०, ३५ रुपये में हरिजन क्या करेगा ? आप एक नहीं, हजार प्रयत्न करें, मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूँ कि आप छुआ-छूत को दूर नहीं कर सकते। अगर आपको छुआ-छूत दूर करनी है तो आपको यह फैसला करना पड़ेगा और उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा कि जो हरिजन हैं, जो महतर का काम करते हैं, उनको कम से कम १०० रु० दिये जायेंगे। (तालियां) इतनी ताकत होगी तो जिस विकास के काम में हम लगे हुए हैं, उसमें बढ़ेंगे। अगर ३० रु० और ४० रु० दें और आप सोचने लगें कि इससे छुआ-छूत हट जायगी, विकास हो जायगा, मुझे इसमें बिलकुल भी विश्वास नहीं है। मेरा पूरा विश्वास यह है कि आर्थिक विकास के उनको साधन मिलेंगे तो वे अपनी उन्नति कर सकेंगे, बहुत उन्नति कर सकेंगे, उनके बच्चे उन्नति कर सकेंगे और लोग अपना दृष्टिकोण बदलेंगे। आज मैं कह दूँ कि चमड़े का जो काम है, उसमें अच्छी कमाई होती है तो दूसरे लोग दौड़े आयेंगे। इसलिए जो हरिजन का काम करते हैं, उनको १०० रु० मिलते हैं, तो इस काम के लिए दूसरे लोग भी आ सकते हैं और इस प्रकार एक परिवर्तन हो सकता है।

समाज में आर्थिक ढांचे के कारण ही परिवर्तन होते हैं। यह एक ज़बरदस्त चीज़ है और इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। इस बात को नहीं देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आप चाहे कितना भी प्रयास करें, हम उनका विकास नहीं कर सकते। जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसको मानता हूं लेकिन उसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने सबको कानूनी दृष्टि से अधिकार दिये जरुर हैं, परन्तु उनका पालन नहीं होता। लोग अभी तक छुआ-जूत मानते हैं और इस प्रकार उनका विकास नहीं होता। इसके लिए कमेटियां बनेंगी और कमेटियां बन कर वाकई अपने अपने स्थान में इस बात का निरीक्षण करेंगे कि कहां कहां किन किन कारणों से इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है। जो १२ प्रतिशत या २५ प्रतिशत हरिजन नियुक्त होने चाहिए, वाकई इस विभाग में हुए या नहीं हुए और अगर नहीं हुए तो कितनों ने दरख्वास्त दी है, वे नियुक्त क्यों नहीं हुए ? इसकी छान बीन करें तो लोगों को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को मौका नहीं मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि अभी जैसा कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थान हटा लिये जायेंगे, सुरक्षित स्थान जो कुछ भी रखे जाते हैं, वे नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि ठीक बात है कि इस चीज़ ने एक बुरी भावना पैदा की है लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा दिमाग़ बराबर घूमता रहता है कि इस सुरक्षित स्थान की बात को लेकर एक बात और हुई कि कुछ लोगों में यह भावना हो गई कि ठीक बात है हम और ये अलग अलग हैं। यह भावना जरूर पैदा हुई। उसके साथ यह भी हुआ कि सुरक्षित

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थान होने से उनकी आवाज़ रही। उनकी इस आवाज़ की बदौलत ही कुछ काम होता है। सुरक्षित स्थान न हों तो उनकी आवाज़ न रहे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो सुरक्षित स्थान का सम्बन्ध है, इसमें जो दृष्टिकोण है, वह अच्छा नज़र आता है। जो इसके अन्दर काम करने वाले हैं वे भी यह मान्य करेंगे कि नहीं, जहां तक नीति का सवाल है, इसके द्वारा ज़रूर यह भेद भाव मिटा देना चाहिए, परन्तु उसके साथ ही साथ १० साल की घटनाओं का सवाल आता है, १२ साल की घटनाओं का सवाल आता है इन १२ साल में इनके विकास के लिए सारे साधन देने पर भी, यहां कानून बना देने पर भी हम उनका विकास नहीं कर पाये। यह सवाल आता है कि अगर आप सुरक्षित स्थान हटा देंगे तो उसके बाद वे कहां तक विकास करेंगे? इसके लिए प्रयत्न करने की और गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। यह नहीं हो सकेगा तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि इस दृष्टिकोण को मान कर यह भेद भाव हटाने के लिए सुरक्षित स्थान हटा दिये जायेंगे तो उनकी आवाज़ की कीमत नहीं रहेगी और नतीजा यह होगा कि या तो छुआ छूत और जो उनका विकास होना चाहिए उसमें कमी आ जायगी या यह हो सकता है कि जो लोग इस तरह से बैठे हैं वे स्थिति को देख कर किसी न किसी प्रकार का ऐसा संगठन करेंगे और मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे, आखिर यह स्थिति पैदा होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि सही मायने में जो कुछ चल रहा है उसको सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह बात लोगों को कहना ठीक समझता हूँ कि कुछ लोगों का जो यह दृष्टिकोण है कि रिज़र्वेशन इनको मिलना चाहिए क्योंकि इतना स्थान हो जाता है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है। मैं नहीं मानता कि ऐसे सुरक्षित स्थान से उनको लाभ हो या नुकसान हो। मैं तो इस स्थिति से देखता हूँ कि क्या हम हरिजनों के लिए कुछ कर पाये हैं, उनके लिए कुछ कर सके या नहीं कर सके हैं। अगर नहीं कर सके हैं तो जो कमेटी का सुझाव है, इस प्रकार की एक कमेटी बननी चाहिए, योजना बननी चाहिए जो यह देखे कि हमने जो हरिजनों को अधिकार दिये हैं वे अधिकार कहां तक दिला सकते हैं, कहां तक उनके आर्थिक जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, कहां तक छुआछूत को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार की जो कमेटी बने वह गम्भीरता के साथ विचार कर प्रतिवेदन पेश करे और उस पर विधान सभा में विचार करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी इस प्रकार की त्रुटियां हमारे सामने आयेंगी कि किन किन लोगों के विकास करने में क्या क्या दिक्कतें हैं। ये सारी दिक्कतें हमारे सामने आयेंगी। इसलिए मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव रखा है इसके पीछे सद्भावना है, इसके पीछे एक बात है और वह बात सही है, यह मानने लायक है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई गलत कहेगा। यह सही है कि १२ साल तक लगातार पैसा पानी की तरह बहाने पर भी हम जो कुछ काम करना चाहते थे, जिनका करना चाहते है, जो साधन और सुविधायें उनको देना चाहते हैं, वे कुछ नहीं दे पाये हैं। आज से १२ साल पहले भी हरिजनों को ३० रु०, ३५ रु० मिलते थे और आज १२ साल के बाद भी ३५ रु० दे रहे हैं और उसी प्रकार से वे आज उपेक्षित हैं जैसे वे पहले थे। पहले

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो छुआछूत थी, वैसी ही छुआछूत है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है।

अगर यह मानें कि कुछ लोगों का विकास हुआ तो बात ठीक है। सरकार ने सुविधा दी, पैसा लगाया। ज़मीन की बात कहते हैं, जमीन का जहां सवाल आया तो कहां कहां किन किन लोगों को जमीन मिली, कितने लोगों को मिली, इसकी कमेटी छान–बीन करे। मैं यह बता सकता हूं कि हरिजनों के अतिरिक्त जो राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर प्रमुख स्थान रखते थे, जो खुद हरिजन नहीं थे, जो किसान नहीं थे, जिन लोगों का स्थान जमीन लेने का नहीं था, ऐसे लोगों ने जमीन ले ली। आप भालरा में चले जाइये, जहां नहर निकली है वहां पता लगाइये कि किसने जमीन ली है। आप उदयपुर में चले जाइये, वहां पता लगाइये। ऐसे लोग कांग्रेस में हैं, जिन्होंने जमीन ली और किसानों को ज़मीन नहीं मिली तो यह जो रही बातें हैं उन्हें छिपाना नहीं चाहिये और उनके कारणों के ऊपर गहराई से जाना चाहिए और इसके कारणों की जांच के लिए कमेटी का सुझाव दिया है कि ऐसी कमेटी छानबीन करे और वह छुआछूत तक ही सीमित न होकर, छुआ-छूत क्यों है, छुआछूत के क्या कारण हैं ; उन कारणों की गहराई में वह कमेटी जायगी तो हमारे सामने आयेंगे। आर्थिक कारण भी और दूसरे कारण भी आयेंगे, उनकी भी छानबीन होगी और इसके लिए क्या क्या सुझाव रख सकती है, वह रखेगी।

इस कमेटी में ऐसे लोग हों जो दिल से यह उसूल मानने वाले हों कि छुआछूत मिटनी चाहिए, हरिजनों का आर्थिक विकास होना चाहिये, और उनमें हिम्मत होनी चाहिए कि अगर छुआछूत को मिटाने के लिये कोई कदम उठाते हैं और उसका समाज-विरोधी तत्व मुकाबला करते हैं तो उसका मुकाबला करेंगे। तभी इस कमेटी का काम हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री गोवर्धन सिंह केन (बयाना-सु०) : माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो सदन के अन्दर इस संकल्प के ऊपर वाद–विवाद चल रहा है उसको मैंने अच्छी तरह से सुना और इस नतीजे पर पहुँचा कि आज जो हरिजनों की दशा है बहुत शोचनीय है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भरतपुर ज़िले से आया हूँ। वहां की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि वहां के हरिजनों की क्या हालत है। वहां के हरिजनों की आज बहुत बुरी हालत है, वहां मुर्दा मवेशियों के ऊपर काफी झगड़े हुए........

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०) : केवल एक हरिजन मिनिस्टर साहब विराजे हुए हैं इससे जाहिर होता है कि हरि-जनों के प्रति कितनी दिलचस्पी है।

श्री सभापति : एक ही काफी हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : वह भी डिप्टी मिनिस्टर साहब विराजे हुए हैं।

श्री सभापति : एक ही काफी हैं, आपकी बात पहुँचा देंगे तो काफी हैं।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों के लिये बिल चल रहा है इसलिये मिनिस्टर यहां बैठने में भी छुआछूत करते हैं।

Page No.69

श्री सोहनलाल भटनागर (सलम्बर) : समाज कल्याण के मंत्री हैं।

श्री गोवर्धनसिंह केन : हमारी राजस्थान सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये बहुत धन खर्च करती है पर जो हरिजनों के ऊपर खर्च किया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता। जब समाज-कल्याण विभाग के कार्यालय और कर्मचारियों पर दृष्टि डालते हैं तो हमको नही के बराबर मिलता है। समाज-कल्याण विभाग में हरिजनों को जो सुविधाएं दी जानी चाहियें वे नहीं दी जातीं। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से दिलाई जानी चाहियें वे नहीं दिलाई जाती हैं। राजस्थान में आर. ए. एस., आइ. ए. एस. हरिजन कितने हैं, उच्च अधिकारी हरिजन कितने हैं, इन चीज़ों को देखें तो हमें जो न्याय मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। छात्रवृत्ति भी सिफारिश के आधार पर मिलती है, गरीब विद्यार्थियों को नहीं मिलती। गरीब विद्यार्थी का नाम जहां छात्रवृत्ति के लिये आता है वहां बजट खत्म हो जाता है। आठवीं क्लास तक वालों को छात्रवृत्ति देते हैं।

दूसरी चीज यह है कि भरतपुर ज़िले के हरिजनों की क्या हालत है ? गत वर्ष इतने झगड़े हुए, मुर्दा मवेशी पर गांव गांव में झगड़े हुए, २० से अधिक आदमियों के चोटें आईं। सिरस गांव में १७,०००) रुपये के माल की लूट हुई। मैंने अधिकारियों को चार बार कहा पर २० दिन बाद अधिकारी उस गांव में जाते हैं। उन गांवों में इन्क्वायरी की जाय तो पता चलेगा कि वहां वेलफेअर इन्सपेक्टर दौरा नहीं करते। वे लोग दौरा नहीं करते तो भी फर्जी टी. ए., डी. ए. बनाते हैं। इस तरह वहां की दशा बड़ी ही शोचनीय है। जमीदारों द्वारा हरिजनों की फसलें दिन दहाड़े लूटी जाती हैं। पुलिस में उनकी रिपोर्ट तक नहीं झेलते। हम मन्त्री महोदय से भी मिले। उपमंत्री महोदय से भी मिले। सुखाड़ियाजी से भी मिले। सरकार के सभी ज़िम्मेदार अधिकारियों से मिले पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह बात कह कर टाल दिया जाता है कि ये चमार हैं यों ही चिल्लाते हैं। ऐसा अजीब ढंग का चित्र वहां आपको मिलेगा।

भविष्य के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर हरिजनों की खड़ी फसलें काटी जायेंगी, उनकी फसलों को लूट लिया जायगा पर पुलिस कोई इन्तज़ाम नहीं करेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर स्पेशल इन्तज़ाम किया जाना चाहिये।

वहां पर पंचायतें झगड़ा करवाती हैं और झगड़ों को सपोर्ट करती हैं। हरिजनों को हर तरह से तंग किया जाता है। नूरपुरा में हरिजनों के साथ लूट मार की गई। लोगों को गांव से निकाल दिया गया। वे लोग एक महीने तक तहसील में पड़े रहे। नागलखोरी में रेप तक के केस हुए, इस तरह की वहां पर अवस्था है.......

(विरोधी दल की ओर से शेम शेम की आवाज)

सिरस गांव में लूट हुई, अब भी वहां पर फसलें लूटी जा रही हैं। इस तरह भरतपुर में बहुत बिगड़ी हुई दशा हरिजनों की है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आयन्दा फसलों को लोग लूट लेंगे। मैं तो मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वहां

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

पर स्पेशल इन्तज़ाम करें। अगर वहां पर यही हालत रही तो उनको अपनी फसलों से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। हरिजनों के उत्थान की बात कही जाती है सरकार की ओर से इस प्रकार की उत्थान की बातें की जाती हैं, वे नाम मात्र की चीज़ें हैं। उद्योग धंधों के लिये वहां पर कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाई गई है। उद्योग–धंधे वहां पर नाम मात्र को भी नहीं हैं। वहां लोग मजदूरी कर के अपना जीवन–निर्वाह करते हैं। खेती करने को उन्हें जमीन नहीं मिलती है। तीन चार साल पहले वहां पर ग्राम-पंचायतें बनने से पहले हरिजनों की क्या दशा थी और आज इस समय देखा जाय कि उनकी वहां पर क्या दशा है तो यह देख कर आपको दुख होगा कि उनकी दशा बहुत खराब है। वहां पर एस. डी. एम. साहब दौरे में जाते हैं तो लोग उनको रोक लेते हैं और दस–दस बारह–बारह साल से जिन लोगों की टीप है उनकी फसलों को काट लेते हैं, रोजाना हरिजनों की टीपें वहां पर कटती हैं। उनको बेदखल रोजाना किया जाता है। यदि वहां पर यही हालत रही तो जो खेती से उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जब तक सहकारिता के आधार पर खेती होगी तब तक तो उनके पास एक भी खेत नहीं रहेगा, सब का सफाया हो जायगा। अब देखना इस बात को है कि उनको न्याय के लिये इसी तरह से बड़बड़ाना पड़ता है लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता और वे लोग परेशानी में रहते हैं।

अब रहा सवाल उनके नौकरी के सम्बन्ध में। उसके लिये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गत महीने में ट्युरिस्ट ब्यूरो में एक जगह खाली हुई और चपरासियों के लिये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज से मांग की गई। एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज ने तीन आदमी भेजे। जिनमें से एक ७ या ८ क्लास तक पढ़ा था और दूसरे हिन्दी जानते थे मगर शिड्यूल कास्ट के होने के कारण वहां के अधिकारी ने उनके कार्ड तक नहीं लिये और न उनका इन्टरव्यू लिया। वहां कोई शुक्ला साहब हैं। मैं वहां पर पहुंचा और जब उनसे कहा कि आपको इनका इन्टरव्यू तो लेना चाहिये। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और जब मैंने लिख कर दिया तो कह दिया कि कीप पेन्डिंग। इस तरह से नौकरियों का प्रश्न है और हरिजनों पर जुल्म किया जाता है ' वह कहता है कि हमें इस समय जरूरत नहीं है। अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूं कि उत्थान हो नहीं सकता।

तीसरी चीज़ यह है कि हरिजनों के लिये वास्तव में छुआछूत को मिटाने के लिये हिन्दुस्तान में समाज-कल्याण विभाग खोला गया है और यहां पर भी खोला गया है। मैं यह कहूँगा कि आप देवस्थान धर्मपुरा के अधिकारी से कहिये कि राजस्थान में हज़ारों मन्दिर हैं उनमें से १० मन्दिरों के महन्त हरिजनों को बना दिया जावे, अगर ऐसा माननीय मन्त्री महोदय करेंगे तो मैं मानूंगा कि हरिजनों की आवाज़ कुछ सरकार के कानों तक पहुँची है। उन मन्दिरों में हरिजनों को पूजा करने का अवसर मिले जिस प्रकार दूसरे महन्तों को मिलता है। हम यह देखना चाहते हैं कि सरकार कितने हरिजनों को मन्दिरों के महन्त बना देगी।

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

Page No.71

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

इस तरह से सेवा पूजा का सवाल है, इसका परिणाम निल निकलनेवाला है और इसी तरह से इसका कुछ होना करना नहीं क्योंकि सरकार को उनसे वोट लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा करती है तो आन्दोलन हो जाए। अगर सरकार न्याय की दृष्टि से काम करेगी और सख्त कदम उठायेगी तो मैं समझता हूं कि जरूर मन्दिरों में महन्त बनाने को हरिजनों को तैयार होगी।

अब प्रश्न रहा है म्यूनिसिपेलिटी का। उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ हर नगरपालिका को एड दी जाती है। अब देखना यह है कि समाज-कल्याण विभाग की तरफ से जितना रुपया हरिजन कल्याण के लिये दिया जाता है उतना ही म्यूनिसिपेलिटी को देना पड़ता है। अब देखना यह है कि आया उस रुपये का सदुपयोग होता है या नहीं। मानलें कि समाज-कल्याण ने चार हज़ार रुपये हरिजनों के लिये दिये तो चार हज़ार रुपये म्यूनिसिपेलिटी को भी देने पड़ते हैं। मगर होता यह है कि नगरपालिका उसमें पैसे नहीं लगाती और उसका परिणाम यह होता है कि समाज-कल्याण से जो पैसा प्राप्त होता है वह लैप्स हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को हरिजनों के नाम से जितना उनकी आबादी के लिहाज़ से आता है उसको सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिया जावे। यह मेरा निवेदन है कि इसको पास किया जावे।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री अर्जुनदास (अजमेर नगर पश्चिम): Will your honour fix 5 minutes for each so that we may all have a chance by 1.0'clock? If you fix 5 minutes for each we can reach the target.

श्री सभापति : इस पर समय-लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बोलने वाले नहीं हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, यह जो संकल्प आया है, में इसका समर्थन करता हूं। अच्छा तो यह होता कि यह संकल्प हमारे इस श्रेणी के लोगों की ओर से न आकर उस वर्ग की तरफ से आता जो इनका अभी तक शोषण करता रहा है। उस वर्ग की तरफ से आता जो अब तक शोषक रहा है तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो अस्पृश्यता हमारे देश में है वह एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिये, बहुत निकृष्ट श्रेणी का अत्याचार है और जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं और प्रतिदिन उनको देखते रहते हैं उनके दिल में शायद अधिक भावना है, कि इस प्रकार का संकल्प सरकार के समक्ष लावें। जहां तक इसका सम्बन्ध किसी धार्मिक सिद्धान्त या परम्पराओं से है, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हिन्दू जाति के किसी भी ऐसे ग्रन्थ में इस अस्पृश्यता का कहीं भी उल्लेख आया हो, ऐसा नहीं है, क्या वेदों में, क्या शास्त्रों में। इसके अलावा धर्म के प्रचारकों ने समय समय पर इस प्रकार की प्रवृत्ति का विरोध किया है मगर यह प्रथा रही है और इसका शिकार हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बना है। मैं समझता हूं कि हिन्दू

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जाति का चौथाई हिस्सा इस वर्ग में आता है जो इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय से प्रभावित होता रहा है। जहाँ तक मैंने कहाँ हिन्दू शास्त्रों और स्मृतियों का सम्बन्ध है, उन्होंने कहीं ऐसी बात नहीं रखी कि कोई निम्न कोटि में रखा जावे बल्कि स्मृतियों में तो कहा गया है—

"जन्मता जायते शुद्र, संस्कारत् द्विज उच्चयते"

हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि जन्म से हर एक व्यक्ति शुद्र ही होता है और फिर संस्कारों से द्विज होता है। कर्म से ब्राह्मण वैश्य आदि हो जाते हैं। शूद्रों के लिए भी जहां तक मैं समझता हूँ, कभी निम्न कोटि और निम्न जाति के लिए कहीं भी ज़िक्र नहीं आया है, मगर शूद्रों का अर्थ इतना होता था जो लेबर करते हैं। जो व्यक्ति मस्तिष्क का काम नहीं कर सकते, जो शारीरिक परिश्रम द्वारा ही अपना पेट पालते हों, उनको शूद्र कहा जाता था। उनका समाज में वही स्थान था जो दूसरी बड़ी जातियों के लोगों का था। यदि यह व्यवस्था नहीं होती तो हिन्दू जाति में से यह वर्ग जो इतने अर्से से रह रहा है, कभी का चला जाता, लेकिन यह भी निश्चित ही है कि अन्य जाति के लोग इनसे छुआछूत करने लग गये। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे देश में समय समय पर सुधारक भी हुए हैं उन्होंने इसको, बुरा बताया। पुरानी बातों को छोड़िये, एक हजार वर्ष को छोड़िये। महात्मा रामानन्द, कबीर, दादू, नानक आदि के अतिरिक्त हमारे यहां स्वामी विवेकानंदजी, स्वामी दयानन्दजी, महात्मा गांधी और श्री विनोबा भावे ने सभी ने इसकी निन्दा की है और इसको हिन्दू जाति का कलंक बताया है और इसको दूर करने के लिये बहुत बड़ी चेष्टा की है और उसका यह परिणाम है कि हमारी सरकार, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने जिस प्रकार से हमारे देश से इसको मिटाने और दूर करने के लिये कानून बनाये हैं उसमें यह भी एक मूलभूत कानून बनाया कि किसी व्यक्ति को जाति विशेष में जन्म लेने के कारण अछूत नहीं समझा जावे और अगर कोई ऐसा करेगा तो वह अपराध का भागी होगा। मैं समझता हूँ कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी प्रयत्न किये हैं।

जहां तक संविधान का सम्बन्ध है वह भी पूर्ण संरक्षण देता रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे संविधान को छोड़ा जाता है। हमारे यहां व्यवहार में कानून का पूर्णतया पालन नहीं होता है। इसका कारण क्या है ? मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने इसे इस दृष्टि से नहीं देखा। हम आज राजनैतिक प्रतिनिधियों के रूप में जाते हैं। मुझे बड़ा दुःख होता है, जब कभी इस पर विचार करते हैं तो यह सारे हिन्दू जाति पर कलंक है। कभी कभी इसे राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने साथ मिला लेते हैं। जहां चुनावों का सम्बन्ध आता है उस समय कुछ राजनैतिक दल इसका लाभ व उपयोग कर लेते हैं।

इसके अलावा मुझे कहने में भी कुछ संकोच नहीं कि कुछ जातियां भी इतनी रूढ़ीवादी बन गई हैं कि किसी ज़माने में राजा, महाराजा और सामंत अपने आपको बहुत ऊंचा समझते थे और यह समझते थे कि दूसरे लोग उनकी रैयत है और वे लोग

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

यह समझते थे कि राजा और महाराजा व सामंत हमारे मालिक हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): आज तो सामंत और राजा, महाराजा नहीं रहे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कोई व्यक्तियों की नस्ल नहीं कह रहा हूँ। वे जो जातियें थीं वे किसी दल विशेष से सम्बन्धित नहीं हैं। दल विशेष जाकर अपना हित साधन के लिये ऐसा करता है और इसमें अपना लाभ समझता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटियों में, एम० एल० ए० की दृष्टि से ही नहीं बल्कि मैं तो यह सुझाव देता हूँ कि यहां सब ही प्रतिनिधि हैं इसलिए दल विशेष की भावना को पृथक् रख कर........

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हम तत्पर हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : स्वागत है। बजाय इसके कि इसको राजनैतिक रूप दें हमारी जितनी समाज सुधार संस्थायें हैं या राजनैतिक दल हैं, हरएक अपना कर्त्तव्य समझे कि हमारे कानून ने, संविधान ने भी जो वर्ग विशेष, जाति विशेष को संरक्षण दिया है उसका अमल व्यवहार में होता है या नहीं, व्यवहार में उसका पालन होता है या नहीं, उसकी वे देखभाल करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : गवर्नमेंट को भी समझना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूँ कि जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है, यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कानून बनाती है, जरूरत की चीजें मौहैया कर रखती है। लेकिन यदि उनको अमल में नहीं लाया जाता तो गवर्नमेंट का दोष नहीं है। इस सम्बन्ध में कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जो जाति या दल विशेष हैं जिनके साथ अत्याचार होते हैं, दुर्व्यवहार जिन पर होते हैं यदि वे उन कानून के अनुसार अदालतों में जाते भी हैं तब भी उनको गवाह नहीं मिलते, क्योंकि उस गांव में जाति विशेष का बहुमत है। उनके साथ मारपीट भी होती है लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते। हम जो समाज सुधारक हैं या संस्थाओं में काम करने वाले हैं उनका कर्त्तव्य होना चाहिये कि जहां कहीं इस प्रकार की घटनायें घटें वहां जाकर लोगों को समझायें और यदि कानूनी सहायता की भी आवश्यकता हो तो वह भी दें। केवल गवर्नमेंट के कानून से दशा नहीं सुधरेगी। कुंओं पर चढ़ना, सार्वजनिक स्थानों पर जाना, स्कूलों में जाना, सार्वजनिक होटलों में जाने के लिए सबके लिये कानून है, लेकिन जब उनका पालन नहीं किया जाता है और जब मनमाने अत्याचार होने लगते हैं तो यह तो हो सकता है कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें लेकिन सबूत देने के लिए तैयार कोई नहीं होता, क्योंकि लोग जाति-पांति के नाम पर या और किन्हीं कारणों से संगठित हो जाते हैं और उनको अदालत में कोई गवाह नहीं मिलता।

इसके साथ साथ ही उनकी आर्थिक दशा को भी सुधारना होगा। ऊंच नीच कोई चीज़ नहीं। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अच्छे साफ सुथरे रहने लग जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में आवागमन होने लग जाता है, तो छुआछूत अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन जो दिक्कत हो रही है वह यह हो रही है कि गांवों में कानून कानून की पुस्तकों में ही रहते हैं वहां पर उनका कोई अमल नहीं हो रहा है। कानून बन जाने से ही अमल नहीं होने लग जाता है वह तो तब ही होता है जब कि लोगों को समझाया जाय। इसके लिये आप गवर्नमेंट को दोष देते हैं। तब दो दोष जब कि कानून में कमी हो; वह उसको पूरा करे। लेकिन गवाही न मिलने से अदालत में जाकर मामला सिद्ध नहीं होता इसके लिये गवर्नमेंट क्या कर सकती है चाहे वह कोई गवर्नमेंट हो.......

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : समाज को एज्युकेट कराने की जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अधिक से अधिक किया जा रहा है।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : आपका मतलब यह है कि समिति नहीं बननी चाहिये ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : समिति बननी चाहिये लेकिन उद्देश्य यह होना चाहिये जो मैंने आपको बताया।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कानून बने हुए हैं, पालन नहीं होता उसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं। फिर गवर्नमेंट के द्वारा समिति बनाना चाहते हैं तो दोनों का किस तरह से सम्बन्ध होगा ?

श्री सभापति : यही तो आपकी डिफिकल्टी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : गवर्नमेंट के कानून हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक समिति बनाई जा रही है लेकिन प्रश्न यह है कि समिति क्या काम करे ?

श्री शिवचरणदास : हम जो कुछ यहां कहते हैं, गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं और गवर्नमेंट से चीज़ लेना चाहते हैं....

श्री सभापति : चतुर्वेदीजी कहते हैं और गवर्नमेंट सुनती है। वे तो सुझाव दे रहे हैं और जानना चाहते हैं।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, जो संकल्प पेश हुआ उसका मकसद यह है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिये हैं उनमें उनको सफलता नहीं मिली इसलिये समिति बननी चाहिये। आप कहते हैं कि सरकार को समिति बनानी चाहिये........

(घंटी)

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो नहीं था, शायद।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने समझने का प्रयत्न नहीं किया। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, संरक्षण मौजूद है लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा है। समिति बनाने का संकल्प जिस उद्देश्य को लेकर माननीय सदस्य ने रखा है वह यह है कि समिति यह देखे कि अमल हो रहा है या नहीं। जहां कहीं भी अस्पृश्यता है, जहां कहीं भी हरिजनों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, छुआछूत होती है और

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मारपीट होती है, उसको किस तरह से दूर किया जाय? उसके लिये इस समिति को बनाने की आवश्यकता है। मैं भी यही सुझाव दे रहा हूँ कि समिति किस प्रकार कार्य करे? जहां कहीं कुंए पर नहीं चढ़ने दिया जाता, जहां कहीं खेतों में खड़ी फसल काट ली जाती है, जहां कहीं अत्याचार होते हैं, हालांकि वे कानून की दृष्टि से अदालत में जा सकते हैं लेकिन गवाही न मिलने से दिक्कत ही रहती है और वे सफल नहीं होते, तो ये जो अमल के आने में व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, क्योंकि गांवों में जाति-विशेष का प्रभाव होता है और उनकी सहायता के लिये कोई नहीं जाता। इसलिए समिति का काम यह होना चाहिये कि जहां कहीं इस प्रकार की घटनायें हों वहां पहुंचे। हरिजन सदस्यों के प्रति सहानुभूति होना भी आवश्यक है क्योंकि यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, मानवता का प्रश्न है और मानवता की दृष्टि से ही काम किया जाना चाहिये, सब की यह भावना होनी चाहिये। जहां कहीं भी लोग देखें कि सरकार का कानून है, सरकार का कानून होते हुए भी उसका अमल नहीं हो रहा है, विधान में दिया हुआ है कि अस्पृश्यता को दूर किया जाय इसके बावजूद भी उसका अमल नहीं हो रहा है तो जिनके साथ इस प्रकार का अन्याय होता है उनकी सहायता की जाय।

माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है कि समिति तीन तीन महीने के अन्दर देखे कि सरकार के कानून का और संविधान में प्रदत्त संरक्षण का कहां तक अमल हो रहा है? कहां तक उसको व्यवहार में लाया जा रहा है? सरकार समिति बनाये और उसका जो प्रतिवेदन होगा वह सरकार के सामने आयेगा। यह इस तरह का काम होगा कि कहां कहां कानून के अमल में कठिनाइयाँ आ रही हैं। माननीय सदस्यों के समक्ष सुझाव दे रहे हैं, इस दृष्टि से दे रहे हैं कि दलगत राजनीति से इस प्रश्न को दूर रखें, जाति-विशेष जहां कहीं गलती करती है, न्याय-अन्याय का भाव नहीं रखती, एक जाति विशेष होने के कारण अन्याय करे, उसमें मेरी जाति के लोग भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, एक कमजोर होता है, चूंकि मेरे जाति के लोगों ने ऐसा किया है इसलिए मुलाहिज़ा कर लेते हैं...तो मैं यह कह रहा था कि व्यक्तिगत जात-पांत का विचार न करके, राजनैतिक विचारधारा का विचार न करके हमें मनुष्य के नाते कि ये हमारे भाई हैं हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, यह समझना चाहिये। उन पर अन्याय और अत्याचार जो हो रहे हैं तो हमें उसमें सहयोग नहीं देना चाहिये। अदालतों में जो जाते हैं उनको अगर किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो वह दी जानी चाहिये। न्याय दिलाने में अगर सहायता की जाती है तो यह भी समिति के सदस्यों का काम होना चाहिये। अगर समिति के सदस्य इस भावना से काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समिति बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, अस्पृश्यता निवारण के लिये जो संकल्प पेश हुआ है इस पर अभी अभी जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने विचार उनमें शामिल करता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ?

श्री शिवचरणदास : जहां तक इस भावना का प्रश्न है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन जो ढंग इसमें है उसका मैं विरोध करता हूँ ।

श्री सभापति : इनको सुन तो लीजिये ।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, हमारे इस सदन में इस प्रकार की चीज का पेश होना कोई नई चीज़ नहीं है । सभापति महोदय, मैं तो यहां तक कहूँगा कि यहां हमारे समाज में, हिन्दू समाज में यह कोई नई वस्तु नहीं है और न कोई नई चीज़ ही बनने जा रही है । हमारी भारतीय संस्कृति रही है, वह इस बात को बताती है, वहां किसी प्रकार की अस्पृश्यता को स्थान नहीं है । हमारे शास्त्रों में जब छूत अछूत का प्रश्न आता है वह सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है । अभी अभी बोलने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि हरिजनोत्थान का जितना भी कार्य हुआ है वह उनके उत्थान में हितकर साबित नहीं हुआ । सिद्धांत रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिये और उसके लिये जो समिति का सुझाव दिया है और सरकार पर जो जिम्मेदारी डाली है उसमें एक तरफ यह कहा गया है कि इस ओर ध्यान नहीं देतीं । अभी अभी जो कानून बनाये हैं उसको सरकार व्यावहारिक रूप नहीं देती । दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि इस समिति का संचालन भी वही करे जिसको आप कानून की पाबन्दी नहीं होने देने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये दो बातें समझ में नहीं आती । अगर हमें यह करना है तो यह सरकार द्वारा नहीं वह कानूनी रूप पकड़ने जा रहे हैं । हम सब कुछ कानून बनायें कोई आदमी कुंए पर जाता है या किसी दूकान पर जाता है और दूकानदार या कुंए पर कोई आदमी उनको जाने नहीं देता है, वहां से उनको धकेल देता है वैसी हालत में यदि वह अदालत में जाता है तो उनका ऐसा संगठन बन जाता है, उसको यह साबित करने के लिये कि उनको दूकान में घुसने नहीं दिया गया या कुंए पर पानी नहीं भरने दिया गया गवाह नहीं मिलते, इसलिये उनको साबित नहीं कर सकते । आखिर सरकार के पास इसका उपाय क्या है ? समिति रिपोर्ट करेगी, सरकार इसमें कोई साधन नहीं जुटा सकती । इसका निवारण हम अपने सामाजिक ढंग से कर सकते हैं और इसलिये इस ढंग को सरकार के साथ समिति के नाम से जोड़ कर करना चाहते हैं, यह उपयुक्त नहीं है ।

इसके कई पहलू बताये गये । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बातें बताई । मैं, उन माननीय सदस्य ने जो बातें बतायी, उनका खंडन नहीं करता । इसलिये सभापति महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि हम यह नहीं चाहते कि वे आर्थिक उन्नति न करें लेकिन एक वर्ग विशेष ही आर्थिक उन्नति करे, यह ठीक नहीं है । देश के सभी नागरिक आर्थिक उन्नति करें, प्रत्येक समाज आगे बढ़े, प्रत्येक नागरिक शैक्षणिक उन्नति करे, अगर इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हम जिस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं उसकी, पूर्ति नहीं होती । इसलिये, सभापति महोदय, एक तरीका है वह इस समाज में प्रचार करें अपने गांवों में, अपने अपने क्षेत्र में अपने

(श्री शिवचरणदास)

अपने ढंग से और इसकी ज़िम्मेदारी सरकार पर न डालें। सरकार पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह कानून बनाये तो हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, एक विशेष चीज़ इसमें है। तीन बातें जो बतायी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक इसके साथ साथ एक राजनैतिक कारण भी है। कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल पर है। जब हम इस ओर ध्यान दिलाते हैं तो गर्मागर्म बातें चलतीं हैं और उसका वार अधिकतर सत्तारूढ़ दल की ओर से होता है। इसके अलावा कानून का व्यवहार इस ढंग से करते हैं कि जिस गांव के अन्दर, जिस हमारी हिन्दू संस्कृति के अन्दर हम अन्तर देखते हैं जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है हम इस चीज़ को देहातों में ले जाकर वहां से इस चीज का निराकरण करें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं हमारी इस संस्कृति को बारीकी से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देहातों के अन्दर अस्पृश्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे यहां होली त्योहार आता है उस त्योहार में आमतौर से एक रिवाज था और देहातों के अन्दर आज भी है कि हरिजन भाई और अनुसूचित जाति के लोग भी इस त्योहार पर एक साथ होली खेलते हैं, आज भी वह रूढ़ि प्रचलित है। आज भी देहातों में त्योहार के दिनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। सत्तारूढ़ दल आजकल इस बात की चेष्टा करता है कि हरिजनों के लिये कुंआ अलग खुदे। समाज-कल्याण विभाग एक वर्ग विशेष को एक साथ रखता है उसके लिये अलग अलग बस्तियां बसाई जाती हैं। इससे क्या होता है, एक प्रकार से लोगों में प्राकृतिक अलगाव पैदा होता है। एक भाई ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए यह भी कहा कि हरिजनों को दो चार मन्दिरों में महन्त बना देना चाहिये। आपको बनाने की क्या आवश्यकता है। आप तो हमेशा महन्त बने रहे हैं। आपके ऐसे ऐसे सन्त हुए हैं जिनको सारे भारतीय नागरिकों ने धोक दी है, जिनको बहुत बड़ा महात्मा माना है। भगवान् राम ने शबरी के झूंठे बेर खाये। यह तो हमारी संस्कृति और परम्परा रही है। ये सब बातें यह बताती हैं कि हमारे पुरातन में भी इस प्रकार की अस्पृश्यता नहीं थी लेकिन यह तो सत्तारूढ़ दल ने आज परिस्थितियां पैदा की हैं। हिन्दुओं का ही प्रश्न नहीं आता, मुसलमान और हिन्दुओं में एक रिवाज़ है। हम देहातों में तो भाई भाई की तरह रहते आये हैं। लेकिन हमारे सामने एक समस्या खड़ी की गई, फ्रिक्शन डाला गया और डाला जा रहा है अनूसुचित जाति के लिये एक अलग बस्ती बसा कर। किसी भी वर्ग विशेष के लिये विशेष कार्य करना यह हमारे में यह धारणा पैदा कर देती है कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि हमारे में हमारे सत्तारूढ़ दल की ओर से जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है उससे भी हम एक दूसरे से दूर पड़ते जा रहे हैं। इसलिये जब तक एक तरह से आज के सत्तारूढ़ दल की भावना स्पष्ट नहीं हो जाती केवल इस तरह की समितियां और कानून बनाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिये, सभापति महोदय, इन अपने विचारों

(श्री शिवचरणदास)

को सदन के सामने प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर पूर्व): श्रीमान्, समय को देखते हुए संक्षेप में अपने विचार रखूंगा। आशा है, सदन संक्षेप में ही मेरे विचारों को समझने की चेष्टा करेगा।

जो प्रस्ताव रखा गया है उसके दो अंग हैं और आज की बहस में उनको ऐसा भुला दिया गया है कि उसका समर्थन करते हुए भी माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया और कई ने विरोध करते हुए भी समर्थन किया, एक उलझन पैदा हो गई।

प्रश्न यह है कि हमारी अनुसूचित जाति के भाई, अस्पृश्यता से जिनका सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में दो अलग अलग कक्ष हैं। एक कक्ष है जिसमें उनके आर्थिक उत्थान की बात आती है। दूसरा है जिसमें सामाजिक विद्वेष जो उनके प्रति है, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं, छुआछूत जिसे हम मानते हैं वह है। ये दो अलग अलग कोष्ठ हैं।

मैं मानता हूं कि किसी भी हरिजन को आप मोटर में या फिटन में सुन्दर वस्त्रों के साथ बैठाकर घुमाइये पर जिस समाज ने उसे अस्पृश्य माना है उसे छूएगा नहीं, अपनी मेज पर नहीं बैठावेगा, खाना नहीं खिलावेगा, इस बात को लोग भूल जाते हैं। हमारे हरिजन भाई इसको इसलिये भूल जाते हैं कि एक हरिजन भाई मन्त्री हो जाता है तो उसके पास सभी बैठते हैं, उठते हैं, खाना भी खा लेते हैं। पर उनको छोड़ कर हरिजन जाति से विद्वेष बराबर रहता है।

तो अब या तो आपकी ऐसी योजना हो कि सारे ही हरिजन भाई मन्त्री हो जावेंगे और इस स्तर पर आ जावेंगे तब तो कोई इलाज है, वर्ना इलाज नहीं। पर साथ ही हरिजन भाई जिस आर्थिक स्थिति से उठकर ऊपर चले जावेंगे तो उस स्थिति में और कोई दूसरा आ जावेगा। यहां कोई दूसरा वर्ग पैदा हो जावेगा। तो यह सोचने का ढंग उपयुक्त नहीं है। आर्थिक उन्नति के प्रश्न को हरिजन सिमित रखते हैं तो खुद गलती करते हैं। जिस देश में गरीब ही गरीब अधिक हों उस देश की तो गरीबी की समस्या है। बराबर का समाज पैदा करना है तो उन हरिजनों तक ही समस्या सीमित नहीं है। तमाम गरीब वर्ग की वह समस्या है। तो इस माने में वे अपने इन दूसरे गरीब भाइयों से अलग क्यों मानते हैं? अपनी ताक़त को कौताई क्यों करते हैं? तो यह सोचने का गलत दृष्टिकोण है। जहां तक आर्थिक उन्नति की समस्या है समस्त गरीब समाज का आपको अपने को अंग समझना चाहिये और उनके साथ मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिये। इस माने में उन सबमें अपने को निहित समझना चाहिये।

हां, जहां तक छुआछूत का प्रश्न है, एक मिनट में मैं कह देता हूं ताकि दूसरों को जवाब के लिये समय रहे और प्रस्तावक भी कुछ कह सकें। करीब-करीब मेरा वक्तव्य समाप्त ही है फिर भी सदन की बैठक आवश्यक समझा जाय तो पांच सात मिनट तक बढ़ा भी दी जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव आवश्यक हो तो मैं रख देता हूं।

तो जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है यह पेशे के साथ सम्बन्ध रखता है। भंगी, चमार आदि से सवर्ण जाति के लोग भेद–

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

भाव इसलिये रखते हैं कि वे नीचा काम करते हैं जिसको आम तौर पर वे नहीं करते । तो उनका काम के प्रति विद्वेष है । तो यह मिटाना है इसके लिये सही ज़हनियत पैदा करनी होगी । हम कभी ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जिसको मिटाना है हमें, हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं कि यह सही है । महात्मा गांधी ने इस नारे को इसलिये रखा कि कार्य की प्रतिष्ठा लोग समझें । काम कोई बड़ा, छोटा नहीं है । झाड़ू देने का काम भी इतने महत्व का है कि जितना दफ्तर में बैठकर काम करना । इसीलिये गांधीजी ने सवर्ण होते हुए भी स्वयं झाड़ू लगाई, वे काम किये जिनको हम नीचा समझते हैं । काम को उन्होंने प्रतिष्ठा दी । घृणा की भावना को समाप्त करने का रास्ता दिया और काम की प्रतिष्ठा स्थापित की । पर आज इस तरह की बातें करके खुद इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि चमड़े का काम करना खराब है । अब जिस चीज़ को आपको मिटाना है उसको तो आपने स्वीकार कर लिया । मिटाना यह है कि काम सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, पर आप अपने ही काम को खराब मान बैठे तो फिर उठावेगा कौन, किसको ? तो यह जो सवाल है वह हरिजन भाइयों का उतना नहीं है जितना हम सवर्ण लोगों का है । तो सही रूप में इसका हल करना है तो जिन चीजों को नीचा समझा जाता है उनको ऊंचा समझा जावे । श्रम को, काम को प्रतिष्ठा दी जावे । हम खुद उनको करें । पर होता इससे आज उल्टा है । हरिजन भाई आज अगर मिनिस्टर हो जाता है तो खुद झाड़ू लगाना हल्का समझता है । तो वह खत्म हो जाती है चीज़ । तो सामाजिक सुधार जिस ढंग से होना चाहिये हम उसे सोचें । तो इस प्रश्न को ठीक ढंग से सोचना चाहिये ।

अब समितियां बनाने का प्रस्ताव है । पर इसको रखते वक्त यह नहीं सोचा कि कितने जिले हैं । उनमें सात सात आदमियों के हिसाब से कितने आदमी होंगे ? उनकी बैठकों का अन्दाज़ लगाइये कितनी बैठकें होंगी ? उनके निरीक्षण कार्यक्रम का अन्दाज़ लगाइये ? इसमें कितना पैसा व्यय होगा इसका अन्दाज़ लगाइये ? और उस खर्चे के अनुपात में आप काम कितना करेंगे, क्या करेंगे, यह भी देखिये ? तो इस तरह से बेरहमी से सरकारी खज़ाने पर डाका नहीं डालना चाहिये । जितना पैसा खर्च होगा, अनुपात में अगर उससे अधिक फायदा होता है तो जरूर लगाइये । अनुपात से फायदा अधिक नहीं होने वाला है तो समझदारी का यह काम नहीं होगा ।

इसके लिये फिर मैं समझता हूं कि हरिजन वैलफेयर विभाग है सरकार का । इसकी विशेष जिम्मेदारी है उनकी । वे काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो हरिजन सदस्य बैठे हैं मेरे जैसे सवर्ण जाति के लोग बैठे हैं उन सब का कार्य है कि उनकी नज़र रखे कि वे काम ठीक तरह से करते हैं या नहीं । जहां काम ठीक नहीं होता हो उसे सरकार की नजरों में लावें और सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी कि वे काम न करें । तो समिति बनाने का सुझाव कोई उपयुक्त सुझाव नहीं है । इससे तो इतना बड़ा खर्चे का काम रख दिया कि इस खर्चे के बिना भी वह काम हो सकता है । तो इस दृष्टि से हम सोचें और जो असल काम है उसकी तरफ

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

ध्यान रख कर काम करेंगे तो समस्या का हल हो सकेगा। सही बातों को समझ लिया जावेगा तो प्रस्तावक स्वयं अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : चूंकि मेरी समझ में सदन का टाइम हो चुका है, खाना खाने का भी वक्त आ गया है अतः....

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति : बढ़ाने से भी तो अन्दाज़ नहीं कि कितना बोलेंगे। सबों के खाना खाने का वक्त आ गया है, लन्च टाइम आने वाला है। इसलिये....

एक माननीय सदस्य : एक रोज़ और बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनान्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.०० बजे, दिनांक २८–२–५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार २७ फरवरी, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १६१०

मोटर गेरेज डिपार्टमेंट के बिलों का भुगतान ।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिकों में बकाया रकम ।

बीकानेर जेल के बन्दियों की ज़मानत ।

मोरेल बन्ध से सिंचाई ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम पर व्यय ।

सन् १९५८ में भरतपुर ज़िले में बन्ध का टूटना ।

बीकानेर-जामसर सड़क का ठेका ।

लूनकरणसर में सेलेनाइट का कारखाना ।

साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षार्थों को राज्य सेवा हेतु ।

बयाना को इलेक्ट्रिक मान्यता पॉवर देना ।

शिक्षा विभाग के सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर, लालसोट के विरुद्ध असन्तोष ।

भरतपुर ज़िले में बंजर भूमि ।

ठेकेदारों में बकाया रकम की वसूली ।

भाकरी क्वेरी का स्टाफ़ ।

बसेड़ी-बरेठा सड़क के निर्माण में विलम्ब ।

जोधपुर शहर के अध्यापक ।

चांदपोल दरवाजे से गवर्नमेन्ट होस्टल की सड़क की मरम्मत ।

पॉवर हाउस कोटा ।

रूपवास तहसील की उच्चैन पाठशाला को उच्चतर माध्यमिक पाठशाला बनाने हेतु ।

जंगलात के रेन्ज ।

पाली में पुलिस टूर्नामेन्ट पर व्यय ।

वाटर वर्क्स विभाग के बिलों का भुगतान ।

स्कम्भ

गैर-सरकारी विधायी कार्य

१. प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन । १६५०

श्री भीखा भाई, सभापति, प्रवर समिति, ने राजस्थान दहेज नियंत्रण विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

२. प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने वाला विधेयक १६५०

श्री जनार्दनराय नागर, सदस्य विधान सभा, ने प्रस्ताव किया कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड

Page No.82

विधेयक, १६५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन मई, १६५६ के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करे। इस सम्बन्ध में श्री सोहनलाल भटनागर द्वारा वैधानिक आपत्ति उठाई जाने से इस प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया।

गैर-सरकारी संकल्प

१६७५ श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :—

'सदन की सम्मति है कि राजस्थान में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने हेतु प्रत्येक जिले में सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाय जिसके एम. एल. एज़. भी सदस्य हों। यह समिति हर तीसरे माह, जांच कर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि अपने २ जिले में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई।'

इस संकल्प पर डॉ. बहादुरसिंह व श्री मूलचन्द डागा ने अपने २ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इस संकल्प पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री हरिप्रसाद यादव।
२. श्री रामचन्द्र।
३. रावल श्री नरेन्द्रसिंह।
४. श्री रामनारायण वर्मा।
५. श्री मुरलीधर व्यास।
६. श्री गोवर्धनसिंह केन
७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।
८. श्री शिवचरण दास।
९. श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

(संकल्प पर बहस अपूर्ण रही।)

शनिवार २८ फरवरी, ५६ की कार्य सूची:-

१. नाथद्वारा मंदिर विधेयक, ५६ (विचार विमर्श)

२. राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्पड्यूटी लॉज़ (एक्टेन्शन) संशोधन विधेयक, ५८ विचार विमर्श।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७५ का उत्तर देखिये)

MIDDLE SCHOOLS

1. Shri Ram Kishan.
2. ,, Laxmi Narain.
3. ,, Shri Vallabh.
4. ,, Chain Karan.
5. ,, Tulsi Ram.
6. ,, Shiv Karan.
7. ,, Sunder Chand.
8. ,, Dau lal.
9. ,, A. Q. Khan.
10. ,, Madan Lal.
11. ,, Kunj Behari Lal.
12. ,, Dau Lal.
13. ,, Uma Shanker.
14. ,, Mukan Lal.
15. ,, Kana Ram.
16. ,, Madan Lal.
17. ,, Kailash Narain.
18. ,, Shiv Singh.
19. ,, Ram Narain.
20. ,, Kishori Lal.
21. ,, Tripura Das.
22. ,, Jagdish Narain.
23. ,, Badir Narain.
24. ,, Chetan Dass.
25. ,, Gauri Shanker.
26. ,, Ranchor Dass.
27. ,, Raj Behari Lal.
28. ,, Daleep Singh.
29. ,, Mohan Lal.

30. Shri Bhanwar Lal.
31. „ Dhru Kumar.
32. „ Mangi Lal.
33. „ Keshri Mal.
34. „ Gopal Lal.
35. „ Goverdhan Vyas.
36. „ Suraj Kishan.
37. „ Mool Shanker.
38. „ Man Singh.
39. „ Roop Raj Bohra.
40. „ Ash Karan.
41. „ Mohan Kishan.
42. „ Chatur Bhuj.
43. „ Shanti Saroop.
44. „ Magh Dutt.
45. „ Navratan Mal.
46. „ Mool Chand.
47. „ Murli Dhar.
48. „ Prakash Mal.
49. „ Hari Kishan.
50. „ Radha Lal.
51. „ Brij Basi Lal,
52. „ Gang Shyam.
53. „ Shambhoo Dutt.
54. „ Ram Nath.
55. „ Ranjeet Singh.
56. „ Goverdhan Vyas.
57. „ Mohan Singh.
58. „ Usha Kant.
59. „ Raghu Dass.
60. „ Ganpat Singh.
61. „ Shambhoo Lal.
62. „ Kishore Singh.

63. Shri Bach Raj.
64. „ Bhawani Singh.
65. „ Ladu Singh.
66. „ Laxmi Chand
67. „ Tikam Singh.
68. „ Jagdeesh Singh.
69. „ Atmeshwar.
70. „ Sagar Chand.
71. „ Bhoor Singh.
72. „ Sheo Prakash.
73. „ Amba Lal.
74. „ Ram Deen.
75. „ Ram Nath.
76. „ Kanwar Lal
77. „ Pratap Chand.
78. „ Chain Singh.
79. „ Surya Prakash.
80. „ Ram Chadra.

PRIMARY SCHOOLS.

81. Shri Bheru Dass.
82. „ Mukand Lal.
83. „ Jaswant Raj.
84. „ Madan Lal.
85. „ Shivji Ram
86. „ Rama Kishan.
87. „ Prem Chand.
88. „ Durga Chand.
89. „ Parma Nand.
90. „ Paras Ram.
91. „ Mohan Lal.
92. „ Murli Dhar.
93. „ Som Nath.
94. „ Moti Lal.

95. Shri Kistoor Chand.
96. „ Satya Narain.
97. „ Pukh Raj.
98. „ Zabar Chand.
99. „ Kishan Bahadur.
100. „ Radha Kishan.
101. „ Pursottam Lal
102. „ Shiv Prakash.
103. „ Pyra Lal.
104. „ Tulsi Dass.
105. „ Laxmi Narain.
106. „ Pukh Raj.
107. „ Rawat Lal.
108. „ Madan Singh.
109. „ Omkar Datt.
110. „ Banshi Dhar.
111. „ Dau Lal.
112. „ Jagdish Narain.
113. „ Chatur Bhuj
114- „ Jeeva Ram.
115. „ Magan Raj.
116. „ Rafiq Khan.
117. „ Shiv Raj.
118. „ Shiv Nath.
119. „ Ganga Vishan.
120. „ Rama Kishan.
121. „ Chain Karan.
122. „ Chandan Raj.
123, „ Shiv Lal.
124. „ Ram Dutt.
125. , Dau Lal.
126. „ Megh Raj.
127. „ Mool Chand.

128. ,, Ram Narain.
129. ,, Johri Mal.
130. ,, Gulab Chand.
131. ,, Laxmi Dass.
132. ,, Basaf Mal.
133. ,, Ghan Shyam.
134. ,, Madan Lal.
135. Miss Hari.
136. ,, Bhagwati Bhati,
137. Shri Asan Dass.
138. ,, Jaman Dass.
139. ,, Bal Chand.
140. ,, Khem Chand.
141. ,, Sukhu Mal.
142. ,, Manjhan Dass.
143. Shrimati Nirmala Kaur.
144. ,, Laxmi
145. ,, Nirmala.
146. ,, Gopi.
147. ,, Krishni.
148. ,, Rukhi.
149. ,, Indra.
150. ,, Kalan Kriplani.
151. ,, Ganga Vishan.
152. Shri Deo Kishan.
153. ,, Narender Kumar.
154. ,, Ram Pyari Devi.
155. ,, Saitan Singh.
156. ,, Sardar Mal.
157. ,, Ganesh Dass.
158. ,, Anand Swaroop.
159. ,, Mool Raj.
160. ,, Jug Raj.

161. Shri Choot Mal
162 „ Narsingh Chand.
163. „ Kishan Lal.
164. „ Hari Ram..
165. „ Samrath Raj.
166. „ Manak Chand.

HIGH/HIGHER & MP. SCHOOLS.

167. Shri Kanchi Lal.
168. „ Amba Lal.
169. „ Kistoor Chand.
170. „ Jamna Dass.
171. „ Heera Lal.
172. „ Bhagirath.
173. „ Amba Dass.
174. „ Banshi Lal.
175. „ Bhal Chand.
176. „ Paras Mal.
17Z. „ Lal Chand.
178. „ Sita Ram.
179. „ Balu Lal.
180. „ Fateh Kishan.
181. „ Magan Raj.
182. „ Sakti Mal.
183. „ Ram Karan.
184. „ Abdul Vahid.
185. „ Dhanpat Singh.
186. „ Mahendra·

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING OUTSTANDINGS FOR THE YEAR 1954-55, 1955-56, 1956-57 and 1957-58.

Outstanding against.	As on 31-3-1955.	As on 31-3-1956.	As on 31-3-1957.	As on 31-3-1958.
1. Rulers.	5,83,683/-	7,46,114/-	8,22,800/-	9,53,542/-
2. Municipalities.	72,91,277/-	87,88,295/-	1,00,96,697/-	1,18,16,285/-
3. Government Departments.	8,56,951/-	14,95,925/-	9,03,513/-	5,85,884/-
4. Private Bodies.	2,31,355/-	3,04,641/-	2,87,102/-	2,76,127/-
	89,63,266/-	1,13,34,975/-	1,21,10,112/-	1,36,31,838/-